राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ९ वां दिवस [संख्या ७

मंगलवार, दिनांक ५ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजकर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, विधि, श्रम, यातायात, सिंचाई, गृह, वन एवं मुद्रण-विभाग)

११.२ पर सदन की कार्यवाही प्रारम्भ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास (१३०)

राज्य द्वारा संचालित रसायन शालाओं में निर्मित औषधियां

१३०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) राज्य द्वारा संचालित रसायनशालाओं में जो औषधियां निर्मित होती हैं उनकी कीमत बाजार की अन्य औषधियों से अधिक पडती है या कम ?

(२) यदि कीमत अधिक पडती है तो क्या सरकार यह मानती है कि यहां निर्मित औषधियां बाजार से अच्छी हैं ?

(३) क्या रसायनशालाएं व्यावसायिक दृष्टिकोण से आत्म-निर्भर हैं ? इनका वार्षिक आय व्यय कितना है ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): (१) कीमत कम पड़ती है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) यह रसायनशाला व्यावसायिक प्रणाली पर अभी नहीं चल रही, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उस रूप से आत्म-निर्भर है या नहीं। इसका १९६१-६२ का व्यय ९,०१,४२०) रुपया हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास: कुल आय कितनी हुई ?

श्री दौलतराम सारण: व्यावसायिक आधार पर यह नही चलती।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या इन रसायनशालाओं में बनने वाली औषधियों को आम लोग भी खरीद सकते हैं ?

Page No.2

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास: इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री भीखाभाई : इसलिये कि कामर्शियल बेसिस पर ये नहीं चलाई जाती।

श्री मुरलीधर व्यास: ये दवाइयां क्या बाजार में मिलने वाली औषधियों से अच्छी पडती हैं या खराब ?

श्री भीखाभाई : अच्छी भी और सस्ती भी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : क्या सरकार फिर यह नहीं चाहती कि लोग इतनी अच्छी और सस्ती दवाइयां यहीं से खरीद कर लाभान्वित हों ?

श्री भीखाभाई : मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी रसायन शाला से बिमारों को औषधियां दी जाती हैं, बाजार में अभी नहीं बेची जातीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जब सस्ती और अच्छी हैं तो आम लोग कैसे नहीं ले सकते ?

श्री भीखाभाई : आम जनता की रिक्वायरमेन्ट को हम कोंपविथ नहीं कर सकते। पूरे साधन अभी नहीं हैं। सोच रहे हैं, अगर हो सकता है तो करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास: अच्छी और सस्ती है इसका क्या प्रमाण, क्या आधार ?

श्री भीखाभाई : जी हां, मेरे पास इसके आंकडे हैं। हमारी रसायनशाला में च्यवनप्राश ५) रु० किलो है तो दूसरी जगह ८)रु० है, ब्रह्म रसायन बाजार में १६) रु० किलो मिलता है, हमारे यहां इससे कम में मिलता है। वसन्त मालती हमारे यहां २५)रु० तोला मिलती है, बाजार में ३६)रु० तोला। हिंगाष्टक चूर्ण १०)रु० किलो, और बाजार में २०) रु० किलो है। अभ्रक भस्म आठ आना तोला, बाजार में बारह आना तोला। लोहभस्म आठ आना तोला, बाजार में बारह आना तोला।

इस प्रकार जो आंकडे इकट्ठे किये हैं उनसे मालूम पडता है कि हमारी दवाइयां बाजार की दवाइयों से सस्ती पडती हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): जब दूसरे पब्लिक सैक्टर में भी धन्धा करके कार्यकर रहे हैं तो आयुर्वेद विभाग जब कि उसकी सस्ती और अच्छी पडती हैं दवाइयां तो वह क्यों नहीं व्यावसायिक आधार पर काम करता ?

श्री भीखाभाई : मामला विचाराधीन है। कार्मशियल हो सकता है तो हम करने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस पर कब तक विचार कर लेंगे ?

श्री भीखाभाई: कुछ किया है, कुछ आगे कर रहे हैं।

बांसवाडा रतलाम सडक में आई भूमि का मुआवजा

१३१. **श्री बिट्ठल** (बांसवाडा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाडा में बांसवाडा-रतलाम सडक का

Page No.3

(श्री विटठ्ल)
निर्माण होने से कितने ही काश्तकारों की जमीन सडक में आई है ?

(२) क्या सरकार ने सडक में आई हुई जमीन का मुआवजा सम्बन्धित काश्तकारों को चुका दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) उक्त सडक का निर्माण कब हुआ था और खेत मालिकों को पी. डब्लू. डी. ने मुआवजा दिलाने हेतु कब रिपोर्ट की थी और से कितने किसानों को मुआवजा मिला ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आ सका है इसलिये आगे रख दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष: Next, 132.

पी. एस. आई. के स्थान पर ए. पी. पी.

१३२. श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान में जुडीशियरी व एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के परिणाम स्वरूप फौजदारी मुकदमात में पैरवी करने के लिये पी. एस. आई. के स्थान पर ए. पी. पी. कायम किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और यह योजना कब तक अमल में आ जाने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): निकट भविष्य में उठेगा ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब है ही नहीं तो प्रश्न उठेगा कैसे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई: जब आपने जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने का सिद्धान्त मान लिया तो फिर कोई योजना भी तो आपकी होगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: आपने जो पूछा है कि क्या कोई योजना है ? तो जवाब दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सरकार ने जब स्वीकार किया तो फिर इस योजना के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : सरकार इस पर विचार कर रही है, पर निकट भविष्य में कोई निर्णय की आशा नहीं है ।

श्री सतीशकुमार शर्मा: फिर जवाब ऐसा क्यों नहीं कि ऐसी कोई योजना नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर: ला कमीशन ने रिकमण्ड किया था इस बात को, पर हमने उसे अभी तक मंजूर नहीं किया है । हमारे यहां की सोश्यल और औब्जेक्टिव कन्डीशन्स को देखते हुए । पर ला कमीशन की चूंकि रिकमन्डेशन है तो जब कभी भी होगा उस पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है । पर अभी फिलहाल जल्दी कोई इस तरह का करने का विचार सरकार का नहीं है । इसलिये ऐसा जवाब दिया गया है ।

Page No.4

श्री सतीशकुमार शर्मा : जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को कितने जिलों में सेपरेट कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ किया है वह अलग प्रश्न से सम्बन्धित है और उसके बारे में मैं सदन में कह चुका हूं।

लाखेरी सीमेंट वर्क्स के मजदूरों का प्रोवीडेन्ट फण्ड

१३३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) लाखेरी सीमेन्ट वर्कस के कितने मजदूरों का प्रोवीडेन्ट फण्ड देना बाकी है जिसको प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हुए हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि मजदूरों के द्वारा सर्विस छोडन के बाद भी वर्षो तक प्रार्थना करते रहने पर भी मजदूरों को उन के हक की रकम नहीं दी जाती है ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) कोई भी नहीं।

(२) प्रार्थना-पत्र पूर्ण रूप से ठीक होने पर १० दिन में पैसा पास कर दिया जाता है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने १२ महीने पहले किया था। अब १२ महीने बाद दिया है।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर): आपकी मंशा तो पूरी हो गई।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें हमारा क्या कुसूर है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का इतना असर तो पड़ा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: आपने कहा है कि किसी का बाकी नहीं। कोल गेंग के २०० मजदूरों का मसला आपके ध्यान में होगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कान्ट्रेक्ट पर होंगे ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा: उनका कटता रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उनकी कोई मांग नहीं आई हमारे पास। उनकी तरफ से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: मांग चल रही है, इसके बारे में जरा एन्क्वायरी करा लें।

श्री गिरधारीलाल शर्मा: दूसरा प्रश्न है मजदूरों को साल भर तक नहीं मिलता सर्विस छोडने के बाद भी, तो यह जनरल प्रश्न है। इसके लिये मंत्री महोदय ने कहा कि किसी का बाकी नहीं है। पर मैं निवेदन करूं कि ऐसे सैंकडों मजदूर हैं दूसरे दूसरे क्षेत्रों के जिनको नहीं मिला; दो-दो, चार-चार वर्ष हो गये हैं। क्या इस विषय में भी सरकार को जानकारी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप किसी स्पेसिफिक के लिये पूछेंगे तो उत्तर दे सकूंगा और बाकी होगा तो निपटाने की कोशिश करेंगे।

Page No.5

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

वैसे यह तो जनरल है कि किसी को नहीं मिला।

राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसों में खलासी की व्यवस्था

१३४. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) [श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया]: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसों में खलासी की व्यवस्था नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को शुरू करने का इरादा रखती है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) राजकीय रोडवेज के मुख्य स्थानों पर सरकार द्वारा वैतनिक खलासी नियुक्त हैं जो यात्रियों को बसों पर सामान चढाने-उतारने में निःशुल्क सेवा करते हैं और कन्डक्टरों को भी इसके लिए हिदायतें दी हुई हैं।

श्री विजयसिंह झाला: वे हिदायतें ही हैं; लेकिन सामान उतारते और चढाते नहीं हैं और खुद पैसेंजर्स को उतारना-चढाना पडता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई खास शिकायत आपकी जानकारी में हो तो उसके लिए प्रबन्ध किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, खास शिकायत नहीं बल्कि आम शिकायत है ऐसा देखा जाता है। कि वहां पर कोई भी सामान उठाने वाला नहीं है उसके लिए या तो कोई मजदूर करना पडेगा या अपने ही हाथों से रखना पडेगा।

श्री विजयसिंह झाला : अच्छा यह हो कि एक दिन के लिए आप खुद यात्रा करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या यह सत्य है कि इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे मिले हुए रहते हैं और वे पैसा कमाते हैं, क्या इस प्रकार की व्यवस्था सब जगह है ?

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह हो कि आप एक दिन बिना यह बताये कि आप उप-मंत्री हैं और बिना अपना प्रोग्राम दिए हुए यात्रा करके देख लें तो आपको खुद को सामान रखना पडेगा।

श्री अध्यक्ष: वेष बदलकर कीजिए।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

छोटे तालाबों का आबियाना पंचायत समितियों को देने का निर्णय

१३६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने

Page No.6

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि २ अक्टूबर, १९५९ को छोटे तालाबों को पंचायत समितियों को देना तय हुआ था और उसके साथ यह भी तय हुआ था कि उनका ४० प्रतिशत आबियाना पंचायत समितियों को दिया जाये ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक वह आबियाना पंचायत समितियों को नहीं दिया गया और सिंचाई विभाग में ही जमा हो रहा है

(३) क्या यह भी सही है कि न तो सिंचाई विभाग ही तालाबों की मरम्मत करा रहा है और न आबियाना की रकम न मिलने के कारण पंचायतें ही तालाबों की मरम्मत करा पा रही हैं और तालाबों की हालत बे–मरम्मत होने से बदतर हो गई है ?

(४) यदि हां, तो सरकार इस मसले पर क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां; राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ १ (२२) इरीगे. I ५६ दिनांक २१-२-५६ द्वारा ही यह तय हो चुका था कि ५० एकड से कम सिंचाई करने वाले तालाब पंचायत समितियों के अन्तर्गत रहेंगे। इस आज्ञा के अनुसार जिस जगह आबियाना लगान में शामिल है वहां पंचायतों को एक रुपया प्रति एकड दिया जाना है और जहां यह शरह अलग से लगाई जाती है वहां पूरे सिंचाई की आमदनी पंचायत को स्वयं वसूल करनी है।

(२) राजस्व विभाग से पंचायतों को उन जमीनों को जहां लगान में पिलाई शामिल है १ रुपया प्रति एकड दिया गया है या नहीं, इसकी सूचना इस विभाग को नहीं है; बाकी वसूली पंचायतों को स्वयं करनी है।

(३) चूंकि यह तालाब पंचायत समिति के अधीन है इसलिये इस विभाग को इसकी कोई जानकरी नहीं है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जो लैण्ड रेवेन्यू में आबियाना शामिल है और एक रुपया प्रति एकड के हिसाब से पहले लैण्ड रेवेन्यू को शामिल कर दिया गया है यह पहले आपने जैसा कहा कि जानकारी में नहीं है तो जब इरिगेशन से इसका ताल्लुक है तो यह पैसा क्यों नहीं पंचायतों को दिया जा रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस आर्डर के तहत अध्यक्ष महोदय मैंने, उत्तर में बताया है कि राजस्व विभाग द्वारा इस बात की जानकारी मिल सकती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सरकार न तो तालाबों की मरम्मत के लिए पैसा देती है और न लैण्ड रेवेन्यू का एक रुपया देती है तो फिर किस तरह से यह तालाबों की मरम्मत हो सकती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसके चौथे भाग का उत्तर समझ में नहीं आया कि सरकार क्या कदम उठा रही ह ?

श्री अध्यक्ष : किस चीज के लिए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न के लिए। शेयर नहीं मिले हैं और मरम्मत नहीं हो रही है। सिम्पली ट्रान्सफर हो गये हैं इसलिये इर्रीगेशन डिपार्टमेंट आंख मूंद ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रैस्पोन्सीबिलिटी पूरी नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको हक है एक रुपया एकड मिलने का और राजस्व विभाग से ले लेना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजस्व विभाग ने एक पैसा नहीं दिया है। इस तरह तो तालाब टूट जायेंगे पहले के जो बने हुए हैं वे।

श्री दिनेशराय डांगी : यह तो आपकी कमजोरी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हकूमत की कमजोरी है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने कहा है कि आपकी कमजोरी है। इनको हमारी कमजोरी बताने का कोई हक नहीं है। I take exception to the remark of the minister; यह इनकी जोइन्ट रैस्पोन्सीबिलिटी है। अगर रेवेन्यू विभाग भी नहीं देता है तो इधर की उधर बात बनाने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समझा दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के शब्द मंत्री महोदय को वापिस लेने चाहिये।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया है वह काफी है और मैं यह निवेदन करूंगा कि २१ फरवरी सन् १९५६ को एक नोटीफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ उसमें मेन्टीनेन्स के लिए कहा गया है। एक रुपया आज रेवेन्यू एजेन्सी से इकट्ठा होगा और उसे पंचायतों को लेकर मेन्टेन करना होगा। इसलिये जहां तक मेन्टीनेन्स का सवाल है वह उत्तर में साफ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो उनको मिलना चाहिए वह एक रुपया प्रति एकड मिलता है या नहीं? छोटा सा प्रश्न था। समझने और समझाने का प्रश्न नहीं था।

श्री भीखाभाई : जहां तक इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का सवाल है उसने आर्डर जारी कर दिया है और कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं आई है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने नहीं दिया। जो कलेक्शन करने वाली ऑथोरिटी है वह रेवेन्यू एजेन्सी है ....

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आपने पैसा दिलवाने के लिए क्या प्रबन्ध किया?

श्री **भीखाभाई** : मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आई तो उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को लिखा जा सकता है।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : क्या आपके पास शिकायत आये तभी करते हैं या मोटरें दौड़ कर जाती हैं उसी समय......

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इस प्रश्न का उद्देश्य यह था.........

श्री अध्यक्ष : उद्देश्य नहीं, जानकारी पूछिये ।

(विराम)

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

जालोर में जिला केन्द्र पर सरकारी क्वार्टर्स का निर्माण

१३७. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सच है कि सिरोही में तीन लाख रुपयों की लागत के सरकारी क्वार्टर्स जिला केन्द्र पर बनवाये जा रहे हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि जिला जालोर में सिरोही के मुकाबले में सरकारी क्वार्टर्स बनाने की ज्यादा आवश्यकता है ? अगर हां, तो जिला जालोर में जिला केन्द्र पर सरकारी क्वार्टर्स न बनाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सच है कि इस एमर्जेन्सी में सरकार बिल्डिंग सैक्टर में पैसा खर्च करना उपयुक्त नहीं समझती ? अगर हां, तो क्या सिरोही जिले में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जालोर में क्वार्टर्स बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(३) आवश्यकता अनुसार आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्च करती है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्वीकृति दी है तो यहां पर क्वार्टर्स ही नहीं हैं। पहले उसकी पूर्ति कर दी जाय। गवर्नमेन्ट का कोई माप-दण्ड नहीं है । जहां पहले क्वार्टर्स नहीं हैं वहां बनाये जायें तो क्या कोई हर्ज है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि विचाराधीन है। जालोर में भी बनाये जाने की बात विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कब विचार पूरा हो जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जल्दी ही ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

१३८. **श्री श्रवणलाल**, (हिन्डोन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या सरकार को मालूम है कि हिंडोन शहर में मकानों व दुकानों की किराये की दरें काफी बढती जा रही हैं ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इस शहर की जनता ने किरायों पर कण्ट्रोल करने और बेदखली को रोकने की मांग की है ?

(३) क्या सरकार इस शहर पर राजस्थान प्रेमिसेज कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एविक्शन एक्ट को लागू करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब से और अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने सूचित किया है कि किराये बढने की कोई विशिष्ट घटनायें स्थानीय अधिकारियों के सामने कभी नहीं लाई गई और ऐसी कोई खास शिकायत कभी नहीं सुनी गई ।

(२) ऐसी कोई मांग कभी स्थानीय अधिकारियों के सामने नहीं रखी गई हैं ।

(श्री भीमसिंह)

(३) राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अधिनियम, १९५० हिंडोन नगर में भी गृह विभाग की विज्ञप्ति संख्या २५।४।७।होम ५१, दिनांक २६ फरवरी सन् १९५२ द्वारा लागू हो चुका है ; इसलिये फिर एक्ट लागू करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

क्योंकि यह अधिनियम इस शहर में लागू है इसलिये वेदखली को रोकने के लिये कोई व्यक्ति संबंधित अदालत में कार्यवाही कर सकता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है और विशेष शिकायत नहीं है इससे आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहला प्रश्न यह था कि वहां किराया बढा है या नहीं ? यह उसमें था कि कलैक्टर को इसकी सूचना मिली है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मेन क्वेश्चन है इस एक्ट को वहां लागू करना । उसके लिये सरकार ने कहा कि लागू है । उसके अन्तर्गत कार्य कर सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : किराया बढा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : This a question of opinion.

श्री मुरलीधर व्यास :

दूकानों और व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधायें

१३९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि जब से दूकान व वाणिज्य विभाग का नियंत्रण कन्ट्रोलर वेट्स एण्ड मेजरमेंन्ट विभाग को सौंपा गया है तब से दूकानों व व्यवसायों में काम करने वाले कर्मचारी उनको मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

(२) क्या सरकार ने दूकान खोलने व बन्द करने के संबंध में चलने वाले नियमों में कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दूकान व वाणिज्य विभाग कन्ट्रोलर, वेट्स एण्ड मैजरमेन्ट विभाग के अधीन नहीं गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अधीन तो गया है लेकिन आपने कहा कि उनकी सुविधाओं में फर्क पड़ा है । तो सुविधाओं में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई शिकायत आपके यहां है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : शिकायत आती है तो उसके मामले में कानून के अनुसार कार्यवाही होती है।

Page No.10

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इन व्यवसायों के कर्मचारियों की ओर से संगठित रूप से यह मांग की गई है कि इस अधिनियम को ... डिपार्टमेन्ट से हटाकर लॉ डिपार्टमेन्ट को दे दिया जाय।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हां, यह मांग तो की गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उसके संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी विचाराधीन है यह प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब से विचाराधीन है यह प्रश्न ? मेरे ख्याल से पिछले साल जोधपुर के अन्दर निर्णय किया तब से विचाराधीन है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निश्चित समय तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब तक यह विचाराधीन रहेगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय कहते हैं कि इस प्रकार की शिकायत नहीं है और यह कहते हैं कि हां इसको इधर उधर बदलने के लिये वहां के श्रमिकों ने यह लिखा है; तो उस पर क्यों नहीं ध्यान देते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चाहे किराया बढता है या शिकायत है–– यह बहुत वेग प्रश्न है। आपने पूछा कि लेवर डिपार्टमेन्ट में ट्रान्सफर करने का है, तो उन्होंने कहा कि हां, विचारधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें और भी अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : शिकायत किसी की तनख्वाह में भी हो सकती है, प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बात यह है कि यह श्रम विभाग है, उसको शिकायत जाती है श्रमिकों की और यह विभाग अलग हो गया है। श्रमिकों की शिकायत तो श्रम विभाग को होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : लेबर डिपार्टमेन्ट को जानी चाहिये। तो मेन प्रश्न का जो अंग है उस पर ज्यादा जोर दें। इससे आपको भी सुविधा होगी और समय भी कम लगेगा और जो बात आप मनवाना चाहते हैं केवल उसी को रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : इस संबंध में सरकार कब निर्णय करेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निश्चित समय नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस पर जल्दी ही विचार करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सैकिण्ड क्वैश्चन था कि नियमों में क्या परिवर्तन किया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरामाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे का उत्तर नहीं मिला।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने दूकान खोलने व बन्द करने के संबंध में चलने वाले नियमों में कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो क्यों ? पहले ९ बजे तक का समय है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सर्दियों में ८ से ९ तक व गर्मियों में ९ से १० तक का है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

कुशलगढ़-बामनिया तथा कुशलगढ़-दहोद की सड़कें

१४०. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कुशलगढ-बामनिया तथा कुशलगढ-दहोद की सड़कें बनाने के लिए वहां की जनता की ओर से एवं विभाग की ओर से कई बार सुझाव सरकार के पास भेजे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या वहां की जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार के सामने कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार का कब तक यह कार्य शुरू कराने का विचार है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। केवल कुशलगढ-बामनिया रोड के।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीराभाई: आपने कहा कि प्रश्न नहीं उठता; तो क्या यह सडक सरकार के नक्शे में नहीं है ? क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास इस सडक को बनाने की स्कीम नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: नक्शे में तो सब कुछ है।

श्री अध्यक्ष : सडक बनाने की योजना है कि नहीं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): नक्शे में नहीं खोपडी में तो है ?

श्री हीराभाई : करीब ५ साल से वहां महाराष्ट्र की एस. टी. सी. भी चल रही है और यह सडक आपकी योजना में भी नहीं है तो फिर उनको सडक कैसे दी है ? कम से कम यह १५ साल वह कच्ची रोड पर चल रही है। उसके बारे में स्कीम, नक्शे या खोपडी में कहीं नहीं है, तो क्या वहां की जनता के लिये सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? माननीय अध्यक्ष महो[illegible] आपने बामनिया के लिये कहा है, लेकिन [illegible] बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष: श्री गंगाराम।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह योजना में भी नहीं है और दूसरी जगह भी नहीं है। मंत्री

(श्री अध्यक्ष)
महोदय कह चुके हैं कि उनकी योजना में मे सडकें बनाने का कार्यक्रम नहीं है और आपने कह दिया कि होना चाहिये और उन्होंने सुन लिया।

श्री हीराभाई : १५ साल से, क्या कारण है नहीं बनाने का ? रकम का अभाव ही बता दें ? या बड़े शहरों के लिए रुपया अलग निकाल दिया ? कुछ तो कहें ।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। वहां पर विकास होने की जरूरत है । सरकार की कोई योजना नहीं है तो सरकार को उसे योजना में लेना चाहिए। इसका उत्तर सरकार विचार करके दें ।

श्री अध्यक्ष: कौनसी योजना में विचार करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : चौथी।

श्री अध्यक्ष : Next question.

बाडमेर जिले के अपराधी

१४१. **श्री गंगाराम चौधरी** (गुढा-मालानी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बाडमेर जिले में किये गये अपराधों से संबंधित कितने डाकू व अन्य घोषित अपराधी सन् १९६० में पुलिस द्वारा पकडे गये व कितने ऐसे अपराधियों ने आत्म-समर्पण किया?

(ख) आत्म-समर्पण करने वाले अपराधियों में से कितने अपराधियों को सजा हुई ?

(ग) आत्म-समर्पण करने वाले अपराधियों में से कितने ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण के पश्चात् भी अपराध किये हैं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह):
(क) सन् १९६० में ऐसे ८ अपराधी पकडे गए एवं १७ ने आत्म-समर्पण किया।

(ख) किसी को सजा नहीं हुई।

(ग) ऐसा कोई अपराधी नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या यह सच है कि आत्म-समर्पण का जो ड्रामा किया जा रहा था उसके एक दिन पहले वहां पर पास के ही रतैवा ग्राम में डकेती हुई थी ?

श्री भीमसिंह: कोई ड्रामा नहीं हुआ ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई: आत्म-समर्पण की कार्यवाही हुई थी उसके पास रतैवा ग्राम में पहले रोज बाडमेर में डकेती हुई थी ?

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली) : १४२······

श्री रघुनाथ बिश्नोई: यह कहां तक···

श्री अध्यक्ष: Next question, Shri Mohan Raj.

बाली देसूरी में आंवल छाल के ठेको से आय

१४२. **श्री मोहनराज** (बाली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाली-देसूरी क्षेत्र में आंवल छाल (bark) के ठेके से प्रति वर्ष सरकार को कितनी आय होती है ? पिछले पांच वर्षो में प्रतिवर्ष कितनी आय हुई ?

(२) यह ठेका कब तथा किस माह में दिया जाता है ?

Page No.13

(श्री मोहनराज)

(३) क्या यह सही है कि आंवल छाल निकालने का सही समय सितम्बर से दिसम्बर तक होता है ?

(४) क्या यह सही है कि इस वष मह ठेका अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

उप-मंत्री-वन (श्री निरंजननाथ आचार्य). (१) बाली-देसूरी क्षेत्र में आंवल छाल के ठेके से पिछले पांच वर्षों में जो आय हुई वह निम्न प्रकार है:--

वर्ष	तहसील	आय
५७–५८	देसूरी	३०,०००)
	बाली	२४,०००)
५८–५९	देसूरी	१३,१२५)
	बाली	१७,३९६)
५९–६०	देसूरी	१७,६००)
	बाली	१८,५००)
६०–६१	देसूरी	२०,२००)
	बाली	१९,६२५)
६१–६२	देसूरी	२३,५००)
	बाली	२२,०२१)५० नं.पै.

(२) ठेका प्रति वर्ष माह अक्टूबर में दिया जाता है।

(३) जी नहीं।

(४) ठेके दिये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। सरकार को इस वर्ष कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): प्रश्न (२) में कहा है कि प्रति वर्ष माह अक्टूबर में ठेका दिया जाता है। फिर उस वर्ष क्यों नहीं दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचा: ठेका दिये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। वह प्रति वर्ष की ही तरह है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह नं० ४ में कहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: नं० ४ में कहा है कि स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कब दिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: स्वीकृति थोड़ी देर से दी है। कुछ महीने देर से हुई है।

श्री भीमसेन: कब हुई ? टाइम जानना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : टाइम के तथ्य का, अध्यक्ष महोदय, मैं अभी पजेशन में नहीं हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम : महीना बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं महीना बतला दूंगा। Under Government order dated 22-1-63, it has been ordered; यह २२–१–६३ के आसपास है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस ठेके की रकम और गये वर्ष के ठेके की रकम में क्या अन्तर है ?

Page No.14

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह मैंने विवरण में बताया है।

श्री भैरोंसिंह : यह ६२–६३ और ६३–६४ में जो आपने अभी अक्टूबर के महीने में स्वीकृति दी है उसमें कितना अन्तर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६०-६१ में देसूरी में २०,२००) और बाली में १९,६२५) और ६१-६२ में देसूरी में २३,५००) और बाली में २२,०२१.५० नये पै. हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह मैंने नहीं पूछा है। यह तो पिछले वर्षो का बताया गया है। मैं पूछ रहा हूं कि इस वर्ष की स्वीकृति जो अक्टूबर में दी है, वह कितने रुपये की है और पिछले साल की ठेके की रकम कितनी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह मेरे पास आंकडे नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसी से तो पता लगेगा कि ठेका टाइम पर नहीं देने से गवर्नमैन्ट को कितना लोस हुआ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह मैं कह सकता हूं कि गवर्नमैन्ट को कोइ लोस नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आप आंकडे बता दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य: इसको देख कर मैं बता दूंगा और यह विश्वास दिला दूंगा कि नुकसान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : कब देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी दो मिनट में।

श्री दलपतसिंह (आबू): अब तक ग्राम पंचायतें ठेका देती हैं तो राज्य सरकार क्यों ठेका देती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये एक कमेटी बना दी है जो कि सारे प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या नीति होनी चाहिये।

श्री दलपतसिंह: क्या सरकार विचार रखती है कि ठेका देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: सरकार क्या विचार रखती है, यह तो अभी कमेटी ने कुछ निर्णय नहीं किया है और तब तक सरकार कोई विचार नहीं रखती है।

श्री दलपतसिंह: गोचर का आंवल होती है वह ग्राम पंचायतों के पजेशन में है।

श्री अध्यक्ष: Next Question, Shri Ganpati Lal.

मांडलगढ़, लाडपुरा रोड की पुलियायें

१४३. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मांडलगढ से लाडपुरा रोड पर की पुलियायें अभी तक नहीं बन पाई हैं ? यदि हां, तो यह काम कब तक प्रारंभ हो जायगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): जी हां। कार्य आरम्भ करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या सरकार यह जानती है कि सडकें बनने

Page No.15

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
के साथ साथ पुलियायें नहीं बनती हैं तो जब तीन महीने बरसात का मौसम होता है तब सडकें किसी काम में नहीं आती हैं। तो क्या राज्य सरकार के पास में इस प्रकार की योजनायें नहीं हैं कि सडकों के साथ साथ पुलियायें भी बनाई जायं ताकि सडकें पूरे उपयोग में आ सकें ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

नियमों, विज्ञप्तियों आदि का पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन

१४४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों विज्ञप्तियों, स्टेच्यूटरी आर्डर्स के पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि बाफना बुक डिपो द्वारा रूल्स कम्पैन्डियम के कई वाल्यूम प्रकाशित करवाये जा चुके हैं? अगर हां, तो राज्य सरकार को इस प्रयास में दो साल से भी अधिक समय लगने का क्या कारण है जब कि सरकार के पास सम्बन्धित विभागों के उनके कानूनों के अन्तर्गत बने नियमों, विज्ञप्तियों एवं स्टेच्यूटरी ऑर्डर्स के संकलन करके प्रकाशित करने में गैर सरकारी प्रयासों की अपेक्षा अधिक साधन हैं ?

(ग) क्या विधि विभाग ऐसा प्रयास कर रहा है कि भविष्य में केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकार के समस्त अधिनियमों तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों, विज्ञप्तियों, स्टेच्यूटरी ऑर्डर्स की फाइल्स तैयार कर ली जावें ?

(घ) क्या विधि विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को सुझाव दे रहा है कि उस विभाग द्वारा गजट के प्रकाशन में इस प्रकार हिदायतें जारी की जावें ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिनियमों, उनके अन्तर्गत बने नियमों, विज्ञप्तियों, स्टेच्युटरी ऑर्डर्स आदि तथा उनके संशोधनों को इस प्रकार प्रकाशित किया जावे कि उनकी करेक्शन स्लिप्स के रूप में सम्बन्धित लोग अपनी फाइलों में रख सकें और इस प्रकार निरन्तर बदले जाने वाले कानून का समुचित रेकार्ड रख सकें।

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (क) राज्य सरकार के सन् १९५२ तक के अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का राजस्थान रूल्स कोड खंड १ पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सन् १९६१ में बनाये गये नियमों का रूल्स कम्पीन्डियम सन् १९६१ भी प्रकाशित किया जा चुका है।

सन् १९५३ के अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों आदि का राजस्थान रूल्स कोड खंड-२ तथा सन् १९५४-५५ के खंड-३ की पांडुलिपियां संचालक, मुद्रण व लेखन सामग्री, राजस्थान, जयपुर को भेजी जा चुकी हैं तथा शेष राजस्थान रूल्स कोड की पांडुलिपियां तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू कोड की २०८९ पृष्ठों की पांडुलिपि राज्य सरकार द्वारा तैयार कर प्रकाशनार्थ भेजी जा चुकी है, जिसमें ३० अधिनियम, ६२ नियम तथा स्टेच्यूटरी ऑर्डर्स और

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

विज्ञप्तियां आदि सम्मिलित हैं । यह कोड राजस्व न्यायालयों तथा राजस्व अधिकारियों के प्रतिदिन के कार्यों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा ।

(ख) जी हां । सब साधनों के विद्यमान होते हुए भी नियमों के कोड प्रकाशित कराने में इतना समय लगने के निम्न कारण हैं :—

(१) पुराने रेकार्ड को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां सामने आती हैं । इसके अतिरिक्त सरकारी प्रकाशनों को उनके अधिक प्रमाणीकृत होने के कारण संकलन में पूरी सावधानी बरती जानी अत्यन्त आवश्यक होती है और आखिरी से आखिरी संशोधन भी उनमें सम्मिलित किये जाने का प्रयास किया जाता है ।

(२) सरकारी मुद्रणालय अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण समय पर कार्य करने में असमर्थ रहते हैं । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये अब यह कार्य प्राइवेट मुद्रणालयों को सौंपे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों का कोड केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है अतः उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । राज्य सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विज्ञप्तियों एवं स्टेच्यूटरी आर्डर्स के कोड बनाने का कार्य पहले से ही किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों, विज्ञप्तियों एवं स्टेच्यूटरी आर्डर्स का कोड बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों आदि का कोड तैयार हो जाने के बाद इस कार्य को हाथ में लिया जायगा ।

(घ) वर्तमान एमर्जेन्सी के कारण कागज की खपत में यथा-संभव कमी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ऐसा करना संभव प्रतीत नहीं होता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : राज्य सरकार के पास तीन चार मुद्रणालय होते हुए भी नियमों, विज्ञप्तियों, स्टेच्यूटरी ऑर्डर्स आदि को प्राइवेट प्रेस में छपवाना पड़ता है । राज्य सरकार के मुद्रणालय इनको पब्लिश करें तो काफी लाभ मिल सकता है इसलिये क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाती कि राज्य सरकार के मुद्रणालय इनको प्रिन्ट करें ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि लीगल डिपार्टमेन्ट के डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेन्सर बाफना बुक डिपो में इन्ट्रेस्ट लेते हैं क्योंकि वहां पर उनकी किताब छप रही है, इस कारण से छपने में डिले हो रही है ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जी नहीं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं आपके सामने उदाहरण देता हूँ और चैक करवाने को तैयार हूं; श्री श्यामलाल पुरोहित का बाफना बुक डिपो से संबंध है । उनकी किताब वहां छप रही थी । वे सर्विस करते थे उसके दर्मियान ही उनकी किताब वहां पर छपी है और आपकी किताबें नहीं छपीं ।

श्री अध्यक्ष : चाहे माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही नहीं है जैसा कि मंत्रीजी ने कहा; फिर भी असंतोष बना हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं कि रूल आफ लॉ है दूसरी तरफ अदालतें कहती हैं कि 'Ignorance of Law is no excuse.' इस सिद्धान्त को लेकर चल ते नहीं। पढे-लिखे व वकील भी यह नहीं जान पाते कि कौनसा कानून किस साल पब्लिश हुआ। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार हाइएस्ट प्रायोरिटी इस बात को दे और इनको छपाने की व्यवस्था करे।

श्री रामकिशन (वैर) : यह तो रूलिंग हो गई।

श्री मथुरादास माथुर : हम भी इसको मानते हैं कि जल्दी से जल्दी छपवाया जाय। इसमें हमारे डिपार्टमेन्ट की जवाबदारी नहीं है, आगे और सवाल आयगा उस समय भी क्लीयर किया जायगा; प्रेस छाप कर समय पर देती नहीं है। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां पर पडे हुए हैं। वे छाप कर नहीं देते, प्रेस की डिफिकल्टी है, न कि डिपार्टमेन्ट के कोडिफिकेशन की। प्राइवेट प्रेसेज में छपवा नहीं सकते। रूल्स के मुताबिक जब तक प्रेस से नो-आब्जेक्शन-सर्टिफिकेट नहीं मिल जाय तब तक प्राइवेट प्रेसेज से छपवा नहीं सकते। डिपार्टमेन्ट का काम कोडिफिकेशन करने और मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने का था। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां पडे हुए है, छप नहीं रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रेस के बारे में आपने बताया कि वहां से नो-आब्जेक्शन-सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मंत्रीजी इस बात की जांच कर लें कि आपने भेजा है उसके बाद और डिपार्टमेंन्ट्स ने कितने ही और काम वहां भेजे हैं उनको नो-आब्जेक्शन-सर्टिफिकेट मिल गया है। गवर्नमेन्ट प्रेस उनको नो-आब्जेक्शन-सर्टिफिकेट इश्यू कर दे और आपको नहीं करे यह कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: आपके डिपार्टमेन्ट ने उनको कब लिखा नो-आब्जेक्शन-सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिये?

श्री मथुरादास माथुर : जब हम उनको लिखते हैं तो कहते हैं कि हम छाप देंगे। वे एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी छाप देंगे लेकिन लम्बा ही लम्बा करते जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: साल ६ महीना इन्तजार करके फिर नो-आब्जेक्शन-सर्टिफिकेट लेना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : हमने अभी फिर उनसे कहा है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं दिया। वे सर्विस तो लीगल डिपार्टमेन्ट में करते थे और उन्होंने अपनी किताब छपवाई थी इसलिये उन्होंने इनको छपने नहीं दिया। उनका इसमें मेन इन्ट्रेस्ट था। इसकी जांच करने को आप तैयार हैं या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जांच करवाने को तैयार हूं। डिले उनकी वजह से हुई या नहीं, यह नहीं कह सकता लेकिन यदि उनका इसमें इन्ट्रेस्ट था, उन्होंने किताब छपवाई, मुझे पता नहीं। गवर्नमेन्ट की पर्मिशन ली या नहीं, क्योंकि मामला पुराना है। यदि उन्होंने गवर्नमेन्ट की पर्मिशन नहीं ली, किताब पब्लिश हो चुकी है विदाउट पर्मिशन तो बराबर इसकी जांच करवायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आपके यहां कोई ऐसा अधिकारी मुकर्रर है जो सारे रूल्स, ऑर्डर्स, स्टेच्युटरी ऑर्डर्स आदि को कलेक्ट करके अप-टू-डेट रखे और कोई गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट उनकी मांग करे तो ५ मिनट में निकाल कर उनको दे दे। इसके लिये आपने कोई अधिकारी मुकर्रर कर रखा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : This is a question of administrative details.

श्री मथुरादास माथुर : We have.

श्री अध्यक्ष : Naturally they must have it.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि जब तक कोडिफिकेशन छप नहीं जाते तब तक रूल्स, ऑर्डर्स, स्टेच्यूटरी ऑर्डर्स आदि की अप-टू-डेट एक एक कॉपी लेजिस्लेचर की लाइब्रेरी में रखने की व्यवस्था करेंगे ताकि मैम्बर्स इस बारे में पूरी तरह से अप-टू-डेट नोलेज रख सकें और लैजिस्लेशन के काम में बाधा न पड़े ?

श्री मथुरादास माथुर : I am prepared to place manuscripts in the Assembly.

श्री भैरोंसिंह : Not manuscripts.

श्री अध्यक्ष : Next question.

पंचायत समिति क्षेत्र रायपुर में नालसा का नाला

१९५. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में नालसा का नाला बारहों मास बहता है ?

(२) क्या यह सही है कि इससे कृषि भूमि का कटाव होता है व वर्षा में रास्ते भी बन्द हो जाते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि नाले के नीचे की कृषि भूमि में सिंचाई के साधनों के अभाव में उचित मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं हो पाता ?

(४) क्या यह सही है कि वर्षों से इस क्षेत्र की जनता सिंचाई के लिये इस नाले पर बांध बनवाने की मांग करती आ रही है ?

(५) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, रायपुर व सहायक इन्जीनियर पाली ने इस नाले का सर्वे भी किया है ?

(६) क्या सरकार शीघ्र ही इस नाले पर बांध बंधवाने का इरादा रखती है ?

(७) यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ हो सकेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां।

श्री कुमारानन्द : सुनाई नहीं पड रहा है, जोर से बोलिये।

Page No.19

श्री अध्यक्ष : कम से कम स्वामीजी के लिये तो जोर से बोलिये ।

श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी हां ।

(२) भूमि का कटाव कोई खास नहीं होता । हां, भारी वर्षा में रास्ता एक-दो दिन के लिए बन्द हो जाता है ।

(३) सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने पर उत्पादन पर असर पडना स्वाभाविक है ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं ।

(७) प्रश्न नहीं उठता ।

सडक व पुल निर्माण

१४६. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील बसवा में बांदीकुई कस्बे से नदेरा, महुखेडा, हिंगोटा होते हुए मंडावर तक पक्की सडक बनाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या यह सडक वर्तमान पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है और आगामी वर्ष से निर्माण होने की सम्भावना है ?

(२) क्या तहसील बसवा में गुढा कटला ग्राम से खोह दरीबा तक व पीवूपाडा से आभानेरी बडीयाल तक सडक बनाने की कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक कार्य चालू हो जावेगा ?

(३) क्या राजगढ, बांदीकुई, गीजगढ रोड पर बान गंगा नदी व सावां नदी पर पुल (ब्रिज) बनाने की योजना बन कर स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब चालू हो जावेगा ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी हां । अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सडक बनाने के लिये कोई निर्णय नहीं लिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

सेन्ट्रल जेल अलवर के कैदी

१४७. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल जेल अलवर में कच्चे कैदियों से काम लिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि जेल में कैदियों को पीटा जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि पीली वर्दी वाले कैदियों से आम कैदियों को पिटवाने का काम लिया जाता है और बजाय इसके कि उनको सुधारा जावे उन्हें अमानवीय कार्य करने पर मजबूर किया जाता है ?

(४) क्या यह सही है कि जेल में कैदियों की खुराक, खेल-कूद के साधन व पढने की व्यवस्था ठीक नहीं है ?

(श्री हरिराम चौहान)

(५) क्या यह सही है कि गुड जैसी चीज भी जेल में मांगने पर पाबन्दी है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) नहीं। अलवर जेल में हवालाती बन्दियों (कच्चे कैदियों) से कोई काम नहीं लिया जाता । केवल राजस्थान जेल मैन्युअल पार्ट १०, धारा २०, पेज १८६ के अनुसार उनको अपने शरीर की सफाई, स्थान की सफाई व कपडों की सफाई रखनी पडती है । उक्त मैन्युअल की धारा २० की प्रतिलिपि साथ में संलग्न है।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं।

(४) अलवर जेल में खुराक, खेल-कूद के साधन व पढने-लिखने की समुचित व्यवस्था है ।

(५) जेल के अन्दर हर चीज ले जाने पर पाबन्दी है और नियमानुसार ही उनको अन्दर जाने की अनुमति दी जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरिराम चौहान: यह जानकारी आपने कहां से प्राप्त की ? उनसे काम नहीं लिया जाता है इसकी जानकारी आपने ली है या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या वहां जाकर देखा है जिसके आधार पर यह जानकारी दे रहे है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): जानकारी लेने का जो तरीका है उससे ली जाती है । हैड ग्रॉफ दि डिपार्टमेन्ट से जानकारी ली गई है और मैं खुद अलवर में जाकर देख आया हूं कोई महीना डेढ महीना पहले, कैदियों की कोई शिकायत नहीं है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : क्या आप गये उस दिन पिटाई करते तब मानते कि पिटाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या आपको सूचना दे दी इसलिए मानते हैं । उदयपुर जेल में मैं था तब मैंने देखा कि कैदियों को बुरी तरह से मारते है और नम्बरदारों से पिटवाते हैं और उनसे काम लेते हैं । वे कब स्वीकार करेंगे कि उन्होंने कैदियों को मारा है ? वे क्या आपके सामने पिटाई करेंगे जिससे आपको यकीन हो जाय कि पिटाई करते हैं या नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, बहरहाल यह तो एग्री करना चाहिए कि जिस डिपार्टमेन्ट के जरिये इत्तला मंगवाई है वह इस बात की सूचना तो देने से रहा कि हां, कोई इरेंगुलर काम कर रहे हैं। ये कान्क्रीट फैक्ट्स हैं जिनको माननीय सदस्य रख रहे हैं। मुझे पर्सनली इस बात का अनुभव है कि वहां पर कच्चे कैदी होते हैं उनसे पानी भरवाने और काम करवाने का हुक्म है . . .'

श्री मथुरादास माथुर: इस बात से इन्कार नहीं । होता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप किसी तरह इन्क्वायरी करवायें । किसी तरह यह सिस्टम बन्द करना चाहिये । हम चाहते हैं कि आप डिपार्टमेन्ट के अलावा इस चीज की इन्क्वायरी करवा कर इसे बन्द करवा सकने के लिए तैयार हैं या नहीं ? इस संबंध में कोई कदम उठाने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर: यह कहा है कि जहां तक अन्डर ट्रायल्स से संबंध है, अन्डर-ट्रायल से लेबर नहीं करवाया जाता है । मैनुअल के हिसाब से अपने कपडे साफ करना,

(श्री मथुरादास माथुर)
अपने लिए पानी भरना और अपने काम करने का उनका फर्ज है और ये काम करवाये जाते हैं। जहां तक प्रश्न·····

श्री हीराभाई: उनकी हैसियत से ज्यादा काम लिया जाता है ······

श्री अध्यक्ष: Order please, सुनिये तो जो उत्तर दे रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर: जहां तक दूसरों का पानी भरवाने और दूसरों का काम करवाने का प्रश्न है, चाहे कोई कन्विक्टेड हो या अन्डर-ट्रायल हो, दूसरों का काम करवाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। मारपीट की बात जो कही, मैंने निवेदन किया कि मैं इत्तफाक से, जब आपका प्रश्न आया था उससे दस-बारह दिन पहले अलवर जेल में गया था। मुझे पता नहीं था कि आप प्रश्न पूछेंगे। मैं वहां इन्सपेक्शन के लिए गया। अगर किसी के साथ मार-पीट हुई होती तो जिस प्रकार कैदी शिकायतें किया करते हैं उसी प्रकार करते। लेकिन मेरे सामने मारपीट की शिकायत नहीं की। एक बात। दूसरी बात यह, कि नॉन-ऑफिशियल विजिटर्स मुकर्रर कर रखे हैं जो जेल में आते जाते रहते हैं उनके सामने कोई इस तरह की बात आती और वे लिखते तो मैं जांच करवाने को तैयार था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किसी ने शिकायत नहीं की होगी, पर जो खुद जेल से बाहर आते हैं, वे कह रहे हैं। कुछ लोग जो जेल में होकर आये हैं और जो असैम्बली में हैं वे कहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: बाहर आने वालों के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उनकी जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष: श्री नत्थीसिंह।

भरतपुर फीडर

१४८. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) भरतपुर फीडर पर कितने पुल व कुलावे लगाने की योजना है? उनमें से कितने बन चुके हैं और शेष कब तक बन जायेंगे?

(२) क्या यह सही है कि पिछली बरसात में ग्राम कासौट, कोटेर व तालफरा व अजान पर यह नहर टूट गई थी? यदि हां, तो उससे कितना नुकसान हुआ है? भविष्य में इसे और मजबूत बनाने की सरकार की क्या योजना है?

(३) भरतपुर फीडर को बढाने के सम्बन्ध में क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) मुख्य नहर एवं उसकी शाखा तथा उप-शाखाओं पर २७ पुल बनाने थे जिनमें से १९ बन चुके हैं, बाकी ८ पर कार्य चल रहा है। कुलावे जितने लगाने थे वे लग चुके हैं।

(२) जी हां, किन्तु नुकसान होने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है। इसको मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(३) जी हां।

श्री नत्थीसिंह: क्या यह सही है कि इस नहर से भरतपुर और कुम्हेर तहसील फायदा लेती है ? जब यह असिस्टेन्ट इन्जीनियर, अलवर के अधिकार क्षेत्र में है और वहां के लोग वहां नहीं पहुंच सकते और उन्हें नुकसान होता है । क्योंकि समय पर नहीं पहुंचते इसलिए वहां की ग्राम पंचायत ने मांग की थी कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, अलवर के पास यह काम दिया जाय ?

श्री दिनेशराय डांगी: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग है बिल्कुल ।

श्री अध्यक्ष: फिर भी आपका क्या विचार है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): विचार अलग से बता दें ।

श्री दिनेशराय डांगी: सिंचाई के साधन जितने उपलब्ध हैं वे जनता को जरूर मिलेंगे ।

श्री अध्यक्ष: वह इन्जीनियर की बात है ।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): अलवर में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर है, असिस्टैन्ट इन्जीनियर है ।

श्री रामकिशन (वैर): अलवर डिवीजन ....

श्री भीखाभाई: उसका सवाल नहीं है । असिस्टेन्ट इन्जीनियर का सवाल है ..सस्टेन्ट इन्जीनियर भरतपुर में है । यह मांग है कि दूसरा डिवीजन खोला जाय, और कोई दूसरा सवाल नहीं है । उन्होंने ो सहायक अभियन्ता का पूछा है ।

श्री रामकिशन: आपके पास फाइल है । आप बता दें कि डिवीजनल का क्या कर रहे हैं ? आपकी जानकारी में है ।

श्री अध्यक्ष: श्री कुमारानन्द ।

ब्यावर में चम्बल की बिजली

१४९. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या विधान सभा के गत अधिवेशन में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि चम्बल विद्युत ब्यावर में सन ६३ के जनवरी के पहिले हफ्ते तक पहुंच जायेगी ?

(२) यदि हां, तो क्या यह कार्य पूरा हो गया है ? नहीं, तो अब कब तक होने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक ।

श्री कुमारानन्द: माननीय मंत्रीजी ने पिछले सत्र में यह विश्वास दिलाया था कि सन् १९६३ जनवरी तक चम्बल की बिजली पहुंच जायगी, क्या यह सही है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा: यह अनुमान था कि १९६२-६३ के अन्त तक चम्बल की विद्युत ब्यावर को दे देंगे, लेकिन जो रिक्वायर्ड मैटिरियल, कन्डक्टर, असेसरीज आवश्यक थी वे उपलब्ध नहीं हो सकीं और फर्म नहीं दे सका । फर्म तैयार करता है, वह स्टील वायर इम्पोर्ट करता है । वह नहीं हो सका, इसलिए फर्म हमें डिलीवरी नहीं दे सका और हम ब्यावर को इलैक्ट्रीफाई नहीं कर सके ।

Page No.23

श्री कुमारानन्द: कब तक पहुंच जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा: नैक्स्ट फाइनैन्शियल इयर के एण्ड तक पौसिबल है । अभी तक इम्पोर्ट मैटिरियल नहीं मिला है इसलिए जिस फर्म को ऑर्डर पेश किया है उसने डिलीवरी देने में अपनी असमर्थता बतलाई है ।

श्री कुमारानन्द: इसका मतलब यह है कि कम से कम एक साल की देरी है ।

श्री परसराम मदेरणा: मैंने नैक्स्ट फाइनैन्शियल ईयर के अन्त तक इसलिए कहा है कि अगर डिलीवरी जल्दी हो गई तो जल्दी हो जायगा । पोल्स वगैरह का काम शुरू कर दिया है । पोल्स ट्रान्सफर कर दिये हैं और पोल्स लगाने वाला स्टाफ चला गया है । लेकिन जब तक कन्डक्टर और असेसरीज नहीं आतीं तब तक इलैक्ट्रीफाई नहीं किया जा सकता । यह न फर्म के हाथ की बात है और न गवर्नमेन्ट के हाथ की बात है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आश्वासन दिया गया, वह किस आधार पर दिया गया था ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह प्रोग्राम में इन्क्लूडेड है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा: प्रोग्राम में इन्क्लूडेड होगी या नहीं, यह तो जो इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम चॉक आउट होता है उस समय देखा जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास: आश्वासन दिया जाता है, वह महत्वपूर्ण होता है । क्या जो आश्वासन देते हैं वह इन परिस्थितियों को देख कर देते हैं या वैसे ही दे देते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा: इम्पोर्ट मैटीरियल बोटलनैक में आ जायगा, यह अनुमान नहीं था । यह सोच रहे थे कि फर्म का ऑर्डर पेश कर दिया गया है और वह रिक्वायर्ड मैटीरियल अवेलेबल कर देगा तो इलैक्ट्रीफाइ कर देंगे ।

श्री कुमारानन्द: मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि १९६३ के आरम्भ में चम्बल की बिजली ब्यावर पहुंच जायगी इसलिए कहा ।

श्री परसराम मदेरणा: एश्योरेन्स दिया था क्योंकि हमें यह अनुमान था कि इस समय तक मैटिरियल उपलब्ध हो जायगा तो इलैक्ट्रीफाई हो जायगा । यह नहीं हो सका, फर्म ने मैटिरियल नहीं दिया । फर्म कहता है कि इम्पोर्टड वायर स्टील नहीं मिल रहा है, इसलिए कन्डक्टर और असेसरीज नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्ष: फर्म के साथ क्या कौन्टैक्ट था ?

श्री परसराम मदेरणा: फर्म के साथ कौन्टैक्ट क्या था । ······

श्री अध्यक्ष: उसका उल्लंघन हुआ है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा: उनका यह था कि नम्बर ६२ में २५ माइल्स के लिए कन्डक्टर्स उपलब्ध करेंगे । अब उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड मैटिरियल नहीं मिला है, इसलिए नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष: मैंने यह पूछा :

"Is it a breach of the terms of the contract or not ? What is Government opinion ?"

श्री परसराम मदेरणा : That will be examined.

श्री अध्यक्ष : But it is very important. You should have examined. The House wants to know why it has been shifted for more than an year. We should be satisfied.

श्री परसराम मदेरणा : वह आखिर टाइम लिमिट दी है, अगर जल्दी होगा तो जल्दी कर देंगे। एश्योरेन्स देदें कि जल्दी करने वाले हैं लेकिन इम्पोर्टेड मैटिरियल पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : इम्पोर्टेड मैटिरियल देने की गारन्टी आपकी थी या कान्ट्रैक्ट में यह कन्डीशन थी कि इम्पोर्टेड मैटीरियल आयेगा तब यह काम होगा ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : If there has been any infringement of the agreement, the Government will take stern action.

श्री अध्यक्ष : What I mean is that it should have been taken long back.

श्री हरिश्चन्द्र : I cannot give assurance to the House whether there has been an infringement or not.

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि १९६२-६३ की योजना थी, उसमें जहां जहां बिजली पहुंचाने की स्कीम थी, उसमें ढिलाई हुई है या नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

निम्बाहेडा का सिनेमाघर

१५०. श्री **अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निम्बाहेडा सिनेमाघर स्वास्थ्य की दृष्टि से कहां तक अपूर्ण है ?

(२) क्या दर्शकों के लिये बारिश से बचने का सिनेमाघर के बाहर कोई साया है ?

(३) क्या सिनेमाघर के बाहर काफी कीचड रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या सिनेमा मशीन के कैबिन के ऊपर बॉक्स बनाना जनसाधारण के लिये हानिकारक नहीं है ?

(५) क्या संबंधित अधिकारियों ने कभी निम्बाहेडा सिनेमाघर की इमारत का मुआयना किया है ? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) निम्बाहेडा सिनेमाघर हवादार है व उसमें बिजली के पंखे लगे हुये हैं। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से साधारणतया ठीक है।

(२) जी नहीं।

(३) सिनेमाघर के आसपास भूमि समतल न होने से वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा हो जाता है।

(४) बॉक्स सुन्दर है व उसमें सुरक्षा के लिये आदेश लिखे हुए हैं।

(५) सम्बन्धित अधिकारियों के मुआयने के अनुसार सिनेमाघर में वायु एवं शौचादि की व्यवस्था संतोषप्रद है।

श्री अब्दुलजब्बार : जहां तक सैनीटेशन का सवाल है बाहर से देखने वाले आते हैं पब्लिक के लिये वर्षा में ठहरने का सवाल है, इसकी क्या व्यवस्था है ?

Who looks after their maintenance? Whether these are controlled and maintained by the cinema proprietors or landlords ? These are the main problems which are to be tackled by the Government and the licensing authority. My question is whether sanitary conditions of the cinema premises are properly controlled ? If not, what action is going to be taken ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : We have again asked the authorities to look into the matter. This is mainly the job of the Municipality, who will look into it, But if there is anything wrong within the cinema we shall correct it.

श्री अध्यक्ष : Shri Vijai Singh.

सरकारी औषधालय, नाथद्वारा के लिये नियत धन-राशि

१५१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या आयुर्वेद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नाथद्वारा सरकारी औषधालय किस श्रेणी का है तथा उसे औषधियों के लिये कितनी धन-राशि सालाना दी जाती है ?

(२) इस औषधालय में दैनिक मरीजों की संख्या कितनी रहती है ?

(३) क्या मरीजों की संख्या देखते हुए औषधियों के लिये नियत धन-राशि पर्याप्त है ?

(४) यदि नहीं, तो क्या सरकार धन-राशि बढ़ाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) नाथद्वारा औषधालय 'बी' श्रेणी का औषधालय है और 'बी' श्रेणी के लिए ६०० रुपया वार्षिक औषधि का कोटा निर्धारित है । परन्तु रोगी संख्या की अधिकता से इससे भी अधिक औषधियां दी जाती हैं ।

(२) औसत दैनिक रोगी उपस्थिति ३५० है ।

(३) जिन जिन औषधालयों से औषधियों की कमी की शिकायतें आती हैं उनकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है ।

(४) जनरल बचत से क्षतिपूर्ति की जाती रही है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विजयसिंह झाला : कितने मरीजों के पीछे कितना बजट दिया जाता है । इसके लिये कोई धनराशि तो निर्धारित होगी कि इतने की औषधियें दी जावेंगी ।

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकतानुसार सप्लाई की जाती है ।

श्री विजयसिंह झाला: मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक औषधालय में जहां ५०० मरीज आते हैं और दूसरे औषधालय में जहां १०० मरीज आते हैं, क्या उनके लिये एक ही प्रकार का प्रावधान है या कोई अन्तर है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी, नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार इस प्रकार का प्रावधान बनाएगी कि जहां ज्यादा मरीज आते हैं वहां ज्यादा रुपयों की औषधियां सप्लाई की जावें।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि प्रथम श्रेणी के लिये ५०००) रुपये की दवाईयां, बी श्रेणी के औषधालयों के लिये ९००) रु० और सी श्रेणी के लिये ५००) रु० की और जहां रोगी–संख्या अधिक होती है वहां जनरल बजट से अतिरिक्त भी देते हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि नाथद्वारा में ९००) रु० का बजट है। मगर १९५८–५९ में वहां १,८३६.६२ रुपये खर्च हुए जब कि वहां पर ९०० रु० का कोटा निर्धारित है।

१९६०–६१ में	३,८२९ रु०
१९६१–६२ में	३,७०३ रु०
१९६२–६३ में	२,६९२ रु०

की दवाइयां सप्लाई की गई।

इससे यह प्रमाणित होता है कि आवश्यकतानुसार दवाइयां दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष: Next, Shri Hari Kishan.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): क्या कारण है कि दूसरों को····

श्री अध्यक्ष: Next Shri Hari Kishan

राजगढ़ तहसील में सडकें

१५२. **श्री हरिकिशन** (राजगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(क) क्या यह सही है कि प्रथम व द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अलवर जिले की अन्य तहसीलों के मुकाबले में राजगढ तहसील में मीलों के अनुसार कम सडकों का निर्माण हुआ है जबकि राजगढ़ एक आदिवासी बहुजन संख्या वाला व बहुत पिछडा हुआ क्षेत्र है? क्या सरकार तृतीय पंच वर्षीय योजना में राजगढ़ जैसे पिछडे हुए क्षेत्र में आवश्यक सडक निर्माण को प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

(ख) राजगढ़ (अलवर) तहसील में रेणी को माचाडी से सड़क द्वारा जोडने के लिये निर्माण–कार्य कब शुरू किया जा रहा है?

(ग) क्या माचाडी से मौज़पुर तक की फेयरवैदर रोड को तृतीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर दिया गया है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं। सडक योजना जिला स्तर पर बनाई गई है। और जिला आधार पर निर्माण कार्य योजनानुसार कराये जायेंगे।

(२) यह सडक योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

श्री हरिकिशन: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि राजगढ तहसील में दूसरी तहसीलों के मुकाबले मीलों के अनुसार कम सडकों का निर्माण हुआ है? क्या सरकार ने इस तहसील में सडकों के निर्माण के लिये प्रोविजन किया है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: मैंने आपको अपने उत्तर में तहसीलवाइज कहीं नहीं कहा है। मैंने जिलावाइज कहा है। आपने राजगढ का पूछा है उसका मैंने उत्तर दिया है।

श्री हरिकिशन: पंच वर्षीय योजना में राज्य सरकार ने कोई विशेष बजट यहां की सडकों के लिये रखा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : Next, Shri Yogendra-nath Handa.

रायसिंहनगर थाने में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट को जीप की आवश्यकता

१५३. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (राय-सिंहनगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर थाने में गंगानगर जिले के सब थानों से अधिक कार्य है ?

(२) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट का दफ्तर है ?

(३) क्या यह सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास कोई जीप नहीं है ?

(४) क्या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जीप के अतिरिक्त किसी और साधन द्वारा राजस्थान पाक सीमा पर स्थित थानों का सुचारु रूप से नियंत्रण कर सकता है तथा इस क्षेत्र में जीप के बिना डाके, चोरी, पशुचोरी, लडाई,-झगडे, खून-खराबे, तस्कर-व्यापार आदि की रोक थाम कर सकता है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) :

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) दिनांक १८–१–६३ को एक जीप अलॉट कर दी गई है।

(४) वैसे गंगानगर जिले में यातायात के साधन ठीक है किन्तु अपराधों की रोक थाम के लिये जीप अधिक उपयोगी होती है और इसीलिये डी. वाई. एस. पी. रायसिंहनगर को जीप अलॉट कर दी गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद । प्रश्न संख्या १५४

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री **छोटूराम।**

आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों के अधिकारों संबंधी सुझाव

१५५. **श्री छोटूराम** (नीमकाथाना) क्या आयुर्वेद मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों के अधिकारों के संबंध में आयुर्वेद परामर्शदात्री-मंडल ने भी कुछ सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो क्या ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): जी हां, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है जोकि आयुर्वेद विभाग के लिये रुलस इत्यादि के अलावा कार्यवाहक रूप से चलाने का मैन्युअल तैयार करेगी ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष: कमेटी कब नियुक्त की गई ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, ऐसे कार्यों को करने में देर क्यों होती है ?

श्री अध्यक्ष: Next Shri Bhairon Singh.

राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा की गई खरीद

१५६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा सन् १९६१-६२ के लिये आमंत्रित टैन्डर के आइटम नम्बर २० पर लिखित क्लॉथ ऑइल वैक्सब्लैक सुपीरियर ५४।५६ इन्ची ७,००० गज मैसर्स राजस्थान स्टेशनरी स्टोर्स, जयपुर से ४.८९ नये पैसे प्रति गज की दर से खरीदा गया ?

(२) क्या यह सही है कि दूसरी कई फर्म्स ने कम रेट्स पर यह कपडा देने का टैन्डर दिया था पर वह स्वीकार नहीं किया गया ? यदि हां, तो किन किन फर्मों का कम रेट का टैन्डर अस्वीकार किया गया और क्यों ?

(३) टैन्डर आमन्त्रित करते समय कितने समय में माल सप्लाई करने की शर्त रखी गई थी ? क्या इस अवधि में उपरोक्त फर्म ने माल सप्लाई किया है ? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त फर्म ने सैम्पल के लिये ५ सैम्पल पेश किये जिनमें अन्तर पाया गया ?

(५) क्या यह सही है कि इस फर्म ने स्पेसिफिकेशन के अनुसार माल सप्लाई नहीं किया ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अभी पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये इसका उत्तर आगे टर्न पर दिया जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में निश्चित आदेश दिये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कई दफे हो चुके हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके हुक्म में हाउस को चलना चाहिये। नहीं चलता है तो उसके लिये आदेश दिये जावें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री घ्योपतसिंह (हनुमानगढ)।

भाखरा क्षेत्र में जंगल

१५७. **श्री घ्योपतसिंह** (हनुमानगढ) : क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने भाखरा क्षेत्र में जंगलात के लिए कुल कितनी भूमि रिजर्व की व कब से ?

(२) आज तक कितने एकड़ में जंगल लग चुका व कितनी एकड़ भूमि खाली पड़ी है ?

उप-मंत्री, वन विभाग (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) ७२१८.११ एकड (सन् १९५४-५५ से ५९६८.११ एकड़ और सन् १९६०-६१ से १२५० एकड़)।

२. ६४०० एकड़ में जंगल लग चुका है और ८१८.२२ एकड़ भूमि खाली पड़ी है जिसमें अगले सालों में वृक्षारोपण होगा।

Page No.29

श्री श्योपतसिंह : क्या मंत्री बतायेंगे कि कितनी जमीन पडी रही ? क्या सरकार से मांग की गई थी कि यह कल्टीवेशन के लिये दी जावे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है कि कितनी जमीन खाली पडी रही या कितनी जमीन की मांग की गई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): कितनी जमीन इसके लिये रिजर्व की गई उसमें से कितनी खाली रही ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका प्रश्न यह है कि सरकार ने माखरा क्षेत्र में जंगलात के लिए कुल कितनी भूमि रिजर्व की व कब से ? और दूसरा है कि आज तक कितने एकड में जंगल लग चुका व कितनी एकड भूमि खाली पडी है ?

श्री श्योपतसिंह : प्रश्न यह है कि कितनी जमीन खाली रही ? पहले उस जमीन में खेती होती थी। उसको जंगलात के लिये रिजर्व किया गया। यदि वह जमीन खाली नहीं पडी रहती तो वहां पर नाज पैदा होता। इस बात को आप महसूस करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसमें श्योपतसिंहजी की एप्लीकेशन भी है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं ढूंढूंगा। सम्भवतः है या नहीं, तलाश करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर श्री ज्वाला प्रसादजी भी एप्लीकेशन दें तो उनकी भी एप्लीकेशन कन्सीडर होगी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सेठ साहब, आपको एप्लीकेशन पर भी ध्यान दिया जायगा।

श्री श्योपतसिंह : प्रश्न तो अनाज की पैदावार का है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपके बच्चे मिलिटरी के स्कूल से आवेंगे उनके लिये जमीन रिजर्व करावेंगे।

श्री अध्यक्ष : Order Please

राज्य के पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स

१५८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कौन कौन कहां कहां पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स हैं और कब से नियुक्त हैं ? कृपया एक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद पर नियुक्ति के लिये क्या क्राइटेरिया है और यह नियुक्ति किस प्रकार से होती है ?

उप-मंत्री, न्याय (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स के संबंध में मांगी गई जानकारी देने वाली सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की नियुक्ति के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट वकीलों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त करते हैं और उनकी (वकीलों की) सिविल एवं क्रिमिनल प्रेक्टिस की योग्यता को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन्स जज की सम्मति के साथ सरकार के पास क्रमानुसार अपनी सिफारिश भेजते हैं जिसके पश्चात् सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : अब तक जो नियुक्तियों की लिस्ट दी है ये सभी नियुक्तियां जिला मजिस्ट्रेट ने जिन जिन के लिये सिफारिश की है, उन्हीं की हुई हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : इन नियुक्तियों में चार नाम ऐसे हैं जिनकी जिला मजिस्ट्रेट ने सिफारिश नहीं की और उनकी नियुक्ति सिफारिश के उपरान्त की गई ।

श्री अध्यक्ष : सिफारिश से आपका मतलब क्या है ? इन ऑर्डर ऑफ मेरिट्स से हैं या बिल्कुल ही सिफारिश नहीं की ?

श्री भैरोंसिह: जिनका एपोइन्टमेन्ट किया गया है वे नाम ४ या ६ नंबर पर थे।

न्याय मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये रूल्स बने हैं जो छपे हुए हैं। उसके मुताबिक नियुक्ति होती है। एक पैनल तैयार करते हैं । संबंधित जिला मजिस्ट्रेट वकीलों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त करके उनकी योग्यतानुसार डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन्स जज की सम्मति के साथ भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष : Excuse me आप पैनल की बात कहते हैं । डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है कि नाम मेरिट्स से आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: पैनल मांगते हैं, मगर इसके अलावा अगर किसी फर्स्ट मैन के खिलाफ कोई बात हो तो फर्स्ट मैन के बजाय सैकिन्ड और थर्ड को भी ले लिया जाता है ।

श्री भैरोंसिह: यह बात कोनसी है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो गवर्नमेन्ट का डिस्क्रीशन है ।

श्री भैरोंसिह : जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपके पास मेरिट्स पर एक पैनल बना कर भेज दिया है तो अगर कोई बात हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ध्यान में भी होना चाहिये और इसके लिये उनसे भी जानकारी की जानी चाहिये । अन्यथा निश्चित रूप से माना जायगा कि गवर्नमेन्ट अपनी इच्छानुसार एपोइन्टमेन्ट करती है ।

(१२ मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : Now, Next Question. श्री रामकिशन ।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्किल

१५९. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन का कोई अलग सर्किल है ? अगर हां, तो उसमें कुल कितना स्टाफ है ?

(ख) क्या सर्वे विभाग द्वारा जो योजनाएं सर्वे करके सिंचाई विभाग को दी जाती हैं उन योजनाओं को सिंचाई विभाग स्वीकार करने के बाद पुनः सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से सर्वे कराता है ?

(ग) अब तक गत वर्ष में सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्किल द्वारा कितनी लागत की योजनाएं भेजी गईं और उनमें से कितनी स्वीकार हुईं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : उस प्रश्न के संबंध में एक बात और पूछना है · · ·

Page No.31

श्री अध्यक्ष: वह प्रश्न तो समाप्त हो गया।

उप-मंत्री, सिचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (क) जी हां, एक सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, ३ एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर व १३ सहायक इन्जीनियर व अन्य लघु कर्मचारी हैं।

श्री रामकिशन: कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, जब तक भोंपू बजता है तब तक इन्हें बोलने को अलाउ न करें···

श्री दिनेशराय डांगी: (ख) जी हां, जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत हो तो।

(ग) जनवरी सन् १९६२ से दिसम्बर ६२ तक लगभग साढे चौदह करोड की परियोजनाएं सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्किल द्वारा तैयार की गई थीं जिनमें अभी स्वीकृति किसी को नहीं दी गई है।

श्री रामकिशन: बिल्कुल नहीं सुना साहब।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष, जब तक भोंपू बजे तब तक एक–दो मिनिस्टरों को बोलने को अलाउ नहीं किया जाय, खास तौर से आपको। आपकी आवाज वैसे ही धीमी है, इसलिये बिल्कुल नहीं सुना।

श्री दिनेशराय डांगी: माननीय सदस्य पते की बात तो सुनते नहीं हैं, गलत बात सुन लेते हैं। अच्छा फिर से दोहराता हूं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह समझ में नहीं आता कि आपके समय में ही भोंपू क्यों बजता है ? जब जब भी आप बोलने खड़े होते हैं तब तब भोंपू बोलता है।

श्री दिनेशराय डांगी: सुनिये, मैं फिर से सुनाता हूं।

(क) जी हां, एक सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर, ३ एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर व १३ सहायक इन्जीनियर व अन्य लघु कर्मचारी हैं।

(ख) जी हां, जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत होतो।

(ग) जनवरी सन् १९६२ से दिसम्बर ६२ तक लगभग साढे चौदह करोड की परियोजनाएं एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्किल द्वारा तैयार की गई थीं जिनमें से अभी स्वीकृति किसी को नहीं दी गई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): स्वीकृति क्यों नहीं दी गई है स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी: जो स्कीम सर्वे की जाती हैं वह पहले से बजट के अनुसार नहीं की जाती है, सर्वे होने के बाद गवर्नमैन्ट के पास आती है तो फिर बजट स्वीकार किया जाता है।

श्री रामकिशन: मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि जहां जरूरत होती है तो दुबारा सर्वे कराई जाती है। तो कहां जरूरत होती है और कहां जरूरत नहीं होती है यह नहीं बताया।

श्री दिनेशराय डांगी: जो योजनाएं सर्वे एण्ड इन्वैस्टीगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सर्वे कराई जाती है, उनमें दूसरे टैक्निकल पर्सन्स की राय की आवश्यकता रहती है या कोई कमी रह जाती है तो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट भी अपनी राय देता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सर्वे एण्ड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन में डिफरेंस हो तो कौनसा प्रोसेस अडोप्ट किया जाता है ? दोनों में से किसकी राय को माना जाता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस प्रश्न में डिफरेंस का सवाल पैदा नही होता । जब जरूरत समझी जाती है तब दुबारा सर्वे कराई जाती है ।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : With your permission, I may clarify the entire position.

श्री अध्यक्ष : आप एक बात और बता दीजिये, प्रश्न के उत्तर में कहा कि साढे चौदह करोड की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं मंजूर एक भी नही हुई है। तो इन १४ करोड की योजनाओं को स्वीकृत होने में कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री भीखाभाई : चौदह करोड की योजनाएं हैं उनमें प्रायः योजनाएं मीडियम स्कीम्स की हैं । इसको करने में दो साल लगते हैं और सैंक्शन में डेढ, दो साल लग जाते हैं । यह विभाग नहीं हो तो हमारा बहुत सा काम रुक जाता है; पहले यह विभाग नहीं था तो हमें बडी कठिनाइयां होती थीं । चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये योजनाएं तैयार करके रखी हैं । एक सर्वे के साइट कई बार बदले जाते हैं; कही फाउन्डेशन नहीं है तो साइट बदलनी पडती है······

श्री अध्यक्ष : इतने लम्बे भाषण की आवश्यकता नहीं है । सर्वे का एक प्रोसेस होना चाहिये । आज सर्वे की तो कल सैंक्शन होनी चाहिये । आपका प्रोग्राम लो डाउन हो रहा है तो भी क्या आप समझते है कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना की योजनाएं अभी बना लेंगे ?

श्री भीखाभाई : एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से सर्किल के पास जाती हैं, सर्किल से चीफ इन्जीनियर के पास आती हैं फिर भी कमी हुई तो री-सर्वे का ऑर्डर होता है । इस लिये कन्टीन्यू प्रोसेस रखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक के लिये योजना तैयार करके रखी हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट को जिन स्कीम्स की सर्वे किये हुए कई वर्ष हो गये, उन योजनाओं का क्या हुआ ?

श्री रामकिशन : जो कुछ हमारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य था वह तो आपके उत्तर से साफ नहीं होता । आपने तो प्रोसेस ही बता दिया । हमने तो यह पूछा था कि आपका सर्वे का काम जारी है तो पहले जिन जिन स्कीम्स की सर्वे हो रखी है, उनमें से किन किन को पहले लेंगे ?

श्री भीखाभाई : सर्वे कराने के बाद साजी की योजना है, कटली की योजना है । सब मुझे याद हैं । उन योजनाओं के बारे में पूछते हैं । साजी की योजना के बारे में अलवर के माननीय सदस्य पूछते हैं,उसकी फाउन्डेशन नहीं आई । कटली की योजना है उसमें फाउन्डेशन नहीं आई । कहीं वैस्ट वेयर नहीं है कहीं रोक्स नहीं मिलती हैं । कहीं रोक्स मिलती हैं तो पानी निकलने वाली रोक्स होती हैं । तो इस प्रकार की कई कठिनाइयां होती हैं जिनके कारण कि सर्वे होने के बाद में कई बार साइट बदलने की आवश्यकता रहती है, सर्वे में टाइम लगता है····

श्री रामकिशन : जो पूछा उसका जवाब तो दिया ही नहीं······

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलेने लगे)

श्री गिरधारीलाल व्यास: जिन योजनाओं का सर्वे किये कई वर्ष हो चुके हैं, सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट के द्वारा सर्वे हुए १०-१० वर्ष बीत चुके हैं। उनको अभी तक क्यों नहीं लिया गया है?

श्री रामकिशन: मन्त्री महोदय ने इतना लम्बा भाषण दिया तो प्रश्नकर्ता को भी उतना ही टाइम दिया जाय। जो पूछा है उसका जवाब तो मिला नहीं। जो योजनाएं पडी रहती हैं उनका क्या होता है? इसका जवाब नहीं दिया।

श्री हरिकिशन (पाटन): ग्रो मोर फूड कम्पेन के सिलसिले में जो स्कीम्स बनी थीं, वे क्या इस समय काम में नहीं ली जा सकतीं?

श्री भीखाभाई: यह अलग सवाल है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: जो स्कीम्स पैण्डिगं हैं उनका तो बता दें। जिनका सर्वे १० वर्ष पहले सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट के द्वारा हो गया उनके बारे में क्या हो रहा है?

श्री भीखाभाई: आप किलोली की स्कीम में इन्ट्रेस्टेड हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: किलोली के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं निगाडी के बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए। विधायी कार्य।

(शेष प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Bill, 1962.

(१२.८ म. प.)

राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९६२

(पारित)

The Motion has been moved. I now put it to vote.

प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (सैकन्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

The Motor Vehicles (Rajasthan Amendment) Bill, 1963.

मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक १९६३

(विचार-विमर्श एवं पारित)

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि मोटर विहिकल्स (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक संशोधन था कहां चला गया ? अंग्रेजी शब्दों के बजाय हिन्दी के लिए था ।

श्री अध्यक्ष: अब आप बोल लीजिये ।

श्री रामकिशन: इसमें लम्बा बोलने की जरूरत नहीं है । सिर्फ यही था कि हिन्दी के शब्द अंग्रेजी शब्दों के बजाय रखे जायं ।

श्री अध्यक्ष: सरकार की क्या नीति है कि हिन्दी में लाये जावें ।

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अभी तो हिन्दी में न लाकर अंग्रेजी में ही लाये जा रहे हैं ।

श्री रामकिशन: मध्यप्रदेश में तो हिन्दी में लाये जा रहे हैं ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : पूरे का पूरा हाउस ही अंग्रेजी नही जानता है तो उनको अपनी राय से क्यों वंचित रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की नीति हिन्दी में काम करने की है और इसको वे कई दफा सदन में भी घोषित कर चुके हैं ? उसके बावजूद भी ये हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में क्यों होते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र: अक्षर तो हिन्दी में ही लिखे जावेंगे । आर. का आर. ही होगा ।

श्री रामकिशन: अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं उनको हिन्दी में लिखिये ।

श्री अध्यक्ष: रोमन में लिखा जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से व्यवस्था होनी चाहिये । बार बार कहा गया कि हिन्दी में होना चाहिये, लेकिन फिर भी अंग्रेजी के शब्द लाये जाते हैं । आगे से इनको लिया ही नहीं जाय तो ठीक रहे ।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था किस बात की ?

श्री मुरलीधर व्यास: किसी भी संशोधन की ।

श्री अध्यक्ष: किसी भी संशोधन की बात न करें ।

श्री मुरलीधर व्यास: आपकी व्यवस्था हो जाय ।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था कई दफा हो गई है । आखिर मूल विधेयक की जो भाषा होगी तो संशोधन भी तो उसी में लाये जावेंगे । यदि माननीय सदस्य की बात मान लें तो आधा बिल हिन्दी में और आधा अंग्रेजी में होगा । यह उचित नहीं है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : अध्यक्ष महोदय, पूरा ही बिल हिन्दी में क्यों नहीं बना लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष: Order please ! Let us move another motion also.

श्री हरिश्चन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर व्हिकिल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोटर व्हिकिल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

बिक्री कर विधेयक ।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

क्लाज २, श्री विजयसिंह ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a formal amendment. I would request if Mr. Vijay Singh can withdraw.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I cannot withdraw.

श्री अध्यक्ष : First let him make a speech if he likes and then he may withdraw.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज २ में मेरा एक छोटा सा संशोधन है । संशोधन इस प्रकार है :--

Delete the words "accompanied where the application is made by the dealer, by a fee of Rupees one hundred."

और मैं आशा करता हूं कि इसको स्वीकार किया जायगा । इस अमेन्डमेन्ट को लाने का जो उद्देश्य है वह स्पष्ट है कि सेल्स टैक्स आथोरिटी को हाइकोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया गया है और मैं समझता हूं कि इस संशोधन से आपका जो उद्देश्य यह संशोधन लाने का है उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आवेगा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है रेवेन्यू बोर्ड के किसी निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करता है तो उस अपील के साथ १००) रु. की फीस लगाई गई है वह माफ कर दी जाय । अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति पहले तो वह इन्फीरियर कोर्ट से लड़ता–लड़ता सुपीरियर कोर्ट में जाता है, सुपीरियर कोर्ट तक पहुंचने में ही काफी सर्फा हो जाता है और वहां भी उसको न्याय नहीं मिलता है तो वह हाईकोर्ट में जाता है और उसको साथ में १००) रु० और देने पडेंगे यह अवैधानिक है और इसको माफ कर देना चाहिये । इसके प्रावधान के हिसाब से सेल्स टैक्स आथोरिटी को सौ रुपये देने की आवश्यकता नहीं होती है । कानून सबके लिए होता है । फन्डामेन्टल राइट्स कान्स्टीट्यूशन में हैं, यह उसके भी विपरीत है कि सेल्स टैक्स आथोरिटी को तो न देना पडे और दूसरे को देना पडे । इसलिये सौ रुपये की फीस माफ कर दी जाय और इस क्लाज में से ये शब्द,

"Where the application is made by the dealer by a fee of Rs. 100/-;".

हटा दिये जायं ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, इसके समर्थन में मुझे भी कहना है। जब हाई कोर्ट में केस रैफर किया जावेगा तो व्यापारी को सौ रुपया कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा । यह बात सिद्धान्ततः और न्याय के भी खिलाफ है । फीस लगाने से तो पाबन्दी हो गई । रेवेन्यू बोर्ड वगैरह केस रैफर करते हैं । इसमें लिखा है कि कानूनी मुद्दा खडा हो जाय और विवाद हो तो उस वक्त कोर्ट को सौ रुपया देना पड़ेगा और हाईकोर्ट को रैफर कर सकते हैं । व्यापारी से फीस ली जाय, यह सिद्धान्ततः और न्याय के विपरीत है । कोई कानूनी विवाद है और रेवेन्यू बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा है तो खुद को रैफर करना चाहिये । मंत्री महोदय वकील रह चुके हैं और उनको तो इस प्रकार का संशोधन पेश नहीं करना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री कर): वकील रह चुके हैं तब ही तो महत्व समझ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सिलेक्ट कमेटी में जाने से पूर्व असैसिंग आथोरिटी को सौ रुपये की फीस दाखिल करने का प्रावधान रखा हुआ था । यहां प्रश्न,अध्यक्ष महोदय, यह है कि हाईकोर्ट में जाने से पूर्व लिटिगेशन हाईकोर्ट में ऐसे न हों, निरर्थक केसेज हाईकोर्ट में न जायं, इस कारण इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये डीलर पर यह फीस रखी गई है । दोनों को एक फूटिंग पर नहीं रखा है । असैसिंग आथोरिटी चूंकि स्टेट और डिपार्टमेन्ट को रिप्रेजेन्ट करता है इसलिए सिलेक्ट कमेटी ने वह हटा दिया । लिटिगेशन आगे न बढ़ने के आधार पर और दूसरे ऐसे कानून हैं जिनमें प्रावधान है उनसे परे यह प्रावधान न हो इस कारण सौ रुपये की फीस रखी है । माननीय सदस्य का सिलेक्ट कमेटी ने युनैनिमसली वर्डिक्ट दिया इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संशोधन नहीं है ।

श्री रामकिशन : किस लिये डीलर के लिए रखना चाहते हैं ? असैसिंग आथोरिटी के लिए क्यों नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जवाब दे दिया ।

श्री रामकिशन : जबाव दब गया । जबाव देने के अभ्यस्त हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज २ में जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री रामकिशन : आवाज से तो 'हां' पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष : 'ना' पक्ष जीता । संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज २ विधेयक में अंगरूप से जोडा गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अब के जीत गये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १: प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आपने जो प्रस्ताव किया है वह स्वीकार किया जाय।

श्री रामकिशन : केवल मन्त्री के अलावा किसी ने 'हां' नहीं किया है, साहब इसका मतलब कोरम पूरा नहीं हुआ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिजनेस रूल्स देखिये। यों ही मत उठाइये सवाल।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(१२.२१ म. प.)

राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री **मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री **अध्यक्ष**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विधेयक है जिसका प्रभाव नागरिकों के अधिकारों पर बहुत सा पड़ेगा और पुलिस अवैधानिक रूप से इस विधेयक के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करके अकारण लोगों को जेलों में ठूंस देगी। इसलिये यह आवश्यक है कि इस पर विचार करने से पूर्व इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। यह मैं प्रस्ताव रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अनुसार उस पुलिस को और माननीय गृहमन्त्रीजी के उस विभाग को इस विधेयक का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है जो आज दिन तक केवल गृह-मन्त्री महोदय के इशारों पर नाचती रही है और जिस पुलिस से स्मगलिंग कराने का कार्य कराया जाता है। इसके एक दो

(श्री विजयसिंह झाला)

उदाहरण आपके सामने प्रमाण के रूप में रखना चाहता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे गृह मन्त्रीजी की इसमें अनुमति नहीं है। इसलिये इस समय तो अधिक नहीं रखकर केवल एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूंगा जिसको सुनकर आप जान सकेंगे कि ऐसी पुलिस को इस विधेयक के द्वारा दिये गये अधिकारों का कहीं तक सदुपयोग हो भी सकेगा या नहीं। तारीख ७-१-६३ को गांव वैंगू में जीप नम्बर ७९४५ में एक अफ़ीम पकड़ी गई थी; सब-इन्सपैक्टर साहब एक थे उनके द्वारा यह जीप जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी की थी।

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक के सम्बन्ध में ही आप बोलिये।

श्री विजयसिंह झाला : वही मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि जिस पुलिस के ऐसे कारनामे हैं, उसके हाथों में इतनी शक्ति दे देना····

श्री अध्यक्ष : पुलिस बजट पर बहस होगी तब आप कह दें।

श्री विजयसिंह झाला: मैं तो सिर्फ एक ही उदाहरण इस तरह का देना चाहता हूं जिससे मालूम हो सके....

श्री अध्यक्ष: यह उदाहरण रिलेवेन्ट नहीं है। डिमान्ड के वक्त विस्तार से आप कह सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : कट मोशन के समय, ठीक है, मैं तब रक्खूंगा।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस अवैधानिक रूप से कार्य करती है, अकारण लोगों को तंग करती है और इसके लिये वह बदनाम है। उसी पुलिस को अधिकार इस विधेयक के द्वारा और दिये जावेंगे तो यह जनता को दबाने का एक और साधन सरकार के हाथ में और पुलिस के हाथ में दे दिया जावेगा। अब इनका जो चालान होगा वह एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होगा। मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि इन एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के जितने भी न्याय होते हैं उनके न्यायलयों में वे सब पक्ष-पातपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हमारे मिनिस्टरों की गाइडेन्स से चलते हैं और उसी के अनुसार उनका न्याय होता है। नाथद्वारा नगर में जनसंघ के कार्य-कर्त्ताओं पर कितने ही केसेज़ चलाये गये। एक दो नहीं आठ-आठ और दस-दस केस लगाये गये। उनको इन एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों के सामने पेश किया जाता है बिना आधार पुलिस चालान करती है और बिना कारण के उनको दन्ड दे देते हैं।

ऐसी स्थिति में इस विधेयक द्वारा आप उनको और अधिकार दे देंगे तो उनके भी निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा। कुछ दिन पहले इस विधेयक के नहीं होते हुए भी क्या किया पुलिस ने कि नाथद्वारा में एक जगह है जहां आम तौर पर जनसंघ की और दूसरी पार्टियों की मीटिंगें होती रहती हैं, तो वहां मीटिंगें करने पर रोक लगा दी और इसलिये लगा दी कि वहां पर जब तक समाजवादी पार्टी या जनसंघ की तरफ से मीटिंगें और वैठकें होती थीं, और लोग कांग्रेस की मीटिंगों से भी इन मीटिंगों में बहुत ज्यादा वहां इकट्ठा होते थे तो विरोधी पार्टी की बातें जनता तक न पहुंचने पावें इस उद्देश्य से और लोग भी उनकी मीटिंगों

Page No.39

(श्री विजयसिंह झाला)

में अधिक इकट्ठे न होने पावें इसलिये ट्राफिक एक्ट में उस स्थान पर मीटिंगें करने पर रोक लगा दी। तो इस कानून के बन जाने के बाद तो उनके हौसले और भी अधिक बढ़ जावेंगे और जहां कहीं विरोधी पार्टियों को मीटिंगें करने का अवसर मिलेगा उस स्थान पर उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे।

साथ ही कई बातें इसमें अस्पष्ट हैं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। क्लॉज़ ५ में कई बेलगाम अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिये गये हैं कि जिसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। वह किसी भी समय किसी भी स्थान पर कोई भी रोक लगा सकता है। जब कि क्लॉज़ (४) में स्पष्ट है कि जहां पर पब्लिक कोर्ट्स बने हैं या और पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं वहां पर उनके कार्य करने के समय में भी मीटिंग नहीं होनी चाहिये और रात के समय भी अधिक समय बाद नहीं करना चाहिये। यह सब-क्लॉज़ (४) में आ जाता है। इसके बाद क्लॉज़ पांच की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसमें मजिस्ट्रेट जब चाहेगा किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी मीटिंग करने से मना कर देगा, फिर लाइसेन्स मीटिंग करने का भी लेना पड़ेगा और डी. एम. अगर नहीं देगा तो शहर में कोई भी मीटिंग करने का अधिकार नहीं रहेगा।

सिलेक्ट कमेटी ने बहुत से क्लॉज़ेज इसमें से निकाल दी थीं। उनका उद्देश्य यही था कि इसको लिमिटेड बनाया जावे और लाउड स्पीकर, साउन्ड एम्प्लीफ़ायर तक शामिल किया जावे। लेकिन ये सारी बातें होते हुए भी क्लॉज़ ५ में सिलेक्ट कमेटी का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि सिलेक्ट कमेटी क्लॉज़ चार तक अधिकार देना चाहती थी, पांच की आवश्यकता नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई अफसर या गवर्नमेन्ट के किसी व्यक्ति को इसका अधिकार दिया गया है कि वह जब भी कभी किसी समय किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को या पार्टी को मीटिंग करने से मना कर सकेगा और उसमें नोटिस उसको किस प्रकार का दिया जावेगा, यह स्पष्ट नहीं है। नोटिस प्रेस्क्राइब्ड होगा, यह तो समझ में आ सकता है; पर इसके बाद भी एक बात और रखी है :

"and in such other manner as he thinks fit....."

इसका क्या तात्पर्य होता है? कभी किसी के कानों में भी जाकर कह दे और इसी को उपयुक्त समझ ले और वह जनता तक नहीं पहुंचे और बाद में पब्लिक मीटिंग कर दे तो वे गिरफ्तार किये जा सकेंगे। तो प्रेस्क्राइब्ड नोटिस ही रखा जाता या कोई गजट में छापा कराने या नोटिस निकालने के बाद ही इस तरह से हो सकेगा, यह तो समझ में आ सकती है बात, पर "as he thinks fit" की बात समझ में नहीं आती। यह हानिकारक बात है।

क्लॉज़ ५ में है कि किसी न्यायालय या कोर्ट के सामने पब्लिक मीटिंग करना या कोई साउन्ड एम्प्लीफ़ायर नहीं बजा सकेंगे उसके वर्किंग अवर्स में। पर पास में मकान होगा उसके अन्दर वह अपना रेडियो बजा रहा है तो इस प्रोविज़न के हिसाब से तो वह भी कानून की परिधि में आ जावेगा। तो यह एक बहुत ही अजीब प्रोविज़न है। लेकिन

(श्री विजयसिंह झाला)

इसके साथ ही साथ मान लो कि उस मकान के बाहर कोई रेडियो सुनना चाहता है, जैसे कि बहुत से पोर्टेबल रेडियो हो गये हैं तो वह रेडियो उस बाउन्डरी में नहीं सुन सकेगा। जब किसी प्रकार का डिस्टरबेन्स पास के इन्स्टीट्यूशन को नहीं होता है तो इस प्रकार लिमिट बनाने की क्या ग्रावश्यकता थी? दरअसल में उस कोर्ट को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई नॉयज नहीं उठती है, तो फिर मान लो कि कोई रेडियो सुनेगा या मोटर में किसी के रेडियो लगा है और ग्राउन्ड के पास से निकलेगा तो क्लॉज़ ४ के अनुसार उसका चालान हो सकेगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं रखी है।

साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बहुत सी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो कि प्राइवेट रन करती हैं उस प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन को किसी प्रकार का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। हमारे राजस्थान में विद्याभवन, उदयपुर ऐसी इन्स्टीट्यूशन है जो कि सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। राजस्थान विद्यापीठ है या राजस्थान में और भी कई प्रकार की प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं वहां आसपास कोई भी मीटिंग करेगा या डिस्टर्ब करेगा तो इस एक्ट के अनुसार इस क्लॉज़ का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिये मैं यह समझता हूं कि साथ साथ यदि किसी एक उद्देश्य को लेकर किसी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन को कोई अधिकार देते हैं, किसी प्रकार की सुविधा देते हैं, तो कोई कारण नहीं होता कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन जो कि एजूकेशन के बेसिस पर रन करती है उससे इसको वंचित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ धारा ५ के लिये कहा है कि इसमें इस प्रकार की अनलिमिटेड क्लॉज है कि किसी प्रकार की लगाम इस पर नहीं है और जब भी कोई मजिस्ट्रेट चाहेगा किसी का भी चालान कर सकेगा और यह रोक लगा सकेगा कि इस प्रकार का लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिये। साथ ही साथ क्लॉज़ ८ में एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है। परन्तु मैं यह मानता हूं कि जब कि हमारे यहां ऑलरेडी मुन्सिफ़ मजिस्ट्रेट हैं तो उनको यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाये; अध्यक्ष महोदय, पुलिस की यह इच्छा रहती है कि जब कोई इस प्रकार का केस हो जब कि विरोधियों को दण्ड दिलाना होता है तो वह एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सारा केस पेश करते हैं। इसका उदाहरण नाथद्वारा के नागरिकों का और कार्यकर्त्ताओं का रखा। तो मैं यह समझता हूं कि यह चालान करने का अधिकार मुन्सिफ़ मजिस्ट्रेट को होना चाहिये ताकि सही न्याय मिल सके। इन बातों के साथ मैं प्रस्ताव करूंगा कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाये, क्योंकि इसमें नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का प्रश्न है और बहुत से इसमें दोष हैं जिनके ऊपर जनमत जानना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: श्री मुकुटबिहारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति की मन्ज़िल तय करके संगीत और कोलाहल नियन्त्रण बिल सदन में प्रस्तुत हुआ है। जिस रूप में यह बिल शुरू शुरू में सदन में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
आया था इसका वह रूप तो बड़ा ही वीभत्स था। प्रवर समिति ने इसकी कुरूपता को दूर करने का काफ़ी प्रयत्न किया है और काफ़ी मेक-अप भी किया है। लेकिन इस सारे मेक-अप के बाद भी मैं सादर विनती करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह बिल सुन्दर नहीं बन सका है····

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : चेचक के बड़े बड़े दाग हैं क्या?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चेचक के दागों से कोई नुकसान नहीं होता; लेकिन इसके साथ ही साथ किसी मनुष्य का चेहरा कुरूप हो, लेकिन उसका हृदय साफ़ हो, भावनायें सुन्दर हों, तो मैं मानता हूं कि उस मनुष्य को सुन्दर कहेंगे। इस सारी कुरूपता को दूर करने के प्रयत्न के बाद भी इस बिल का हृदय कुरूप है। इसलिये मैं कहता हूं कि उस हृदय को सुन्दर बनाने के लिये इस बिल को जनता की अदालत में भेज दिया जाये ताकि वह इसका हृदय भी सुन्दर बनाये, इसमें नवीन विचार भर दे। इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह कह दिया जाये कि संगीत बन्द हो जाये ऐसा नहीं है। जिस उद्देश्य से यह बिल लाया है उस उद्देश्य में एक उद्देश्य यह भी सम्मिलित था····

(१२.३५ म. प.)

(श्री केसरीसिंह सभापति, पदासीन)

कि पब्लिक मीटिंग्ज जो कि राजनैतिक लोग करते हैं उन मीटिंग्ज को करना कठिन कर दिया जाये। सभापति महोदय, इस वैधानिक युग के अन्दर जीवन का विकास हुआ है, आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, नये नये नगर उठे हैं और जिन्दगी का जितना विकास हुआ है कोलाहल का भी विकास हुआ है, ज़िन्दगी के बनने का भी विकास हुआ है। एक मनुष्य हज़ारों व्यक्तियों के सम्पर्क में आया है और इस समाज के अन्दर आवश्यक हो गया है और इसके साथ ही साथ संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या, समस्यायें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक––उन्होंने यह आवश्यक कर दिया है कि मनुष्य सदैव एक दूसरे के सम्पर्क में रहा है। जहां ज़िन्दगी का विकास हो रहा है वहां प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगा कर सभ्यता ने जन्म लिया। सभ्यता प्रवृत्तियों के नियन्त्रण से पैदा हुई है। यह ठीक है कि सभ्यता की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है, यह ठीक है कि कुछ प्रवृत्तियों को रोक कर ही हम सभ्यता को कायम रख सके हैं, लेकिन इस सभ्यता के साथ साथ यह भी ज़रूरी हो गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उसके जीवन में हस्तक्षेप न हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल की आवश्यकता को तो मैं समझता हूं कि आज नगरों के अन्दर जो कोलाहल हो रहा है जो कि आम दफ्तर के कामों में या सारे मनुष्य के जीवन में या उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करता है।

सिनेमा के प्रचार लाउड स्पीकर्स के द्वारा या एक पड़ौसी का दूसरे पड़ौसी के जीवन को दुर्लक्ष्यपूर्ण बना देना कोलाहल के द्वारा और गलियों और सड़कों के अन्दर सैकड़ों माइक्रोफ़ोनों के द्वारा कोलाहल उठा देना, उसके नियन्त्रण की भावना आवश्यक है और मैं इसको मानता हूं। लेकिन जहां इस चीज़ के ऊपर रोक लगा देना कि एक मनुष्य अपने विचारों को समाज के अन्दर रख सके, एक मनुष्य अपने राजनैतिक विचार

Page No.42

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को समाज के अन्दर रख सके, एक सोसाइटी फंक्शन रख सके या एक नौनपोलिटिकल एसोसियेशन अपने कुछ सिद्धान्तों को समाज के अन्दर रख सके यह बिल लाउड स्पीकर्स के ऊपर रोक लगाता है और यह बिल में कर दिया है कि मजिस्ट्रेट कहीं भी किसी भी संगीत को या किसी भी भाषण का जो एम्प्लीफिकेशन हो उसको रोक सकता है। ऐसा स्पष्ट इसके क्लॉज़ ४ में लिखा हुआ है। सभापति महोदय, इसका उदाहरण जिस प्रकार से समाज में बसने वाले व्यक्तियों के जीवन में यह बिल पुलिस का हस्तक्षेप करवाता है ऐसा हस्तक्षेप पुलिस पहले कभी नहीं कर सकती। पुलिस के संबंध में समाज की विचार धारा अच्छी नहीं है। पुलिस के संबंध में आम लोगों के तजुर्बे अच्छे नहीं हैं। यह बात आम तौर से लोगों के हृदयों में घर करती चली जा रही है और पुलिस ने इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया है, ऐसे कार्य किये हैं कि इस सत्य ने हमारे हृदयों में घर बना लिया है कि पुलिस रक्षक नहीं भक्षक है। डेकोइटी, लूट, नक़बज़नी, चोरियां समाज के अन्दर कानून की व्यवस्था को कायम करना, समाज के अन्दर अमन को कायम करना इसके अन्दर पुलिस बुरी तरह से फ़ेल हुई है और गवर्नर महोदय ने भी अपने भाषण के अन्दर इस चीज़ का स्पष्ट इंगित किया है कि हमारी लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति साधारण रही है। "Nothing more than ordinary" यानी साधारण से कुछ भी अधिक नहीं रही है, साधारण के कम ही रही है और फिर पुलिस को यह अधिकार दे दिया जाये कि किसी के यहां लाउड स्पीकर बज रहा है तो पुलिस उसके घर में प्रवेश कर सकती है, चालान कर सकती है, सब-इन्सपेक्टर उसकी इन्क्वायरी कर सकता है। आप पुलिस को ऐसी ताकत दे रहे हैं कि समाज के अन्दर किसी भी सभ्य व्यक्ति का रहना कठिन हो जायेगा; लेकिन रात-दिन पुलिस की छत्र छाया में तस्कर व्यापार चल रहा है उसको कोई नहीं रोकता है। लेकिन यह गम्भीर सत्य है। अगर आज किसी के यहां रेडियो है, पुलिस कल को यह कह देगी कि बड़ी ऊंची आवाज़ के अन्दर इसको बजा रहे थे इसका एम्प्लीफ़िकेशन हो रहा था और पुलिस ४ सबूत भी पैदा कर लेगी। पुलिस के अपने गवाह हैं। यह एक परम्परा रही है। तो क्या आप इस बिल के ज़रिये एक मनुष्य को, एक सभ्य इन्सान को पुलिस के पैरों के तले दबा देना चाहते हैं? इस प्रकार के अधिकार पुलिस के हाथों में देकर आप आज एक सभ्य इन्सान को समाज के अन्दर नहीं रहने देना चाहते?

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, यह अगर इस बिल में आ जाता कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी अपने प्रचार के लिये मीटिंग्ज़ कर सकती हैं और उस मीटिंग के सिलसिले के अन्दर जो एम्प्लीफायर्स या लाउड स्पीकर्स प्रयोग में आते हैं वे स्वीकार हैं। अगर यह इसमें आ जाता कि कोई भी एसोसियेशन या कोई भी नान-पोलिटिकल सोसाइटी या कोई भी पोलिटिकल सोसाइटी या कोई भी एकेडेमी या इस प्रकार की संस्था लाउड स्पीकर्स का उपयोग कर सकती है तो मैं समझता हूं कि इस बिल की मांग विचाराधीन होना जरूरी है; लेकिन यह नहीं है। फिर एमरजेन्सी को ध्यान में रखते हुए जब कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपने देश में बढ़ रही हैं, जब कि आज साम्राज्यवादी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
शक्तियां अपने इस देश के अन्दर बढ़ रही हैं, जब कि रीएक्शनरीज एक गुट्ट बना कर सारी समाजवादी व्यवस्था को तोड़ देना चाहते हैं, जब कि यह आवश्यक हो गया है कि उनके विरुद्ध एक जिहाद बोला जाय। जो हमारा समाजवादी प्लान है, जो आर्गेनाइज्ड प्लान है जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिये आवश्यक है उनको वे कुंठित कर देना चाहते हैं। वे प्रतिक्रियावादी इस एग्रेशन का फायदा उठा कर यह कहना चाहते हैं कि हमारा ध्यान डिफेन्स में नहीं लगे उसके अन्दर हर्डल पैदा करना चाहते हैं, ऐसे समय के अन्दर एम्प्लीफायर पर रोक लगा दें और इस बात को बन्द कर दें। ये हमारे नेशनल डिफन्स के विरुद्ध हैं तो आवश्यकता तो इस बात की है कि एम्प्लीफायर्स और लाउड स्पीकर्स का यूज पोलिटिकल पार्टीज को खुले आम करने का अधिकार दिया जाय, ताकि जो हमारी वैदेशिक नीति पर खुला आक्रमण हो रहा है, हमारे आर्गेनाइज्ड कान्क्रीट प्लान्स के ऊपर जो घातक आक्रमण हो रहा है, पब्लिक सेक्टर के फंक्शनिंग पर जो घातक आक्रमण हो रहा है, जब कि आज पूंजीपति अखबारों को अपने हाथ में लेकर नग्न नृत्य करने लगे हैं, कुछ लोग हमें अमेरिका की झोली में फेंक देना चाहते हैं; ऐसे समय में मेरी समझ में नहीं आता कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर.......

श्री जोधसिंह गिरवा: आप रूस की झोली में जाना चाहते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इनके विरोध को ध्यान में रखते हुए कोई भी पोलिटिकल या राजनैतिक पार्टी एम्प्लीफायर्स को प्रयोग में ला सके यह इसमें होना चाहिये, क्योंकि पूंजीपतियों के पास में प्रेस हैं, वे सब आज अमेरिका की आवाज को बुलन्द करते हैं। आचार्य कृपलानी के इलेक्शन में जिन लोगों ने अमेरिका से पोस्टर भेजे हैं आज उन्होंने हमारे अखबारों को खरीद लिया है और जो आज लोग समाजवाद के लिये लड़ रहे हैं उनके पास सिर्फ माइक्रोफोन है और उनके फेफड़े हैं और उनके सिद्धान्त हैं। आज आप उनके माइक्रोफोन को कुंठित कर देना चाहते हैं। इसलिये उस साम्राज्यवादी आर्गेनाइज्ड विद्रोह को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पब्लिक सर्क्युलेशन के लिये भेज दिया जाय या बिल्कुल ही ड्राप कर दिया जाय।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): माननीय चेयरमेन महोदय, कोलाहल एवं संगीत नियन्त्रण विधेयक आज हाउस में विचाराधीन है। उसके जरिये इसके आगे-पीछे का नहीं देखते हुए हमारे अधिकारी मिनिस्टर महोदय जिन्होंने सन् ४७ से पहले कभी राजनीति में भाग नहीं लिया होगा और दूसरों की बनाई हुई खिचड़ी में आकर बैठ गये और फिर कई तरह की व्यवस्था तैयार करते चले जा रहे हैं। एक तरफ हमारे प्रजातन्त्र के लिये हमने जो आजादी प्राप्त की है उस प्रजातन्त्र पर खुली तलवार लटका दी है कि अब गिरे और अब आजादी का गला कटे। शायद उनकी यह मन्शा हो सकती है कि वे आजादी और लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र को एक ढंग में लाने की कोशिश में होंगे। इस तरह से प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले माननीय मंत्री महोदय इस तरह से लोगों के लिये नियंत्रण कर दें तो मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र का गला काटा जा रहा है। आज किसी

(श्री हीराभाई)

तरह से हम अपने प्रजातन्त्र को कायम करने के लिये प्रचार करने के लिये मीटिंग्ज, कई तरह के जुलूस के द्वारा अपने लोगों में भावना पैदा करना चाहते हैं और उन्हें मार्ग दर्शन कराना चाहते हैं, लेकिन उसको उन्होंने इस तरह से बन्द कर दिया तो मैं समझता हूं कि यह कानून दुनिया की आजादी को खत्म करने के लिये है और एकतन्त्री हुकूमत का समर्थक है। इसलिये माननीय चेयरमैन महोदय, यह विधेयक थोड़ा सा धारा १०७ और १४४ के बराबर है, उसकी तरफ ध्यान देंगे। यह प्रजातन्त्र के लिये बहुत ही अहितकर है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पास नहीं किया जाना चाहिये। १०७ की धारा ऐसी है कि अगर २ आदमी गवाह बन गये तो उस आदमी के लिये जिसके लिये कोई जमानतदार नहीं हो साल भर तक सड़ता रहेगा। जिसकी सत्ता या हुकूमत है वे फायदा उठाते रहेंगे और फायदा उठाने के लिये वे प्रजातन्त्र का गला काटने के लिये १०७ की धारा को अपने उपयोग में ला सकते हैं और लेते आ रहे हैं। यही उदाहरण १४४ का है। १४४ के तहत प्रजातन्त्र का गला कई बार काटा गया है। एक साल पहले हमारे यहां पर आमली में एक मीटिंग थी। वहां पर कोई मेला नहीं था, लेकिन उस मीटिंग में सरकार ने यह बहाना ले लिया और वहां के जो कांग्रेसी नेता लोग हैं उन्होंने रिपोर्ट दी कि मेला है ग्यारस का और समाजवादी वहां पर मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उस मीटिंग को रोका जाय, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने १४४ की धारा लागू कर दी और हमारी मीटिंग पर रोक लगा दी। जो हम मार्ग-दर्शन लोगों को देने वाले थे और जिससे जो प्रजातन्त्र की भावना पैदा होने वाली थी उसको रोकने की कोशिश की गई। १०७ और १४४ की धाराएं इस तरह से काम करती हैं तो संगीत और कोलाहल नियन्त्रण के द्वारा तो पूरे प्रजातन्त्र पर नियन्त्रण करके एकीकरण हो सकता है। अगर इस कानून की यह मन्शा थी कि आज के युग में, प्रजातन्त्र के युग में कोई मर्यादा कायम रखें तो खुले आम आज बाजारों में जो शराब बिक रही है और शराब का नशा करके आम लोग बाजार में हल्ला करते हैं तो डाकिन को न मारा जाय, बल्कि डाकिन की मां को मारा जाय तब जाकर यह दुख दूर हो सकता है। परन्तु उस बात को मंत्री महोदय नहीं करेंगे, क्योंकि शराब पीने की आपको भी आदत हो सकती है। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह कानून उन पर भी लागू होता है। तो मंत्री महोदय ने यह रास्ता अपनाया है आगे निकल जाने का। गरीब दूकान पर जाकर दारू पीकर वह करता है तो उन पर लागू हो सकता है। दूकानें जो खुले आम बाजारों में लगा रखी है उन पर मंत्री महोदय का कानून लागू नहीं होता है।

तो इस ढंग से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। खुले आम शराब बिकती है और उसको पीकर लोग गन्दी बातें बकते हैं, सड़कों पर चलते हैं उनको आप क्यों नहीं रोकते ? शराब के ठेके सड़कों पर लगे हुए हैं। उनको आप बन्द कीजिये। बाजारों में जो नशे-बन्दी करने का काम है वे करते नहीं हैं। यदि आप वह बन्द कर दें तो आपकी मन्शा पूरी हो सकती है। इस बिल को लाने का मतलब केवल यह है कि विरोधी पार्टियों को दबाया जाय और

(श्री हीराभाई)

प्रजातन्त्र के खिलाफ इसको पास किया जाता है। यह व्यवस्था न्याय पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा भी हो सकती है, फिर यह बिल लाने की क्या जरुरत पड़ी? आप इसमें पुलिस को चालान पेश करने का अधिकार देते हैं। क्या यह भी डकेती है जो पुलिस को अधिकार दे रहे हैं? आगे ही जनता पुलिस के जुल्मों से डरी हुई है फिर इसमें और अधिकार देते जा रहे हैं। यह बिल किस पर लागू होगा? जो मजदूर वर्ग है, जो दिन भर मेहनत करके रात्रि को मनोरंजन के लिये गाना गाता है। चार, पांच आदमी सम्मिलित हो करके बातचीत करते हैं, उत्साह में मनोरंजन गाना आदि करते हैं, उसको आप रोकना चाहते हैं। लेकिन जो बिजली के पंखों के नीचे आराम करते हैं वे अपना मनोरंजन खूब करें। उनको कोई रोकने वाला नहीं। यह बिल प्रजातन्त्र को खत्म करता है। इसलिये इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): माननीय चेयरमैन महोदय, राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण विधेयक पर जो संशोधन श्री नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके क्या कारण हैं जिसके लिये संशोधन रखा गया है? यह एक पैनल आफेन्स माना गया है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दर्ख्वास्त देकर तकलीफात को दूर करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। यह बिल जो बनाया गया है इसमें 'कोलाहल' शब्द को डिफाइन किया गया है, उसमें म्यूजिक भी सम्मिलित किया गया है। म्यूजिक तो प्रिय लगता है। हो सकता है किसी को अप्रिय भी लगे। म्यूजिक से कोई डिस्टर्बेन्स होता हुआ पाया नहीं गया और न सुना गया। यह हमने पढ़ा है कि संगीत से रोगियों को अच्छा किया जाता है और संगीत से वर्षा भी होती है। संगीत से किसी को डिस्टर्बेन्स होता हो, यह हमने सुना नहीं। संगीत वह वस्तु है जिससे बीमारी का इलाज किया जाता है, जिसके जरिये वर्षा भी करवाई जाती है, दीपक जलाये जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आप दीपक राग भी जानते हैं क्या?

श्री अब्दुलजब्बार: आप जैसे लोगों से जानकारी हो जाती है। आप जैसे महानुभाव समय समय पर जानकारी दे देते हैं। इस तरह से हमने कभी यह नहीं सुना कि संगीत से किसी को डिस्टर्बेन्स होता हो। रात को तीन–तीन बजे तक कव्वालियां होती हैं। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया और प्रोवीन्शियल गवर्नमेन्ट्स उर्स आदि के मेले, जो होते हैं, वे खुद ऑर्गेनाइज करवाती हैं अगर ऐसे म्यूजिक से डिस्टर्बेन्स होना साबित होता हो तो इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों किये जाते? ऐसे कामों में गवर्नमेन्ट कन्ट्रीब्यूशन करती है। कोटा में दशहरे के मेले पर संगीत का कार्यक्रम रखते हैं। बंबई इत्यादि रेडियो स्टेशन्स से वे रिले होते हैं। इस बिल के द्वारा संगीत के पीछे डंडा लेकर पड़ने की क्यों कोशिश की जा रही है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि 'म्यूजिक' शब्द इसमें से निकाल दिया गया है। सिलेक्ट कमेटी से जिस प्रकार एप्रूव हुआ है वह सदन के सामने है।

Page No.46

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या रेडियो पर म्यूजिक नहीं आते हैं क्या ?

श्री अब्दुलजब्बार: म्यूजिक जो डिफाइन किया गया हैं । उसमें वे लेते हैं । What is the source to throw it by broadcasting. किसके जरिये से संगीत किया जाय ? लाउड स्पीकर की इजाजत लेनी पड़ेगी, बिना लाउड स्पीकर बीस हजार लोगों तक आवाज पहुंचाई नहीं जा सकती। इसलिये लाउड स्पीकर यूज़ करना कम्पलसरी हो गया। म्यूजिक को निकाल दिया गया है । लेकिन म्यूज़िक को जनता में प्रसारित करने का जो साधन है वह लाउड स्पीकर है । उस पर रोक क्यों लगाना चाहते हैं ? जहां इन पर पाबन्दी लगाने का सवाल आता है तो म्यूज़िक पर कन्ट्रोल लग गया । अगर वास्तव में आपको कोलाहल पर ही रोक लगानी है तो आप मोटर होर्न पर रोक लगाइये । असेम्बली हाल के नीचे उतरते ही देखिये । लाउड स्पीकर की तो आवाज इतनी नहीं आती, जितनी मोटरों के होर्न की जो यहां तक सुनाई पड़ती है । इनकी पाबन्दी आप उन स्थानों के लिये लगाइये जो थिकली पॉपुलेटेड हैं । हम देखते हैं कि आप थिकली पोपुलेटेड एरिया में इन्डस्ट्रीज़ के लिये इजाजत दे देते हैं । स्टेशन रोड पर ही देख लीजिये, मैदा फैक्टरी की आपने इजाजत दी है । क्या उससे वहां की बस्ती को डिस्टर्बेन्स नहीं होगा ? पास में पुलिस लाइन भी है, दिन ब दिन वह एरिया थिकली पोपुलेटेड होता जा रहा है । इस प्रकार की नोइजेज से नींद हराम हो जाती है । अगर आपको वास्तव में नोइजेज को ही कन्ट्रोल करना है तो वहां करिये जहां रात्रि को सिनेमाज चलते हैं और बाहर लाउड स्पीकर्स द्वारा तरह तरह के नोइजेज किये जाते हैं जिसके द्वारा सिनेमा घर के बाहर तूफान मचाया जाता है । जो सामाजिक स्थिति को तहसनहस करने का बायस हो सकता है, उसको रोकिये। इसके साथ साथ आप जो नोइजेज को कन्ट्रोल करना चाहते हैं वह सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज़ को रोकने के लिय उनके प्रचार को खत्म करने के लिये आप यह कानून लगा रहे हैं । जनतन्त्र के चार सिद्धान्त हैं। लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एक्ज़ीक्युटिव, और क्रिटिसिज्म ये फन्डामेन्टल चीजें हैं । पोलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटीसाइज़ करने का हक है । हम विधान के अनुसार नुक्ताचीनी कर सकते हैं । हम सही बातें गवर्नमेन्ट को बताते हैं । गवर्नमेन्ट चाहे उसको माने या न माने । टीका-टिप्पणी करने का अधिकार है । जनता को सुनाने के लिये लाउड स्पीकर को तो इस्तेमाल करना पड़ेगा आजादी मिली है । सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की आजादी है । वैसी हालत में जन हित में, राज्य हित में, जनता को सही बातें बतायें। इस पर आप बिल लाकर प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं? सिनेमा द्वारा पब्लिसिटी करना, दवाई बेचने वालों द्वारा जो पब्लिसिटी होती है, मार्केट में जो दवाओं के शाहन्शाह के नाम से लाउड स्पीकर द्वारा जो प्रचार करते हैं उन पर आप रोक लगाइये । उनके लिये खुल कर कह देना चाहिये, साफ लिख देना चाहिये "No person is entitled to use loudspeaker for the sake of publicity of cinemas", इसके बाद में आप ए० बी० सी० डी० और बढ़ा दीजिये जिसमें दवाई बेचने वाले इस प्रकार पब्लिसिटी करते हैं। ताकत के शाहन्शाह बन कर जो घूमते हैं उन पर रोक लगा दीजिये । ये वास्तव में कोलाहल मचाने वाली चीजें हैं, इनको रोकना चाहिये। Peace of mind is disturbed by one's own self. इन्सान पूरी तरह से आखिर किसी काम में डिवोटेड होता है, वह कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। उसके सामने या आसपास कहीं बाजे बजते

(श्री अब्दुलजब्बार)

हों, चाहे उसके सामने से कितना ही बड़ा जुलुस गुजर जाय, जो व्यक्ति पूरी तरह से डिवोटेड है अपने काम में वह कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। इस तरह से जो कुछ भी करना है वह साफ तौर से रखना चाहिये। इसमें जो डेफिनिशन दी है "Vocally, or "by means of loudspeaker" मशीनों से जो डिस्टर्बेन्स होता है वह इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, वह एक्सक्ल्यूडेड है। या तो इम्प्लाइड मान लिया जाय, पैनल आफेन्स होता है यदि यह मानते हैं तो ऐसे बिल की आवश्यकता नहीं। पैनल आफेन्स में पब्लिक न्यूसेन्स को साफ लिखा है। कोई व्यक्ति आसानी से कोर्ट में जा सकता है। इस प्रकार का नोटिस इश्यू करा सकता है। आब्जेक्शन के बाद फिर क्या आवश्यकता है कि इस बिल को लाया जाय। नोइज़ कंट्रोल करने के लिये ? इसलिये मेरी आपत्ति है और सदन को निवेदन करत हूं कि वास्तव में बिल पास करना है और मंत्रीजी चाहते हैं कि नोइजेज़ को कंट्रोल करें तो मैं भी शामिल हूं; लेकिन किसी किस्म से जन-हित में कोई बात नुकसान की न हो। मशीनरी, मोटर के होने पर प्रतिबंध लगादें। खाली पाबंद कर दिया जाय। नेता, आम तौर से जिनको नेता कहते हैं उनका दिमाग तो खराब नहीं हुआ है जो १५) रु० लाउड स्पीकर के खर्च करके पब्लिक मीटिंग में नोइज़ करेगा। वास्तव में इस प्रकार का प्रोविज़न निकाल कर रखें तो अच्छी चीज होगी। हर चीज को जानना जरूरी है। जनता की जानकारी के लिये इसको अच्छी तरह से प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह): श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभापति महोदय, जन-कोलाहल-नियंत्रण-विधेयक प्रवर-समिति द्वारा संशोधित विचाराधीन है। जो प्रस्ताव जनमत के लिये इसको प्रसारित करने का रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। खास करके जब कभी कोई बिल विचारार्थ हो तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और उसके साथ ही साथ कोई कानून जो जनता के लिये बनता है उसमें हमको एक बुनियादी तौर पर ख्याल रखना पड़ता है कि जिस कानून को हम बनाने जा रहे हैं वह वाकई आम जनता के हित का होगा या उसमें कुछ ऐसी बात है जिससे आम जनता को दिक्कत भी पड जाय। जहां तक नाम का सवाल है इसका नाम "जन कोलाहल विधेयक" है। उसमें से जैसे अभी मंत्रीजी कह रहे थे "म्यूजिक" शब्द को हटा दिया गया है, जहां तक मैं समझता हूं हटाया नहीं गया है बल्कि ब्रेकिट में मौजूद है····

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): ब्रेकिट में है उसके माने हैं डिलीट हो गया।

श्री मुरलीधर व्यास: इस लफ्ज को जब हटा दिया गया है तो यह कह दिया जाता कि इसको बिल्कुल ओमिट कर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर: यह तो एसेम्बली का प्रोसिजर है, इटैलिक्स और ब्रैकिट्स में जो शब्द आते हैं उनके लिये कन्वेन्शन बना हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास: जो संशोधन हो जाय वे सब ब्रैकिट में लिखे जाते हैं। वे सारे संशोधन ब्रैकिट्स में नहीं लिखे गये हैं सिर्फ इसको रखा है·······

श्री मथुरादास माथुर: इसमें लिखा है :

(श्री मथुरादास माथुर)

"All matters omitted by the Select Committee have been printed in italics and included in square brackets and new matters inserted have been underlined."

ऊपर लिख दिया गया है कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा जिनको ओमिट किया गया है वे इटेलिक्स में प्रिन्ट किये गये हैं और स्क्वायर ब्रेकिट्स में रखे गये हैं और नये मैटर्स को अंडरलाइन किया गया है। इसके लिये असेम्बली का कन्वेन्शन है।

श्री मुरलीधर व्यास: मंत्रीजी कह रहे हैं इसको मानते हैं तो अच्छी बात है। यदि कर दिया गया है तो अच्छी चीज है।

फिर इसमें खास कर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी कानून बनता है उसको बनाते समय हमें कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें संविधान के जरिये कुछ अधिकार मिले हैं जिनको हम मूल अधिकार कहते हैं। कल उन्हीं मूल अधिकारों के बारे में आल इंडिया रेडियो पर किसी प्रोफेसर ने एमर्जेन्सी को लेकर वार्ता प्रसारित की थी। मैं उसका उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि उसमें इमर्जेन्सी को लेकर यह कहा गया था कि जो मूल अधिकार हैं वे मूल अधिकार हर हालत में सुरक्षित रहने चाहिये और देश की सुरक्षा के लिये किसी प्रकार कार्य करते हैं तो भी लोक-तंत्र में जब कि पार्लियामेन्टरी पद्धति है उसमें बुनियादी अधिकार के रूप में न जाय, इसका हमेशा किसी न किसी प्रकार से प्रोविजन रहना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि जो हमारे दो बुनियादी अधिकार कोलाहल नियंत्रण बिल से जाते हैं, एक तो यह कि हर नागरिक को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, यह मूलभूत अधिकार माना गया है, दूसरा इसी प्रकार से हर नागरिक को अपनी उपासना, भक्ति व पूजा करने का भी अधिकार माना गया है। अब मैं देखता हूं कि जो मूलभूत अधिकार बोलने का है, उसमें किसी प्रकार की बाधा आती है, चाहे यह कह कर कि यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक मीटिंग को करना चाहते हैं तो वह इजाजत ले लें। मैं समझता हूं, इजाजत की आवश्यकता क्यों है? यदि मूल अधिकार हमें मिल गया है तो क्या आप एक छोटा सा बिल लाकर इस मूलभूत अधिकार को हमसे छीनना चाहते हैं? यदि मूल अधिकार भी छीना जाता है और इस आधार पर सार्वजनिक दृष्टिकोण से है, इसलिये छीनते हैं, तो मैं समझता हूं, ठीक है, जन-कोलाहल होता है, जगह जगह होता है, उसका नियंत्रण आवश्यक है, जन-कोलाहल का नियंत्रण हो, लेकिन यह नहीं कि पब्लिक मीटिंग में बोलने का जो अधिकार हर व्यक्ति को मिला है उस पर नियंत्रण करने के लिये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूं बुनियादी अधिकार को नियंत्रित करने की सरकार मंशा रखती है। आखिर कोई पब्लिक मीटिंग होती है उसमें कोई बोलेगा तो यह तो नहीं कि वह कोलाहल करने के लिये बोला है। जन कोलाहल के लिये तो कोई मीटिंग नहीं होती है। कोई ऐसा बिगड़ा दिल तो नहीं होता किकोलाहल करने के लिये मीटिंग बुलाये और लाउड स्पीकर लगा कर कोलाहल करे। आखिर कुछ समस्याएं होती हैं जो जनता से संबंधित होती हैं, उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है और साथ ही साथ लोक तंत्र में पब्लिक को एज्यूकेट करना पड़ता है, जनता को एज्यूकेट करना पड़ता है, तो जो जनता को

Page No.49

(श्री मुरलीधर व्यास)

एज्यूकेट करने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा पब्लिक मीटिंग के जरिये लोगों को एज्यूकेट किया जाता है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण करते हैं तो यह ठीक बात नहीं है। यदि सरकार इस संबंध में स्पष्ट है कि हम किसी भी हालत में नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं तो इसमें यह परिवर्तन करना चाहिये कि किसी सार्वजनिक सभा में जो सार्वजनिक स्थान पर होती है, कल यह भी कह सकते हैं कि सार्वजनिक सभा ऐसे स्थान पर होती है जो पब्लिक न्यूसेन्स क्रीएट करती है, इसलिये उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बुनियादी तौर से सरकार को आश्वासन देना चाहिये और यह रखना चाहिये कि किसी सार्वजनिक सभा को सार्वजनिक स्थान पर करने के लिये कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इतनी बात आ जाती है तो मैं समझता हूं यह बिल हर हालत में अच्छा है। लेकिन रखा जाता है तो हो सकता है कि हमारे उच्च वर्ग की मंशा ऐसी न हो लेकिन उसका दुरुपयोग हो सकता है। वह इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा, जो विरोधी पार्टीज के सदस्य हैं वे कल कोई पब्लिक मीटिंग्ज़ करते हैं तो उनको इसके द्वारा रोका जा सकता है या कल हमारे शहर में पुलिस किसी एक लड़की को पकड़ कर थाने में ले गई और उसके साथ बलात्कार कर दिया या किसी आदमी को पकड कर ले गये और उसको बुरी तरह से मारते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं और यह अत्याचार पुलिस करती है और पुलिस के इस अत्याचार के खिलाफ कोई सार्वजनिक संस्था पब्लिक मीटिंग करती है तो पुलिस किसी न किसी बहाने मीटिंग नहीं करने देगी, क्योंकि वह मीटिंग उसके खिलाफ है। तो आपने जो प्रावधान रखा है उसका वह इस्तेमाल कर लेगी। इसलिये हमको यह नहीं करना चाहिये कि लोकतंत्र की आड़ में इन अधिकारों का दुरुपयोग हो। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मूल तत्व को देखें।

आज भी पुलिस को जितने अधिकार दिये हैं, जो कई तरह के अधिकार हैं, उनमें आप देख लें पुलिस का रवैया। पुलिस को जितने अधिकार दिये हैं उनका वे दुरुपयोग करते हैं। पुलिस के पास छोटे छोटे अधिकार हैं, हथकड़ी उनके पास है, व्हिसिल उनके पास है, हवालात पुलिस के पास है। हथकडी व्हिसिल और हवालात पुलिस के पास है। इन चीजों का पुलिस के लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को बुलाने जाना है, अगर किसी को थाने में बुलाने जाता है तो वह सिपाही हथकड़ी लेकर जाता है। उसको देखते ही सामनेवाला आदमी घबरा जायगा और सोचेगा कि यह हथकड़ी लेकर क्यों आया है। अगर वह डर जायगा तो कुछ दे देगा। इसके बाद में व्हिसिल है। पुलिस के पास व्हिसिल है वह व्हिसिल बजा कर किसी भी गाडी को खड़ी करेगा। उसके बाद बात कितनी करेगा ? लाओ, दो रुपये दो। उस व्हिसिल का उपयोग पैसा लेने के लिए होगा। इसके साथ ही साथ हथकड़ी का उपयोग भी भ्रष्टाचार के लिए होगा और तीसरा हवालात भी है तो किसी को भी हवालात में बन्द कर दिया। किसी आदमी को बुलाया तो उसे हवालात में बन्द कर दिया, हालांकि कोई बात नहीं है। वह जानता है कि वह किसी को हवालत में बंद कर देगा तो वह कुछ न कुछ देगा। तो इन चीजों का दुरुपयोग होता है। तो जब इन छोटी छोटी चीजों का दुरुपयोग होता है तो यह तो बड़ी बात है।

(श्री मुलीधर व्यास)

मैं आपको निवेदन करूं कि अमी मैं जैसलमेर से लौट कर आ रहा था। उस गाड़ी को रोका गया और रोकने के बाद, कन्डक्टर ने जब पूछा तो उसने पीछे से मुंह डाल कर कुछ कहा। कन्डक्टर ने एक रुपया दिया और गाड़ी आगे चली। मैंने सोचा रोका क्यों? मैंने उसकी सूचना मी दी, मुझे पता नहीं कि आखिर उसमें क्या कार्यवाही हुई, क्या नहीं हुई। मैं बतलाना चाहता हूं, कि जो गाडी सीधी जा रही थी उसको रोकने का मतलब यही था कि रोक कर वह उससे कुछ ले ले। हो सकता है, गाड़ी वाला ज्यादा माल लाया हो या कुछ न कुछ किया हो। परन्तु इस तरह की कोशिश होती है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहता हूं कि जो पुलिस का आज चरित्र है। उसको ठीक करने की कोशिश करें और फिर कहें कि पुलिस अच्छी है। मैं कहता हूं कि पुलिस ने हर भ्रष्टाचार करने का अपना एकमात्र चरित्र बना लिया है, हर मामले में वह इस तरह के काम करने की कोशिश करती है। ऐसी परिस्थिति है। इसमें आप जिस प्रकार के अधिकार देते हैं तो उसका दुरुपयोग हुआ है और आगे मी होगा। यह बात नहीं है कि नहीं हुआ है। मैं बीकानेर के सम्बन्ध में कहता हूं कि इस कानून के पहले अनाज के भाव बढ़ने के समय हमने आम समायें की। तो क्या हुआ कि हम पर नियंत्रण हुआ, हमने उसे माना नहीं। हम कहते रहे कि हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे और हमारे दस-बीस लाउड स्पीकर पुलिस ने लेकर रख लिये। दुकानदारों का नुकसान हुआ और दावा किया कि इतने दिनों का इतना गुना नुकसान हुआ। मेरे खिलाफ और मानिकचन्दजी के खिलाफ दो-तीन साल तक मुकदमें चले। हमने केवल इस बात के लिए, कि मंहगाई बढ़ गई, है, अनाज के माव बढ़ गये हैं, मीटिंग की। जिस जगह पर मीटिंग हुई वह मस्जिद के पास है और उससे दो फर्लांग दूर विद्यार्थियों का हाई स्कूल है। वहां के बच्चों ने शिकायत नहीं की लेकिन फिर मी शिकायत दर्ज की गई और गवाह बनाये गये। रिपोर्ट यह दर्ज की गई कि हमारी पढाई में दखल होता है। इस प्रकार एक मामला बनाया गया। हम उसमें बरी हुए और पुलिस नाकामयाब हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के हर रोज झगड़े होते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारा जो फन्डामेन्टल राइट है, मूलभूत राइट है उसकी हर हालत में रक्षा होनी चाहिए। उसकी रक्षा करने के लिए आप बाध्य हैं; लेकिन उसको छोड कर चलते हैं तो मैं कहता हूं कि यह अच्छी चीज नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आज एमर्जेन्सी का सवाल है। एमर्जेन्सी के मौके के ऊपर सरकार ने खुद सूचना केन्द्र लगाये हैं। वे इसलिए लगाये हैं कि कोई मी घटना हो तो उसकी फौरन सूचना दी जा सके और जनता को जागरूक कर सकें। लेकिन आपके इस कानून से क्या होगा, उस पर मी आप ये नियम लगायेंगे। इस प्रकार जो सूचना प्रसार केन्द्र हर शहर में लगे हुए हैं, बीकानेर के मोहल्ले मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और एक स्थान से जनता को सूचना दी जाती है और उनको जनता सुनती है। ऐसे केन्द्र जयपुर में हैं, जोधपुर में हैं और अजमेर में है। यह व्यवस्था एमर्जेन्सी में इसलिए की कि हर नागरिक को इस समय जो मी घटना इस तरह की घट जाय तो समय पर उसको उससे परिचित कराया जाय। एक तरफ आप नागरिकों को हर घटना से परिचित कराना आवश्यक

(श्री मुरलीधर व्यास)

समझते हैं और दूसरी तरफ इस कानून के अन्तर्गत उस पर नियंत्रण करेंगे तो कल अगर कोई घटना होती है तो क्योंकि सूचना प्रसार केन्द्र भी नियंत्रित होंगे इसलिए आप इमरजेंन्सी के समय जो चीज चाहते हैं, वह जिस तरीके से करना चाहते हैं, कम से कम उसमें बाधा पहुंचेगी। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां भी जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वे हर तरह से समाजवाद को गलत बताने की बात को आवश्यक समझते हैं। ठीक बात है, दोनों बातें हैं, कोई किसी को प्रतिक्रियावादी समझता है, कोई किसी को कुछ समझता है। आज कृपलानीजी का नाम लिया और कहा कि कृपलानीजी को अमेरिका से पैसा मिला। इसलिए ऐसे लोगों को दबाना होगा। मैं समझता हूं कि कृपलानीजी के लिए जिसने कहा कि वे घोर प्रतिक्रियावादी हैं, तो यह उनका और उनके विचारों का पतन है, जिनने, मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जिन्होंने मुल्क के लिए सब कुछ किया, उनको आज प्रतिक्रियावादी कह दिया। कल उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरु को गद्दार कह दिया था, सुभाषचन्द्रजी को कुत्ता कह दिया था, वे आज अपने आपको देशभक्त कह सकते हैं। जिन्होंने कल जिसको गद्दार कहा, आज उसे वे देशभक्त कह सकते हैं। मैं यह कहने के लिए नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मौके की बात है, ऐसे मौके पर जब कि देश में एमर्जेन्सी है, अगर वे चीन के साथ मिल जायं और देश के साथ गद्दारी करें तो हम जनता को समय पर जागरूक करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि हम नहीं बोलने देना चाहते हैं तो हम जनता को जागरू करने से वंचित रह जायेंगे। तो दोनों की रक्षा की जाय-उनको कहने का अधिकार है तो उनकी रक्षा हो और हम कहते हैं कि अगर वे चीन के साथ मिल जायं तो हम जनता को बता सकें, इसके लिए हमारे अधिकारों की रक्षा हो। मैं इतना कहना चाहता हूं, यह . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपका दर्द किस तरफ है ? यह मामला कॉमन इन्टरेस्ट का मामला है। आप इसकी आड में क्या कहना चाहते हैं ? कान में कह दें तो कर देंगे। चीन की आड लेकर कह रहे हैं, यह मामला क्या है ? कॉमन मामला क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास: बुनियादी बात है; सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक सभायें करने के लिए कोई इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसकी छूट होनी चाहिए। इसलिए इस तरह का कानून किसी हालत में नहीं बनना चाहिए। परन्तु यह चीज रख लेते हैं तो आप उसको भले ही कितना ही अच्छा समझें, मैं समझता हूं, यह लोकतांत्रिक पद्धति की हत्या करने का मामला है। इससे जनता की रक्षा नहीं होगी, यह संविधान के विपरीत है। मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य स्वतंत्रता की रक्षा करने में पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री सभापति: श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिये प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, क्लॉज ४ के अन्दर साफ प्रावधान किया है कि लाउड स्पीकर और एम्प्लीफायर, किसी भी काम के लिये—अखंड कीर्त्तन के लिये, भजन आदि

Page No.52

(श्री नाथूलाल करोल)

करने के लिये, का उपयोग नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो अखंड कीर्त्तन होता है, भगवान् के नाम का अखंड कीर्त्तन, दस, पन्द्रह दिन तक चौबीस घंटे अखंड कीर्त्तन होता है, उसके ऊपर भी इस कानून से रोक लगा दी गई है? अगर हां, तो इसमें . . . . .

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): सब जगह नहीं लगाई है वह रोक।

श्री नाथूलाल करोल: मैंने आप से निवेदन नहीं किया था, मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। आपने जवाब दिया है कि सब जगह रोक नहीं लगाई है। कानून साफ है, इसमें मंत्री महोदय अमेंडमेंट ला सकते हैं। आप पहले से ही जवाब देने के लिए तैयार हो गये।

सभापति महोदय, क्लॉज़ ५ को सिलेक्ट कमेटी ने जरूर अमेण्ड किया है। यह मैं मानता हूं कि क्लॉज ५ में जो म्युजिक के लिये छूट दी है उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो मेले होते हैं और उन मेलों में खास तौर से आदिवासी लोग आते हैं; वे लोग ऐसे ज़ोर से गाने गाते हैं कि दूसरे लोगों को ऐसा मालूम होता है कि जैसे नोइज़ हो यानि नोइज के रूप में उनका गाना होता है। वह शोरगुल और कोलाहल के रूप में होता है। मैं यह कहूंगा कि अगर 'म्युजिक' वर्ड हटा दिया तो इसको नोइज़ के रूप में पुलिस और मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिये तैयार हो जावेंगे।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस मेले में गांव के लोग आते हैं और जोर जोर से गीत गाते हैं। वे लोग गांव के लोग होते हैं और वे अशिक्षित और अनसिविलाइज्ड होते हैं। जो गंवारू होते हैं वे इन मेलों के अवसर पर इस तरह से गायन गाते हैं कि उससे नोइज़ होता है। एक मेला श्रावण शुक्ला ३ को होता है। जब बहुत से आदिवासी लोग यहां पर आते हैं तो सारी रात गीत गाते रहते हैं। अगर उनका गीत नोइज़ के रूप में आता है तो उनको कोतवाली में पकड़ कर ले जावेंगे और वे वहां पड़े पड़े सड़ा करेंगे; उनको पुलिस पकड़ लेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे अवसर पर जो गीत होते हैं और उनसे नोइज़ होता है उनपर पाबन्दी नहीं लगाई जावे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपका गवारू लोगों से क्या मतलब है? आप गंवारू किसको कहते हैं?

श्री नाथूलाल करोल: पंडितजी महाराज! मैं आपको बताता हूं; जो वे गांव के रहने वाले भाषा बोलते हैं वह गंवारू कहलाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह गांव वालों के लिए है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): गांव वाले तो हम लोग भी हैं, सब को गंवारू कैसे कहा जा सकता है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: शहर में रहने वाले गंवारू नहीं हैं।

Page No.53

एक माननीय सदस्य: खादी पहिनने के बाद गंवारू नहीं रहते हैं। उसके बाद मामला खत्म हो जाता है।

श्री नाथूलाल करोल: क्लॉज ५ में सिलेक्ट कमेटी ने ठीक किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कई दिनों तक अखंड हरिकीर्तन होते हैं और आपने देखा होगा कि हर साल लाउड स्पीकर और एम्प्लीफायर से हरि कीर्तन होते हैं इसलिये इस पर लागू नहीं होने चाहिये। इसके साथ साथ पब्लिक मीटिंग्ज पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिये। जिस समय मेले होते हैं और गांव वाले उन मेलों में इकट्ठे होते हैं उस समय के ११ बजे रात्रि से ५ बजे सुबह तक जो रोक लगाई है वह मेलों के समय नहीं होनी चाहिये क्योंकि ज्यादातर वे लोग ११ बजे से ५ बजे ही सबसे ज्यादा गायन गाते हैं। वे लोग रात रात भर मानक चौक की चौपड़ पर और सारे जलेबी चौक और संस्कृत कॉलेज व छोटी चौपड़--उनकी भीड़ से भरे रहते हैं और सारी रात गायन करते रहते हैं। यदि यह कानून पास कर दिया गया और क्लॉज ५ लागू होगा तो वे गिरफ्तार होंगे और उनकी बड़ी खराब हालत होगी। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जरूर इस पर ध्यान देंगे और संशोधन करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव राजस्थान नोइजेज एण्ड म्युजिक कण्ट्रोल बिल, १९६२ को जनमत संग्रह के लिये भेजे जाने पर रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। यह राजस्थान कोलाहल विधेयक पहले भी राजस्थान असेम्बली में प्रस्तुत हुआ था और इसके संबंध में खास तौर से संगीत के बारे में कहा गया था कि संगीत पर रोक लगादी जावेगी तो यह एक बहुत वड़ी आपत्तिजनक बात होगी और इसीलिये यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था। जब प्रवर समिति ने यह ठीक समझा कि संगीत पर इस प्रकार की रोक नहीं लगाई जावे और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनके साथ में यह विधेयक वापिस इस असेम्बली में स्वीकृति के लिये आया है। इस पर जो विरोध प्रकट किया गया है उसमें खास तौर से यह बात सामने आई है कि पब्लिक मीटिंग और पोलिटिकल पार्टीज़ को मीटिंग करने से रोका जावेगा और इस कानून का दुरुपयोग किया जावेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर यह बिल प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही आवश्यक विषय है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। जिन जिन स्थानों पर, जैसे होस्पिटल, कोर्ट बिल्डिंग, शिक्षा के इन्स्टीट्यूशन्स हों वहां पर यदि जिस समय दफ्तर चलता हो या इन्स्टीट्यूट चलता हो वहां लाउड स्पीकर द्वारा कोलाहल किया जावेगा तो उनको डिस्टर्वेन्स होगी; इसलिये यह लाया गया है।

दूसरी बात यह है कि ११ बजे से ५ बजे तक लाउड स्पीकर्स द्वारा जो चीज प्रस्तुत की जावेगी उनसे लोगों की नींद में और आराम में डिस्टर्ब होगा और वह पब्लिक न्यूसेन्स की तारीफ में आता है। इसलिये इसका यही उद्देश्य है ताकि लोगों को आराम के समय में रात को ११ बजे से ५ बजे तक कोई डिस्टर्वेन्स नहीं हो। पोलिटिकल पार्टीज की मीटिंग को रोकने के लिये कहा गया. इसके लिये मैं यह कहूंगा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कि इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप देखेंगे कि यह ऐसे समय पर लागू होता है जब कि पार्टीज की कोई मीटिंग ११ बजे बाद तक रात को नहीं होती है।

एक माननीय सदस्य : चुनावों में रात रात भर चलती रहती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये यह कहा जाना कि पोलिटिकल पार्टीज को मीटिंग करने से रोकने के लिये यह किया जाता है यह गलत है। मैंने कहीं भी पोलिटिकल पार्टीज की मीटिंग को रात को ११ बजे से ज्यादा समय तक होते हुए नहीं देखा।

एक माननीय सदस्य : आप इसका विरोध कर रहे थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने पहले भी यहीं निवेदन किया था कि इसका कोई यह उद्देश्य नहीं है कि पोलिटिकल पार्टीज को मीटिंग करने से रोका जावे या इस कानून का किसी के खिलाफ दुरुपयोग किया जावेगा। इसके अलावा दूसरी बात इसमें यह भी है कि अगर आवश्यक हो तो पोलिटिकल पार्टीज के लिये जो अपनी मीटिंग ११ बजे बाद करते हैं तो उसके लिये इसमें रिलेक्सेशन की बात भी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देने पर उसमें रिलेक्सेशन भी कर सकते हैं। इसलिये कोई भी इस प्रकार की बात और शंका उनको उत्पन्न नहीं होनी चाहिये।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सूचना केन्द्र द्वारा सूचनाएं एमर्जेन्सी में दी जाती हैं वे लाउड स्पीकरों द्वारा दी जाती हैं। मगर रात को ११ बजे के बाद सूचनाएं प्रसारित करने का अभी कोई मौका नहीं आया है, बाद में भी हो सकता है।

ऐसी एमर्जेन्सी में बम्बार्डमेंट वगैरह हो जाय तो एमर्जेन्सी के कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा कोई भी सूचना प्रसारित की जा सकती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि चीन के खिलाफ बोलने वालों को रोकने के उद्देश्य से यह कानून लाया जा रहा है। यह उनकी बात समझ में नहीं आई, चीन तो हमारा दुश्मन है। इस कानून के द्वारा चीन के खिलाफ बोलनेवालों को रोकना, यह तो उनके दिमाग की ही सूझ है। उन्होंने अपने दिमाग में अपने आप ही बैठा ली कि चीन के खिलाफ बोलनेवालों को रोकने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अखण्ड कीर्त्तन और मेलों में रात रात भर कीर्त्तन होते हैं, लाउड स्पीकर लगा कर कीर्त्तन करते हैं तो इस कानून के द्वारा उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कतई मंशा नहीं है, न ग्रामीण मेलों के अवसर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य तो यह है कि रात को ११ बजे के बाद में कोई कीर्त्तन किया जाय तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिये, बिना लाउड स्पीकर के जो कीर्त्तन किया जाता है वह अधिक मधुर होता है, लाउड स्पीकर को पैनी आवाज से तो लोगों को असुविधा होती है। तो इस तरह न इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है और न मेलों के अवसर पर ग्रामीणों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एक बात कही गई कि पुलिस को अधिकार दिये जायं तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूसेंस को रोकने की बात है। पुलिस वालों को अधिकार इसलिये दिया जाता है कि ११ बजे के बाद कोई व्यक्ति जनता को डिस्टर्ब न करे, यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का, कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस को है। दूसरे क्रिमिनल केसेज को देखने का काम भी पुलिस का है। उसी तरह इसको देखने का काम भी पुलिस का है। तो क्या पुलिस हर एक में अत्याचार करती है? जो लोग कानून की अवहेलना करते हैं उनको तो पनिशमेंट मिलना चाहिये। जो कानून यहां से पास किया जाता है उसका पालन तो पूरी तरह से होना चाहिये। यदि कोई उसकी अवहेलना करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना जरुरी है। इसलिये इसको देखने का पुलिस को अख्त्यार दिया गया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : भ्रष्टाचार करते हैं, तभी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप इधर आकर बैठिये, तब आपको भ्रष्टाचार नजर आयेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपके पास भ्रष्टाचार का भण्डार है, इसलिये आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है।

श्री विजयसिंह झाला : भ्रष्टाचार तो खादी के अन्दर है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो नाथद्वारा के रहने वाले हैं, वहां मुफ्त में प्रसाद मिलता है और उसी बात को कहने का मौका मिलता है।

श्री विजयसिंह झाला : प्रसाद तो अधिकारियों को मिलता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपको भी जरूर मिलता होगा।

श्री विजयसिंह झाला : वह तो आपके पास आता है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : नाथद्वारा का प्रसाद तो आपको मिला है, जो बीतने वाला नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो माननीय सदस्य वहां के रहने वाले हैं उनको ज्यादा शराफत रहती है। अपने को तो वहां चले जायं तब ही मिल सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : प्रसाद खाने से भ्रष्टाचार बढ़ता है क्या?

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो मेरा तो यह निवेदन है कि इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित किये जाने का जो प्रस्ताव रखा गया है वह बिल्कुल गैरवाजिब है। इसलिये जैसा यह प्रवर समिति से आया है उसे स्वीकृत किया जाय।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : श्री हरिराम।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल हमारे सामने आया है, इससे पहले भी यह

(श्री हरिराम चौहान)

हमारे सामने आया था और अब इसके अन्दर कुछ सुधार होकर, संशोधन होकर, कुछ सरकार की तरफ से, कुछ कमेटी की तरफ से, सुधार होकर यह हमारे हाउस के सामने पेश किया जा रहा है। यह तो ठीक है कि इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की गई है, पर अब इस बिल के सम्बन्ध में यह मान लें कि यह पूरी तरह से ठीक बिल है और इससे कोई नुकसान नहीं होनेवाला है, तो ऐसा जो मान रहे हैं, मैं यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उनका उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। पहली बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है ....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): कौनसी धारा है ?

श्री हरिराम चौहान: सारे ही बिल को सुन लीजिये। पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल की जरूरत ही क्या पड़ी जिससे कि ऐसा बिल लाया जाय, जिससे कि लाउड स्पीकर के ऊपर पाबन्दी लगाई जाय ? आपके पास क्या शिकायतें आई हैं ? किस किस शहर से, किस किस जिले से इस तरह की शिकायतें आपके पास आई हैं, जिनकी वजह से सरकार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब इस बिल के सिवाय काम चलने वाला नहीं है ? कौन कौन से काम इस बिल के न होने की वजह से सरकार के रुक गये ? मैंने इस बिल का पूरी तरह से अध्ययन किया है और सोचा है कि आखिर इस बिल का मकसद क्या है। इस बिल का मकसद मेरे ख्याल से इस मुताबिक मिला कि हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनके पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है और वे दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान की असेम्बली कोई पिछडी हुई असेम्बली नहीं है। कितने कानून यहां से पास किये गये, यह टोटल में दिखाना चाहते हैं, उनके स्टाफ में कोई धंधा, कोई काम नहीं हो तो वह काम धंधा भी हम बता सकते हैं कि इस इस तरह के बिल लाने की जरूरत थी। इससे पहले भिखारियों के लिये कानून बनाया जाय। भिखारियों की प्रवृति को रोकने के लिये बिल बनाया जाय। इसके लिये कहते हैं तो जवाब दिया जाता है कि पैसा नहीं है, कैसे ऐसा बिल बनायें ? उनको पाबन्द करेंगे कि भिक्षा न मांगो तो उनको कुछ न कुछ काम देना पडेगा, वहां तो पैसा देना पडता है और कुछ लोगों को सहूलियत मिलती है ...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपके पास भिखारी हों तो उनको भिजवा दीजिये, हम उनको भर्ती करने को तैयार हैं।

श्री हरिराम चौहान: क्यों, आपको कोई तकलीफ हो रही है ? आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो उसे पहले मिटा लीजिये।

समाजवाद की बातें कर सकते हैं पर बेकारी को दूर करने के लिये कानून नहीं लाते। कोई हमारे देश में बेकार नहीं रहेगा, ऐसा कानून बनाने को हमारी सरकार के पास न लॉ डिपार्टमेंट है और न स्टाफ है।

इसी तरह सूदखोरी को रोकने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता है, पर ऐसे कानून इस सरकार द्वारा नहीं लाये जाते...

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप यह सुझाव नहीं दें कि क्या क्या कानून बनाये जायं। आप इस कानून के सम्बन्ध में ही कहें।

Page No.57

श्री हरिराम चौहान : मैं यह बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि इनके पास कोई धंधा नहीं है तो इस प्रकार के कानून क्यों लाते हैं––इस तरह के फिजूल के कानून जो जनता के प्रजातान्त्रिक अधिकारों पर चोट करते हैं, जनता के मूलभूत अधिकारों पर चोट करते हैं, कुठाराघात करते हैं, जनता के अधिकारों को सीमित करते हैं ? इस तरह के कानूनों को लाने की क्या जरूरत है ? यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि जिन कानूनों से फायदा हो सकता है, ऐसे कानून नहीं लाये जाते हैं । ऐसे कानून आप लाते हैं जिनसे आम लोगों के अधिकारों का हनन होता है । अगर यही बिल लाना था तो इसका नाम कोलाहल नियन्त्रण बिल न रख कर इसका नाम रखना चाहिये था प्रजातान्त्रिक अधिकारों के हनन का बिल अथवा प्रजातान्त्रिक अधिकारों को सीमित करने का बिल । इस तरह का नाम यदि इस बिल का होता तो यह बात जंच सकती थी कि इस बिल का नाम भी ठीक है और सरकार की नीयत भी ठीक है, पर अब नीयत और है। इस तरह की धरजेबाजी अपने को कतई पसंद नहीं है । ११ बजे के बाद कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता, लाउड स्पीकर लगा कर, इजाजत लेनी पड़ेगी । जनता जो आवाज सुनाना चाहती है उसको नहीं सुनना चाहते आप । जिन्होंने जनता की आवाज नहीं सुनी वे आज कुर्सी पर नहीं हैं, जिन्होंने जनता की आवाज नहीं सुनी वे आज यहां नहीं हैं । इसलिये यहां सुनायेंगे, बाहर सुनायेंगे । आप इस पर पाबन्दी नहीं लगा सकते । मीटिंग की गई नौ, साढे नौ बजे । कोई बाहर से मेहमान आ जायं, देहली से पालियामेंट के मेम्बर को बुला सकते हैं, एक-आध आदमी पहले बोलने वाला हो सकता है, एम. पी. को कहें कि साढे दस बजे शुरू करें, वह साढे दस बजे शुरू करें और ११ पर सुई चली जाय तो फिर हम देखेंगे कि कहीं इधर-उधर सब-इन्सपेक्टर तो नहीं है और खडे होकर उन मेहमान से कहेंगे कि एम. पी. महोदय ! हमारे राज्य में कानून ऐसा है कि ११ बजे के बाद नहीं बोल सकते, वर्ना आपको भी पुलिस ले जायगी और हमको भी ले जायगी । तो पब्लिक मीटिंग करने का बुनियादी अधिकार है, जिसका विधान के अन्दर प्रावधान है, विधान द्वारा बोलने की आजादी दी गई है, लिखने की आजादी दी गई है और संगठित करने की आजादी दी गई है; इस तरह की आजादियों को आप सिकोडना चाहते हैं यानी आजादी के लिये सैंकड़ों साल से हिन्दुस्तान के लोग लड रहे हैं, जिस आजादी के लिये काफी लोगों ने जेल भरी हैं, जिस आजादी के लिये लोग फांसी के तख्ते पर लटके हैं उस आजादी को महज इस नाम पर कि शोर होता है, गुल होता है, कुछ दिक्कत होती है, उसके नाम पर आप तमाम पोलिटिकल पार्टीज पर, तमाम जितनी धार्मिक भावना है–रामलीला करने की बात है, किसी न किसी रूप में आप उन पर कन्ट्रोल करते हैं किसी न किसी रूप में आप उनके अधिकारों पर चोट करते हैं। तो आपको इस तरह का बिल बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं थी । इस तरह के बिल के बिना सरकार का कोई काम रुकनेवाला नहीं है न जनता का ही रुकनेवाला है । जिस रूप में यह बिल है उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता । इसको बिल्कुल नहीं लाना चाहिये ।

जहां तक अधिकारों की बात है ले लिया नोटिस । इस तरह की कोई बात है, बाजार

(श्री हरिराम चौहान)

में कोई हल्ले गुल्ले की बात हो, पढ़ने वाले लडकों के दिमाग में असर पड़ता हो या सरकार को इस तरह का कोई नोटिस भी लेना था तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिये कि सब-इन्सपेक्टर आ जाय और गिरफ्तार कर ले। कुछ ऐसे कानून भी तो हैं जिनमें गिरफ्तारी नहीं है। चालान हुआ, जुर्माना हो जावे। इसके अन्दर तो पुलिस को वे अधिकार दिये हुए हैं कि इस कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग भी किया जा सकता है और जो बोलने वाला है, ११ बजने में १ मिनट है, चाहे उसकी घड़ी में ११ बज रहे हों और वैसे बजे १० ही हों तो फिर दूसरों की घड़ी देखने का सवाल नहीं है। इसलिये उसको पकड कर गिरफ्तार करके उसको थाने में लावेगा, चाहे बाद में जमानत ले ले। इस तरह का यह अधिकार पुलिस को कतई नहीं मिलना चाहिये और इस तरह के अधिकार मिलने का नतीजा यह होगा कि बहुत सी जगह जैसे मेरे दूसरे साथी ने कहा था ११ बजे के बाद मेरा अनुभव है पुलिस कब पिटाई करती है। सब सो जाते हैं जब थाने में पुलिस कब पीटती है किसी को? वह पीटती है ११ बजे के बाद। उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं, उसको देखने-वाला भी कोई नहीं, उस पर बोझा पटक कर ऊपर से दो आदमी जूते लगाने वाले होते हैं। कोई देखने वाला नहीं होता, किसी प्रकार से पोलिटिकल पार्टी को पता लग जाय तो थाने के चौतरफ घेरा डाल देंगे। प्रजातान्त्रिक अधिकारों का जुल्म खत्म करने का वे उपयोग कर सकते हैं। बेचारे जावेंगे कहां? लाउड स्पीकर तो लगा नहीं सकते। कहां कहां जावेंगे, किसको आवाज देगा और सुनावेगा? जो भी काम अपराध, जुल्म पुलिस की तरफ से होते हैं वे रात के ११ बजे के बाद होते हैं और लाउड स्पीकर ही बहुत बडा हथियार है जो अपराधों का मुकाबला कर सकता है, डर पैदा कर सकता है और हम अपनी आवाज को पूरी तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं और पूरी तरह से कलेक्टर तक, ए. जी. तक पहुंचा सकते हैं लेकिन इसके अन्दर उस पर जो रोक लगाई है मैं समझता हूं कि पुलिस को यह बढ़ावा देना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब सवाल यह होता है कि इजाजत लेकर मीटिंग कर सकते हो। रात को मीटिंग चलानी है। पहली बात तो यह है कि यह बताना पडेगा कि पहले ही क्यों न कर लें? वह मजिस्ट्रेट कहेगा कि मैं तो यह नहीं करता। किसी तरह से मजिस्ट्रेट को राजी कर लिया तो पोलिटिकल पार्टी को उससे थोडा बहुत दबना पडेगा। बार बार रोज जायें। आज बगैर किसी इजाजत के पब्लिक मीटिंग हो जाती है। शहरों के अन्दर भी इस तरह का है। तो उनके पास जाने के लिए मजबूर करना कि आप जाओ मजिस्ट्रेट से इजाजत लेकर आओ, यह बिलकुल गलत है; पोलिटिकल पार्टी पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। मैं आपको बताऊं कि कोटकासिम मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में छोटा सा कस्बा है। लोगों को मीटिंग करना है लाउड स्पीकर लगा कर कोटकासिम में लोगों को कोई उत्सव करना है, कोट कासिम के अन्दर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह कहां आवेगा? वह अलवर या किशनगढ आवेगा और वह देखे कि एस. डी. ओ. या और कोई साहब छुट्टी गये हैं तो छुट्टी हो गई उसके उत्सव की। एस. डी. ओ. की छुट्टी हुई है या नहीं, उस पब्लिक मीटिंग

(श्री हरिराम चौहान)

की, उस उत्सव की तो छुट्टी हो गई। और कोई काम नहीं, उसकी छुट्टी हो गई। इस बिल को लाने की कतई जरूरत नहीं है। और यह समझते हैं कि इस बिल के बगैर काम रुक रहा है, कोई जुलूस आया हो, कोई मांग आयी हो, जनता की भावना की कद्र करनेवाले बैठे हैं मंत्रिमंडल में तो वे काम करते हैं जो जनता चाहती है। अगर ऐसा उनका ख्याल हो तो पुलिस के बिल्कुल दांत तोड दो इस कानून के अन्दर, उसको बुढिया मां बना कर बैठाओ तो बात हो सकती है। कोई अधिकार न हो और गांवों के अन्दर कतई उपयोग न हो। शहरों के अन्दर छोरे-छोरों की दिक्कत होती है, ऐसा समझते हों, देहातों में दिक्कत नहीं है। गांवों में कहां से मंजूरी होगी ? उनके पास आवाज नहीं है। थानेदार को पैसा देंगे और दूसरों को देंगे। आज हालत यह है कि बगैर रिश्वत काम नहीं होता है। पुलिस का जुल्म और कुछ बढाओ, दिमाग से डर निकल जावेगा। लक्ष्मणगढ़ में ११ बजे रात को थाने में लोगों को पीटा। इतना पीटा कि बेहोश कर दिया और वहां से रोकर अलवर आये। अलवर आये, लाउड स्पीकर लाये, लोगों को इकट्ठा किया और थाने को घेर लिया। रोज इस प्रकार की वारदातें होती हैं। कुरडाराम की हत्या हुई। रात को पिटाई की होगी और रात को मरा होगा। यह बिल बेबुनियाद है, प्रजातान्त्रिक अधिकारों · · · · · · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

का हनन करनेवाला है, बुनियादी अधिकारों को तोड़ता है; इसको बिल्कुल न लाया जाय और दुवारा प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय।

श्री जयकिशन (थानागाजी) : माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे सामने कोलाहल नियन्त्रण बिल जो पेश हुआ है, यह बिल पहले भी सदन के सामने आ चुका है। यह दलील आज जो दी जा रही है, उस समय भी सुनने को मिली थी। मेरे साथी जो तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं उन्होंने इस बिल के बारे में जो बातें पेश की हैं, जो ऐतराज़ात पेश किये हैं उनमें सब से बड़े ऐतराज़ात उन लोगों के यह हैं कि यह बिल जो लाया गया है उससे उनके फ़न्डामेन्टल राइट्स का हनन किया जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि सदन में जो यह बिल आया है वह सिलेक्ट कमेटी से पास होकर आया है और सिलेक्ट कमेटी में जो लोग लिये गये हैं वे पांचों पार्टियों के लोग हैं। उनमें कम्युनिस्ट पार्टी के श्री रामानन्दजी अग्रवाल थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से श्री रामकिशनजी और श्री मानिकचन्दजी सुराणा थे। इसी तरह से जनसंघ और स्वतन्त्र दल के भी माननीय सदस्य इस सिलेक्ट कमेटी में लिये गये थे। सब ने एक साथ बैठकर विचार किया और उसके बाद सभी जिस नतीजे पर पहुंचे उसको बिल के अन्दर समाविष्ट किया गया। तो इससे यह कहना कि यह प्रतिशोध है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रतिशोध नहीं है। उनका कहना है कि इस बिल के द्वारा प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है। सिलेक्ट कमेटी में इस पर पूरा विचार होने के बाद यह बिल सदन के सामने आया है। उन्होंने महसूस किया कि इस बिल के पास होने से राजस्थान के अन्दर लोगों को राहत मिलेगी। फ़न्डामेन्टल राइट्स कुछ लोगों के नहीं होते, सभी लोगों के होते हैं। राजस्थान के अन्दर बढ़ती हुई जन संख्या, बढ़ते हुए समाज के क़ायदे क़ानून,

(श्री जयकिशन)

समाज की रीति-कुरीति, जैसे जैसे समाज बढ़ता है उसके ऊपर राज्य के क़ानून का नियन्त्रण होता है, समाज के प्राणी पर किसी न किसी का नियन्त्रण होता है। समाज में जो लोग रहते हैं उनको अच्छी तरह से रहने का मौक़ा मिले, अच्छी प्रकार से काम करने का मौक़ा मिले, विद्यार्थियों को पढ़ने का मौक़ा मिले, हॉस्पिटल के मरीज हैं, जो अस्पताल में कराह रहे हैं उनकी तकलीफ़ों में राहत मिल सके, पढ़ने वालों को राहत मिल सके, ऑफ़िस में काम करने वाले लोगों को राहत मिल सके, इस प्रकार से ११ बजे रात्रि के बाद आराम से सोना चाहते हैं। जो दिन भर के थके हुए हैं—मज़दूर, जो सारा दिन काम करता है वह भी चाहता है कि रात्रि उसकी भी आराम से बीते। एक विद्यार्थी जो पढ़ता है वह चाहता है कि रात्रि को उसे भी आराम मिले, उसकी नींद में जो तरह तरह से गाने गाकर एम्प्लीफ़ायर द्वारा लाउड स्पीकर द्वारा विघ्न डालते हैं उस पर रोक लगाने के लिये यह बिल लाया गया है। इसी प्रकार कुछ लोग अपने एडवर्टाइज़मेन्ट रात्रि में ११ बजे बाद करते हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। इसी प्रकार जो लोग इधर उधर की गन्दी बातें, गन्दे गीत गाकर समाज की नींद को हराम करते हैं; क्या आप उन लोगों का पक्ष लेना चाहते हैं ? हमें तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिये। हमें तो देखना यह चाहिये कि इस प्रकार के कोलाहल से वास्तव में सामाजिक जीवन में अशान्ति पैदा होती है या नहीं, और होती है तो उसको दूर करने का यही उपाय है। उसी के लिये यह बिल लाया गया है। हम देख रहे हैं कि कुछ माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस सदन में जब कृषि-ऋण-निवारण-विधेयक आया तो उस समय भी माननीय सदस्य ने उसका विरोध किया था। जो अपने आपको साम्यवादी कहते हैं वे दूसरों को प्रतिक्रियावादी कह कर लोगों के जज़बात उभारना चाहते हैं। मैंने एक साथी द्वारा यह भी सुना कि यहां प्रतिक्रियावादी लोग पनप रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रियावादी जो दूसरों को कहते हैं वे ख़ुद कितने प्रतिक्रियावादी हैं, वह इस बात से झलकता है। उनका कहना है कि एम्प्लीफ़ायर का प्रयोग करने की जो मनाही की गई है उससे लोगो में जज़बात पैदा हो, उसमें बाधा पैदा होती है। लेकिन जो दूसरों को प्रतिक्रियावादी कहते हैं, वे ख़ुद क्या हैं ? वे भी दूसरे देश के एजेन्ट के रूप में इस देश में प्रचार करना चाहते हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : आप इस तरह से लोगों की ज़ुबान पर ताला लगाना चाहते हैं ?

श्री जयकिशन : आपकी साम्यवादी विचारधारा का तो परिचय हो चुका है। चीन ने जब देश पर हमला किया · ·

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : "आप" शब्द यूज़ करिये, "तुम" नहीं।

श्री जयकिशन : मेरे साथी जो लक्ष्मणगढ़ का ज़िक्र कर रहे थे उनको धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौक़ा नहीं मिला। इसलिये वे इस पर अपने जज़बात निकाल रहे थे। इनकी लॉयल्टी देश से सम्बन्धित नहीं। उनकी विचारधारा देश में चलने वाली विचारधारा से मेल नहीं खाती।

श्री सभापति : Order please ? जो विधेयक सदन के सामने है उसी से सम्बन्धित बातें कहें।

श्री जयकिशन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जब यह कह रहे थे कि यह बिल प्रजातन्त्र पर कुठाराघात करनेवाला बिल है, तो इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि जब पांचों पार्टियों के सदस्य उस सिलेक्ट कमेटी में थे और उनके द्वारा अनुमोदित यह बिल सदन में लाया गया है।

साम्यवादी विचारधारा रखने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो इसका विरोध किया वे पहले भी इसी प्रकार विरोध करते रहे हैं। लेकिन जहां तक बिल का ताल्लुक है इसमें सरकार की नीयत साफ है। यदि आपको कुछ शंका है तो वह शंका सामने रखनी चाहिये। जब कोई भी बिल आता है तो उसके लिये सदन में यह रखा जाता है कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। पहले जब यह बिल लाया गया था तो माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। और उनके कहने के अनुसार यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया। सिलेक्ट कमेटी में सभी पार्टियों के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज थे और उन्होंने जो ज़रूरत समझी इस बिल में अमेन्डमेन्ट कर दिये गये। अब सवाल इस बात का आता है कि जब उनके कहे अनुसार अमेन्डमेन्ट हो गया और यदि उसमें और अमेन्डमेन्ट करवाना चाहते हैं तो वे उस अमेन्डमेन्ट को सदन के समक्ष रखते। इस बिल द्वारा नियन्त्रण आप रखना चाहते हैं कोलाहल पर, जिससे समाज के अन्दर शान्त वातावरण पैदा हो जाय। शान्ति से आम जनता सुख की नींद सो सके, ऐसा वातावरण पैदा किया जाय। उसके लिये यह बिल लाया गया है, वह आपको एप्रीशियेट करना चाहिये। बहुत से साथियों को संगीत प्यारा है, म्यूज़िक शब्द इसमें से निकाल दिया गया है, इससे उनको सन्तोष होना चाहिये। यह बिल जो लाया गया है उससे सभी लोगों को फायदा होने वाला है। पोलिटिकल पार्टीज़ कोई एक पार्टी नहीं, सभी जो नुमायन्दे यहां आये हैं वे किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): तो आप यह कहना चाहते हैं कि सिलेक्ट कमेटी से जो बिल आया है उसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जा सकता?

श्री जयकिशन : मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टीज़ की जो विचारधारा है, वह सिलेक्ट कमेटी में जो अलग अलग पार्टीज़ के लोग थे, उन्होंने रखी। माननीय सदस्य चाहे अलग व्यक्तित्व रखते हों लेकिन जहां तक पार्टी की विचार-धारा है वह उस सिलेक्ट कमेटी में थी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य को क्या कहना चाहिये और क्या नहीं कहना चाहिये, इस विषय में कहने की आवश्यकता नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): बहुत से बेलगाम बिना पार्टी के भी मेम्बर हैं।

श्री जयकिशन : माननीय सदस्य को अपने विचार रखते हुए यह ध्यान में रखना चाहिये....

श्री विजयसिंह झाला : आप स्पीकर बन जाइये, उसके बाद रूलिंग दे दें।

श्री जयकिशन : मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूं। इस बारे में पुलिस के भ्रष्टाचार की बातें भी आयीं। जहां तक भ्रष्टाचार के बढ़ने का सवाल है वह हमारे अपने कर्मों से बढ़ता है। इसलिये हमारे कार्य अच्छे होने चाहिये, यह हमारे सोचने का सवाल है।

कोलाहल नियन्त्रण का जो बिल आया है और उस पर जो अमेन्डमेन्ट्स आये उनको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें किसी के भी फन्डामेन्टल राइट्स पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होता है। जो लोग दिन भर मेहनत करते हैं उनको रात्रि में आराम मिले, उनको राहत दे सकें, उसके लिये यह बिल लाया गया है।

(२. म. प.)

इसमें जो अमेन्डमेन्ट सिलेक्ट कमेटी ने किये वे भी मैंने देखे और देख कर इस नतीजे पर पहुँच पाया हूँ कि समाज की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इस कोलाहल पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक है और इससे आम लोगों को फायदा होगा। इसलिये इसको जनता में भेज कर देर लगाने की जो मंशा बताई गई है उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिये और इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, इस कोलाहल-नियन्त्रण विधेयक पर, प्रवर समिति की सिफ़ारिशों के साथ जो सदन में पेश हुआ है, बहस जारी है। मैं देखता हूं कि जो सरकार इस चौदह-पन्द्रह वर्ष के अल्प समय में ही सठिया गई है वह आज बिगड़ती हुई स्थिति पर काबू नहीं पा रही है। सरकार की इस मनोवृति से, उसके उल्टे कारनामों से सदन भलीभांति परिचित है। सरकार अब अपने आप पर से भी नियन्त्रण खोती जा रही है और इस तरह की अनावश्यक बातें लाकर हाउस को यह सोचने के लिये मजबूर कर रही है कि सरकार में आज जो आदमी हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो आइडिया हैं, जैसा उनका मापदण्ड है वह सरकार भी वैसे ही सोचेगी। आज इस बिल की न देश को जरूरत है, न प्रदेश को, न यहां की जनता को। इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। भला हो सकता है तो केवल सत्तारूढ़ गुट के स्वार्थ को और उसके लिये दूसरों को दबाने की मनोवृत्ति को। सरकार जहां तक सोचती है ऐसी ही बात सोचती है कि कैसे पब्लिक पर रोब रखा जाय, कैसे उसे ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाय, कैसे जनता को मालूम हो कि हमारी सरकार है हम सरकार चलाते हैं, हम सरकार चलानेवालों में से हैं। अगर एक इन्च भी गड़बड़ी की, हमारी खुशामद नहीं की तो ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि हम आपको परेशान कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, आपका किसी भी तरह से कुछ कर सकते हैं। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सोचने का मापदण्ड विपरीत हो गया है प्रजातन्त्र के। इस तरह की बातें उनके दिमाग में आती ही नहीं कि पब्लिक को मंहगाई से कैसे राहत मिले रिश्वतखोरी कैसे खतम हो, नौकरशाही जो आज पब्लिक को चारों ओर से परेशान कर रही है उसे कैसे ठीक किया जाय, जनता को कैसे सुखी किया जाय, उसकी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

परेशानियां कैसे कम की जायं। इसके विपरीत जनता को अधिक से अधिक कैसे तंग किया जाय, उसके लिये कैसे ऐसे बिल बनाकर ऐसे अधिकार उन लोगों के हाथ में दे देना चाहती है कि जिन्होंने आज तक पब्लिक पर आतंक, भय और डर बैठा रखा है। पुलिस जो जनता की सुख-सुविधा की गारन्टी देने के लिये—आज उसका यह हाल है कि उस पर से जनता का विश्वास उठ सा गया है। पुलिस की आज इस सरकार के आदमियों ने यह हालत कर दी है कि जनता पुलिस के नाम से घबराने लग गई है। आज पुलिस जनता से रिश्वतें लेती है, उसको परेशान करती है, रिश्वतें लेने का एक और साधन इस बिल के जरिये उसे और दिया जा रहा है। इस बिल के द्वारा विरोधी पार्टी वालों को भी कन्ट्रोल में करने की बात चली जा रही है। विरोधी पार्टीवालों के अधिकारों पर भी हस्तक्षेप हो सकता है। यह कैसा हमारी सरकार का प्रजातन्त्र है, कैसा सोचने का उसका तरीका है ?

इस बिल पर ट्रेज़री बेंचों से सदस्य बोल रहे थे और वे कह रहे थे कि हम पब्लिक का आराम छीनना चाहते हैं, पब्लिक को चैन की सांस सोने नहीं देना चाहते हैं, ऐसा उनका सोचना है। आपका सोचना बिलकुल उल्टा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सरकार की यह मन्शा नहीं है कि सोने नहीं देना है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार की मंशा क्या है, यही तो मैं बता रहा हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सरकार की मन्शा तो जनता के सोने में रुकावट डालने वालों को रोकने की है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप क्या क्या रोकना चाहते हैं, यह तो हम सब जानते हैं। आप कानून बना देते हैं और फिर खुद भी सो जाते हैं। उनकी पाबन्दी होती भी है या नहीं, यह कोई नहीं देखता। अब तक कई बिल आपने पास कराये हैं। पहले उन सब की तो पाबन्दी कराइये। किन किन पर पुलिस अमल करती है, यह तो देखिये। आपने छुआछूत का क़ानून बनाया। क्या किया पुलिस ने ? जहां कहीं भी इधर उधर पब्लिक का आदमी एक इन्च भी आपकी पकड़ से हटा तो आप उसको जकड़ने के लिये फिर एक नया क़ानून ले आते हो। यह सोचने का आपका तरीक़ा गलत है। इस तरीके में सरकार का जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपके द्वारा जनता की कोई भलाई की बात आनेवाली नहीं है। जो भी बिल आवेगा जनता को दुख देनेवाला ही आवेगा, क्योंकि आपका सोचने का मापदण्ड ही ऐसा है।

इस बिल के द्वारा, जैसा अभी हमारे एक सदस्य महानुभाव ने बताया कि हमारे धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक काम ११ बजे के बाद तक भी चलते हैं उन पर इस तरह की पाबन्दी लगाने में इस सरकार की या इस बिल की कौनसी मंशा है। स्पष्ट है कि इस बिल के पीछे सरकार की कोई न कोई बदनीयत है, कोई न कोई चाल है, षडयन्त्र है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: धारा दस पढ़ो, दस।

श्री जयनारायण सालोदिया : राजनैतिक पार्टियों पर किसी भी रूप में पाबन्दी नहीं लगावेंगे, ऐसा जो सरकार कह रही है वह ग़लत है। सरकार तो यह सोच रही है कि अगर विरोधी पार्टियों पर किसी न किसी रूप में पाबन्दी नहीं लगावेंगे, किसी न किसी रूप में उन पर कन्ट्रोल नहीं रखेंगे तो जो विरोधी दल की पार्टियां हैं वे कभी मिल कर ऐसा मौक़ा भी पैदा कर सकती हैं कि उनके द्वारा हमारी सरकार को नुकसान पहुंच सकता है या हम सरकार नहीं बना सकते हैं। इस सोचने के दृष्टिकोण से आपने इस तरह के बिल बनाने शुरू किये हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनैतिक पार्टियों पर भी सरकार का हस्तक्षेप हो। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत बात है। या तो फिर आप इस देश से या प्रान्त से प्रजातन्त्र को खत्म कर दीजिये और अपना हिटलरशाही शासन बैठा दीजिये, जो बैठ गया तो फिर हटने का नाम नहीं, इस तरह का शासन कायम कर लीजिये, पर अगर आप प्रजातन्त्र की बात कहते हैं तो तरीक़े से काम करिये। जनता की क्या आवाज है, वह क्या चाहती है, हमारा बहुमत क्या चाहता है, इस पर ग़ौर करना होगा।

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ) : बहुमत सरकार के पास है और जो बहुमत चाहता है वही सरकार करती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके पास विधान सभा के एक सदस्य से बहुमत है केवल।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिल पर तो आये ही नहीं वे अभी तक, सभापति महोदय।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये सब बिल से ही सम्बन्धित बातें हैं। आपकी समझ में ही नहीं आवे तो मैं क्या करूं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कौन से क्लॉज में गड़बड़ी है, यह बताइये ?

श्री जयनारायण सालोदिया : चार और पांच क्लॉजेज में मेरा ऐतराज़ है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो उस पर ही बोलिये न।

श्री जयनारायण सालोदिया : उसी पर तो बोल रहा हूं। ११ बजे का कन्ट्रोल रखा। ग्यारह बजे के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं भजन और कीर्तन और प्रार्थना भी हो सकते हैं, राजनैतिक, सामाजिक पार्टियों की मीटिंगें भी हो सकती हैं। तो उन पर रोक लगाना, यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत है। यह नहीं होना चाहिये। इसको इस बिल में ज़रूरत नहीं। इन दो ही क्लाजेज की वजह से गड़बड़ी हुई है। ये दो क्लाजेज निकल जाती हैं तो फिर दिक़्क़त नहीं है। ये दो ही क्लाजेज हैं जिनके द्वारा आप अपनी नीति दूसरों पर लादना चाहते हैं। तो इन क्लाजेज के बारे में, मैं यह सिफ़ारिश करता हूं, इस सरकार से, जो प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाली है, प्रजातन्त्र को महत्व देती है तो इस बिल को जनता के जनमत को जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे। हम भी देखेंगे, अगर सरकार यह करती है तो, कि सरकार वाक़ई प्रजातन्त्र में आस्था रखती है और पहले विधान सभा में भी यह मांग थी कि

(श्री जयनारायण खालोदिया)

इसको जनमत के लिये प्रसारित कर दिया जाय और अगले विधान सभा के सत्र में ले लिया जाय।

सरकार को तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसी बात नहीं कि छः महीने बाद भी इसे पास करेंगे तो कोई अनर्थ होने वाला है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

या सरकार के किसी काम में रुकावट आने वाली है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पब्लिक से संबंधित यह बिल है। पब्लिक को आप आराम देना चाहते हैं किन किन सूरतों में देना चाहते हैं, यह पब्लिक से पूछ लिया जाये; वह उस आराम को आराम महसूस करती है या आप उसको आराम महसूस करते हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से और सरकार से प्रार्थना करूंगा और इस बिल को अभी पास करने के संबंध में विरोध करता हुआ सरकार से प्रार्थना करता हूं, यह बिल क्योंकि जनता से संबंधित बिल है इसलिये इसको जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाये।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : अब संशोधनों के संबंध में मन्त्री महोदय कुछ कहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय इस बिल को लेकर जो सदन में बहस हुई, मुझे खेद है; परन्तु एक बात से तो खुशी है कि कई माननीय सदस्यों ने इस बिल में काफ़ी दिलचस्पी ली और इस बिल को लेकर जो बातें सदन में यहां पर कही गई, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य कहने वाले भी यह सरकार से अपेक्षा नहीं रखते थे कि वह हर बात का जवाब दें, क्योंकि बिल से सम्बन्धित और बातों के अलावा बहुत सी बातें यहां पर कह दी गई। उनका उत्तर तो मैं जिस समय कि बजट का अवसर होगा या और कोई अवसर आयेगा उस समय उनकी बातों का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जहां तक इस बिल का संबंध है, सरकार एक बिल लेकर सदन में आई थी और सदन ने उस पर राय जाहिर की कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये और सिलेक्ट कमेटी में इस सदन के माननीय सदस्य, सभी पार्टियों के और सभी विचारों के सदस्य रखे गये थे और उनके होते हुए हमने सिलेक्ट कमेटी में उस बिल में काफ़ी परिवर्तन करके इस सदन के सामने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने पेश करदी। मुझे इस बात का दुख है कि सिलेक्ट कमेटी के जो माननीय सदस्य थे या उस पार्टी के लोग थे वे भी इस बिल के ऊपर इस तरह की टीका-टिप्पणी करते हैं कि यह प्रजातन्त्र के ऊपर एक बड़ा आघात है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि प्रजातन्त्र के माने यह नहीं है और मुझे माननीय सदस्यों को प्रजातन्त्र की परिभाषा और उसके स्कोप को समझाने की आवश्यकता नहीं, न मेरा कर्त्तव्य है और न मैं जरूरी समझता हूं। क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां प्रजातन्त्र के अन्दर रूल ऑफ़ लॉ होते हुए भी प्रजातन्त्र के अन्दर जनता के हर व्यक्ति को भारत के संविधान के अन्तर्गत अधिकार हैं और अधिकारों का भी उपभोग करने के लिए हमें कुछ संयमों को बरतना पड़ता है और जो भी संयम लगते हैं वह क़ानून से लगाये

(श्री मथुरादास माथुर)

जा सकते हैं और हमने इस बात की चेष्टा की है कि अगर किसी माननीय सदस्य को जो कि समाज का अंग है उसको ११ बजे के बाद में लाउड स्पीकर्स लगा कर चाहे वह भाषण दें, चाहे रेकार्ड प्ले करें या और कोई कार्यवाही करें, जिससे समाज के दूसरे अंग की नींद में खलल पड़े या परेशानी हो तो उस समय में समाज का क्या डिसिप्लिन रहना चाहियें; इस कानून के जरिये हमने यही प्रयत्न किया है। हम नहीं चाहते कि पोलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंगें बन्द हों, यह नहीं कि माननीय सदस्य ही केवल पोलीटिकल पार्टी के हैं, आखिर हमारी भी सबसे बड़ी पोलीटिकल पार्टी है। हम सभाएं करते हैं, जनता के पास जाते हैं; परन्तु हमने इस बिल में यह कहा है कि सभायें कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल के सामने, एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के सामने, रात्रि के ११ बजे बाद कोई कोलाहल नहीं होना चाहिये। हां, सभाएं आप खूब कीजिये। कौन रोकता है? दिन भर कीजिये।

प्रतिक्रियावादियों के लिए कहा गया तो क्या प्रतिक्रियावादी ११ बजे ही दब जायेंगे, दिन में नहीं दबेंगे? यह समझ में नहीं आता। फिर सुबह ५ बजे के बाद जिस समय मंगलाचरण का समय होता है उसके बाद लाउडस्पीकर्स शुरू कर दीजिये, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन समाज के दूसरे लोग, बीमार आदमी ११ बजे से ५ बजे तक ही सोना चाहते हैं। मुझे पूछा गया कि यह बिल क्यों लाया गया? मैं, हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिस समय मार्च का महीना होता है छोकरों के इम्तिहान होते हैं और वहां होली के गिरोह घन्टों तक होस्टल के सामने गाते रहते थे। उसके लिये होस्टल के लड़कों ने मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा १४४ के सिवाय कोई कानून नहीं है। "ब्रीच आफ़ पीस" होता है उस समय यह लगाया जाता है। तो उस मजिस्ट्रेट ने उस सिचुएशन को कन्ट्रोल किया। तो इस तरह की और भी कई शिकायतें आती हैं। जयपुर शहर में भी इस समय लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं। १४४ के अण्डर में नोटीफ़िकेशन निकाला है। तो यह सब विद्यार्थियों के लिये, जो आपके ही बच्चे हैं उनके इम्तिहान होते हैं तो उनको किसी तरह का डिस्टर्बेन्स न हो, इसलिये इस बिल को लाया गया है। इसके अलावा आप वहां पर हरि कीर्तन कीजिये, खुदा की इबादत कीजिये, कौन रोकता है? और हरि-कीर्तन करके या खुदा की इबादत करने से कोई खुदा के पास तुम चले जाते हो, यह मेरी समझ में कम आता है।

इसमें एक दफ़ा यह भी है कि इन इन स्थानों के ऊपर मीटिंग नहीं हो सकती। किसी ने कहा कि अस्पताल के पास किसी का घर है और वहां रेडियो है, वह रात को ११ बजे बाद नहीं बजा सकता तो इसके लिए भी इसके अन्दर प्रावधान है। इसके लिए कोई रोक नहीं है। इसके अलावा इस बात को भी आप समझ लें कि यह कानून किसी तरह से किसी अंग के फ़ण्डामेन्टल राइट्स को हनन करने के लिये नहीं बनाया गया है। यह क़ानून तो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिये बनाया गया है, जिससे एक के काम से दूसरे के ऊपर असर न पड़े और जिसको जो सामाजिक हक़ प्राप्त हैं उनको वह एन्जोय कर सके। इससे न तो प्रजातन्त्र को कोई खतरा है और न समाजवाद को।

(श्री मथुरादास माथुर)
इसमें दो दफ़ा हैं। एक तो यह यह है कि इन इन स्थानों पर ११ और ५ बजे तक रात्रि को मीटिंग नहीं कर सकता। इसके अलावा चाहे आप मीटिंग करो, हरि-कीर्तन करो घर में कुछ भी करो। लाउड स्पीकर के लिए रुकावट है, प्राइवेट घरों में अपना रेडियो बजाइये; कौन रोकता है? इसलिये मैंने म्यूज़िक शब्द को निकाल दिया था। दूसरा इसमें क्लॉज़ है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जनरल अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यह समझ लीजिये कि इसकी पहली धारा में लिखा है कि यह क़ानून राजस्थान में सभी जगह लागू नहीं होगा। सरकार जहां चाहेगी, जिस क्षेत्र में चाहेगी, जिस गांव या शहर में चाहेगी, वहीं पर इसको लागू किया जावेगा। आज गांवों में कोई हरि-कीर्तन करे या और कोई काम करे तो कौन रोकता है? इस क़ानून को कोई गांव गांव में थोड़े ही लागू कर रहे हैं। यह तो ऐसी जगह, जहां शहरी आबादी बढ़ गयी है, जहां ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं वहां यह लागू हो सकता है। इसलिये हमारी क़तई मन्शा नहीं है कि इस कानून को सब जगह लागू कर दिया जाये।

मैं कहता हूं कि गांवों में हरि-कीर्तन कीजिए, लाउडस्पीकर लगाकर रात को खूब हरि-कीर्तन मन्दिरों में करें, गांव वाले तो राज़ी होते हैं। लेकिन जिस शहर में हम रहते हैं, जहां पर ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जहां आबादी का कन्सेन्ट्रेशन है, वहां पर रोज़ पोलिटिकल पार्टीज़ हो, सामाजिक मीटिंग हों, हरि-कीर्तन हों, कोई म्यूज़िक कॉन्फ़्रेन्स हो, इन्स्टीट्यूशन के पास लोगों को तकलीफ़ हो, तो उसको रोकने के लिये यह किया गया है। यह राजस्थान में ही नहीं बना है। राजस्थान में तो बल्कि बहुत बाद में आया है। आज हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में इस तरह का क़ानून है। उसके साथ ही साथ दुनिया के सभी जो सिविलाइज्ड कन्ट्रीज़ हैं वहां ऐसा क़ानून है।

अब रह गया कि पुलिस को अधिकार दिया गया है, इसको कॉग्निजेबल आफेन्स बनाया गया है। पुलिस को सब अधिकार दिया गया है। पुलिस को अगर अधिकार नहीं दें तो फिर कौन शिकायत करेगा? आपका इम्तिहान हो रहा है या आप अस्पताल में पड़े हुए हैं, और आपको १०४ डिग्री बुखार है और आपके पास में लाउड स्पीकर बज रहा है तो आपके कहने से तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप शिकायत करने जायं तो रात को तो आप सो नहीं सकते हैं। इस-लिये उस वक्त रोकने के लिए चाहे पुलिस कितनी ही बदनाम हो, चाहे पुलिस के लिये आपके दिल के अन्दर कुछ भी जगह नहीं हो फिर भी वह एक एपरेटस है समाज और गवर्नमेंट का, जिसके जरिये हम लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसमें सुधार होना चाहिये और सुधार हो रहा है और हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन पुलिस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाय, जैसा कि आपने भाषण दिया उससे मालूम होता है कि पुलिस जैसी कोई चीज नहीं रखनी चाहिये, अगर यह फैसला सदन अगर कर ले और समाज कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन जब तक पुलिस है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यह जरूरी बात है कि उसका दुरुपयोग न हो। हम कोशिश करते हैं उसको रोकने की। यदि किसी ने उसका दुरुपयोग किया है तो हम उसको डिसमिस करते हैं और

(श्री मथुरादास माथुर)

सब तरह की कोशिश करते हैं। यह हमारी पुरानी पुलिस है। इसको प्रजातन्त्र के अनुकूल बनाना होगा। ज्यों-ज्यों डेमोक्रेसी पनपेगी, वह होगी, वह इस बात से संबंध नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं; इसको यदि कॉग्निजेबल आफेंन्स नहीं बनायेंगे तो शारदा एक्ट की तरह, जो कि अजमेर के थे, उस तरह का यह कानून बन जायगा और कानून बनाने की जो मन्शा है वह बेकार जायगी। एक ऑफेन्स के लिए सिलेक्ट कमेटी ने कह दिया है कि उसको कोई सजा नहीं देंगे और सैकन्ड ऑफेन्स को देंगे। उसके बाद में मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिये गये हैं। उसके अलावा किसी छोटे-मोटे मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं दिये गये हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही जस्टीफाई करना होगा। यह जो कानून बनाया गया है वह एक सुसंगठित समाज चले, इसके लिए बनाया गया है। इसमें न एमर्जेन्सी का सवाल है और सरकार के जो लाउड-स्पीकर हैं वे भी इस कानून के मातहत हैं। वे भी ११ बजे के बाद में नहीं बजेंगे। फिर भी मान लें कि कोई बडे पोलिटिकल नेता आये हुए हैं और उसमें देर हो जाती है तो आप कलेक्टर को कह दें कि वे ११ बजे बाद तक की पर्मीशन दे दें। वह देते हैं या आप लेते हैं। इलेक्शन के दिनों में क्या होता है कि २-४ मैदान होते हैं, पब्लिक मीटिंग्ज सब पोलिटिकल पार्टीज करना चाहती हैं। तो पोलिटिकल पार्टीज़ कलेक्टर को लिख देती हैं और कलेक्टर उनको एलाउ कर देता हैं। इस प्रकार से रेग्युलेशन होता है। ११ बजे के बाद किसी पोलिटिकल पार्टी को मीटिंग करनी हो तो उसको कलेक्टर पर्मीशन दे सकता है। आर्डिनेरिली सुबह ५ बजे से रात के ११ बजे तक जितनी चाहे मीटिंग्ज कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की है, मैं नहीं कहता कि उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि सब माननीय सदस्य समझते हैं और कानून को पढ़ कर आये हैं, तभी भाषण दिया है। यह कानून मौजूदा समाज-व्यवस्था ठीक ढंग से चले, इसलिये यह आवश्यक है और इसी भावना से यह कानून रखा गया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्लाज़ ४ के बारे में जरा स्पष्टीकरण करें तो ठीक हो।

श्री मथुरादास माथुर: क्लाज ४ में यह है और ५ का यह है कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला: ५ को डिलीट किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): ५ जो है वह बहुत वाइड है। वह कई को कवर करती है।

श्री विजयसिंह झाला: District Magistrate or any other person....

श्री मथुरादास माथुर: क्लाज़ ५ पर आयेंगे तो इस प्रश्न पर विचार कर लेंगे। अभी तो जनरल डिबेट हो रही है।

श्री विजयसिंह झाला: आप आश्वासन दें।

श्री सभापति: Order please! प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(श्री सभापति)

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I press it, Sir.

श्री सभापति : संशोधन गिर गया ।

श्री विजयसिंह झाला : बहुत से लोगों ने "हां" कहा है ।

श्री सभापति : संशोधन गिर गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि राजस्थान नोइज एण्ड म्यूजिक कन्ट्रोल बिल, १९६२ as reported by the Select Committee को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

अमेंडमेन्ट्स । श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्लॉज २ को तो स्वीकार करा लीजिये, क्योंकि उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ३, श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मैं क्लॉज ३ में तीन संशोधन रख रहा हूं [संशोधन इस प्रकार हैं :

(*a*) The words "and in such other manner as he thinks fit" occurring between the word "prescribed" and the word "declare" be deleted;

(*b*) For the word "during such hours of the night as may be specified in the notice" the following words be substituted—

"during the hours specified in section 4".

(*c*) The word 'otherwise' occurring after the word 'amplifier' be deleted].

मैं यह मानता हूं कि मेरे तीनों संशोधन ऐसे नहीं हैं कि वे इस विधेयक के विरुद्ध हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं क्लॉज ३ के अन्दर, जो कि अस्पष्ट हैं और अस्पष्ट होने के कारण ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है । उसको कोई रोक नहीं है । इसलिये क्लॉज ३ के अन्दर जो 'प्रेस्क्राइब्ड नोटिस' कर दिया है उसके बाद में The words "and in such other manner as he thinks fit" occurring between the word "prescribed" and the word "declare" be deleted. क्योंकि इस सेन्टेन्स की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । जब उसमें प्रेस्क्राइब्ड नोटिस कह दिया है कि प्रेस्क्राइब्ड नोटिस होना चाहिए और जब तक प्रेस्क्राइब्ड नोटिस नहीं दिया जा सकता और केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इच्छा पर यह छोड़ा जाता है कि वह जैसा उपयुक्त समझेगा उस प्रकार का नोटिस

(श्री विजयसिंह झाला)

निकाल सकता है, तो मेरी समझ में यह कोई वैधानिक नहीं कहा जा सकता है । वह कभी भी एक घन्टे पूर्व ही किसी क्षेत्र को घोषित कर सकता है, किसी भी स्थान को घोषित कर सकता है कि यहां पर मीटिंग नहीं होनी चाहिये । वह किसी सीक्रेट जगह पर बोर्ड लगा सकता है कि मीटिंग नहीं होनी चाहिये और उपयुक्त समझता है कि मैंने नोटिस दे दिया है। लेकिन जन-साधारण को जब तक मालूम नहीं होगा कि अमुक स्थान पर मीटिंग नहीं हो सकती अमुक समय में मीटिंग नहीं हो सकती तब तक किसी चीज के लिए कोई भी व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता । इसलिये कोई न कोई प्रेस्क्राइब्ड नोटिस होना चाहिए । कलेक्टर की इच्छा पर छोड़ना कि वह जैसा उपयुक्त समझे उस प्रकार का नोटिस दे सकता है, यह मैं उपयुक्त नहीं समझता । मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी मेरे इन सुझावों को स्वीकार करेंगे । क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने विधेयक को रखा है उसमें ऐसी बाधा नहीं है और जनता को भी मालूम हो जायगा कि किस प्रकार का नोटिस दिया है कि किस स्थान पर और किस समय में मीटिंग नहीं कर सकते हैं । यह बहुत ही आवश्यक है ।

दूसरा संशोधन मेरा है :

"For the words "during such hours of the night as may be specified in the notice", the following words be substituted "during the hours specified in section 4."

तो, सभापति महोदय, क्लॉज ४ के अन्दर सारी की सारी बातें आ गई हैं। यदि कहीं हॉस्पिटल है, यदि कहीं कोर्ट्स हैं, यदि कहीं स्कूल हैं तो वहां पर कोलाहल नहीं किया जा सकता है । जब यह कह दिया है तो फिर उसके बाद में फिर कोई यह आवश्यकता नहीं समझता कि इस प्रकार का प्रेस्क्राइब्ड नोटिस दिया जाय। जब इस प्रकार का, आर्डिनेरी नोटिस दिया हुआ है और उसके अनुसार कोलाहल को रोका जा सकता है, क्योंकि क्लॉज ४ के अन्दर सारी बातें आ गई हैं और जिस उद्देश्य के लिये विधेयक रखा जाता है वे सारी बातें क्लॉज ४ में आ गई हैं, इसलिये क्लॉज ४ के बाहर कोई ऐसी बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं देनी चाहिए, जिसके अनुसार वह कहीं दूसरी जगह पर कोलाहल को रोक सके । इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि "during the hours specified in section 4" ये जो शब्द हैं इनकी जगह यूज किये जायं और "during such hours of the night as may be specified in the notice" को निकाल दिया जाय । ११ से ५ बजे तक कोई नहीं हो सकता है । यह क्लॉज ४ में स्पष्ट है कि किसी स्कूल के सामने मीटिंग नहीं हो सकेगी । किसी कोर्ट के सामने नहीं हो सकती, यह भी स्पष्ट है । उसके बाद कोई भी इस प्रकार का समय या स्थान नहीं बचा है जिसके कारण हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दें कि दूसरी जगह के लिये बाधा पहुंचावे ।

साथ ही साथ मुझे तीसरा संशोधन इस क्लॉज में यह रखना है :

"the words 'or otherwise' occurring after the word 'amplifier' be deleted".

(श्री विजयसिंह झाला)

जब कि हमने इसको लाउड स्पीकर तक सीमित किया है साउन्ड एम्प्लीफायर है, उसके लिये सीमित किया है तो "अदर-वाइज" शब्द रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस "अदरवाइज" शब्द को रखने से कहीं ऐसा न हो कि दूसरे ढंग से राजनैतिक पार्टियों के लिये बाधा डाल दें।

ये सारी बातें ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स देती हैं। इस समय हम यह आवश्यक नहीं समझते कि ऐसे अधिकार दें जो मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इसलिये सारी बातें प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिये, नोटिस होना चाहिए। सेक्शन ४ के अंतर्गत उनके आगे कोई बात नहीं होनी चाहिये और "अदरवाइज" शब्द की आवश्यकता नहीं समझता। मैं आशा करता हूं कि इनको स्वीकार करने से प्रजातन्त्र की तरक्की सामने आयेगी, मार्ग सामने आयेगा और उद्देश्य में बाधा नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रीजी इन बातों को स्वीकार करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): माननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक खण्ड ३ का सवाल है, यह डिक्लेरेशन एण्ड प्रोहि-बीशन ऑफ नोक्टरनल नौइज के बारे में है। अब नौक्टरनल नोइज क्या चीज है, इसको कौन डिक्लेयर कर सकता है, इसको क्लॉज ३ डील करता है। इसमें जो अमेंडमेंट दिया है उसमें लिखा है। एक तो यह कि "in such manner as may be prescribed and in such other manner as he thinks fit;" यह जो "इन सच अदर मैनर" आगे है "डीम्स फिट", यह लिख दिया कि कहीं पर ऐसे सर्कमस्टान्सेज पैदा हो जायं जिसमें प्रेस्क्राइब्ड करेगा तो लिमिटेशन होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे आदमी को जिसके पास बहुत पॉवर्स हैं, उसको दिये हैं, तो इसलिये दिये हैं कि मान लीजिये उसको इमीजिएटली जरूरत हो तो उसके लिये दिये हैं कि by words "or any other demons-tration."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): इसको आप प्रेस्क्राइब्ड मैनर में रख दें। इमीजि-एटली जरूरत पड़ने पर "इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर" कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: "प्रेस्क्राइब्ड मैनर" में फार्म होता है वह तो होगा ही। कहीं ऐसी स्थिति हो जाय कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं हो सकता और रोकना हो तो कैसे रोकेगा? हमेशा कानून बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसी जरूरत आने पर कैसे हो। जब आपने राइट्स दे दिये, उसको पॉवर्स दे दिये कि प्रेस्क्राइब्ड फार्म में करेगा। लेकिन कभी प्रेस्क्राइब्ड फार्म में नहीं कर सके तो उसके लिये प्रोविजन रखा है। कोई फंडा-मेन्टल चेन्ज इम्प्लाइड नहीं है। . . . .

श्री विजयसिंह झाला: ज्यादा से ज्यादा आप यह करदें कि एक घंटे की सूचना देकर नियंत्रण कर सकता है। उससे ज्यादा क्या चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर: मैं अपनी बात कह रहा था कि इसलिये यह क्लॉज रखना जरूरी है कि एमर्जेन्सी में या एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्कमस्टान्सेज में जरूरत पड़ने पर रोका जा सके।

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरा यह है कि "declare any noise produced during such hours of the night as may be specified in the notice".

श्री विजयसिंह झाला : "During the hours specified in section 4".

यह आप कर लें "रात्रि कोलाहल" के बजाय क्लॉज ४ दोनों में सारी की सारी बात आ जाती है ।

श्री मथुरादास माथुर : स्कीम ऑफ थिंग्ज है । क्लॉज ३ नौक्टुरनल नौइज के बारे में है, नौक्टरनल नोयज को कन्ट्रोल करने के लिये है और ५ जनरल है· · ·

श्री विजयसिंह झाला : "नोइज" की परिभाषा कहां है ? आपने सिलेक्ट कमेटी में "नोइज" की परिभाषा उडा दी ।

श्री मथुरादास माथुर : "नोइज" की परिभाषा इसलिये हटा दी, इसमें लिख दिया कि, in his opinion is likely to cause annoyance or serious inconvenience to the public. A noise which is not causing annoyance and inconvenience to public is not a noise.

इसलिये हमने इसको और भी लिबरल किया है । पहले डेफिनिशन ओरीजिनल में थी । चाहे अनोयेन्स करे न करे, noise is noise अब यह कर दिया है : "Noise is noise only when it causes annoyance to the public".

इसलिये यह और भी इम्प्रूवमेन्ट है ।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन "नौइज" की डेफिनिशन है कहां ?

श्री मथुरादास माथुर : डिलीट करदी गई है । नोइज़ की डेफ़िनिशन की ज़रूरत नहीं है । कहीं लाउड स्पीकर बजता है और वह पब्लिक को अनोय करे, तो वह नोइज़ समझा जायगा ।

इसलिये क्लॉज़ ३ रखना ज़रूरी है । मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे हैं वे उनको वापिस लेंगे । वे ख़ुद भी मानते हैं कि मूल बात नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं, वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : वोकल नोइज़ कैसे प्रोड्यूस होती है ?

श्री सभापति: (श्री झाला से) Would you like to withdraw your amendment ?

श्री विजयसिंह झाला : No, Sir.

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ पर श्री विजयसिंहजी झाला द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

Page No.73

(विराम)
क्लॉज़ ४

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : [संशोधन इस प्रकार है–

(1) After the words "or gramophone" insert the words "in such manner as may produce nocturnal noise".

(2) In Sub-part (*ii*) after the words "local authority" insert the words "or by a private institution".

(3) in Sub-part (*iii*) after the words "local authority" insert the words "or by a private institution"]

सभापति महोदय, क्लॉज़ ४ पर मेरा एक संशोधन है। उसके पहले मैं क्लॉज़ ४ को सदन के सामने पढ़ दूं :––

"No person shall use or play a loudspeaker or a sound amplifier for broadcasting any speech, sermon, music or radio programme or shall attach the same to any wireless receiving set or gramophone...

इसमें सारी बातें ऐसी आई हैं, कि जहां कोई रेडियो वजायेगा और किसी प्रकार की नोइज़ नहीं होगी तो भी इसके अन्तर्गत रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। इसलिये यह आवश्यकता हो जाती है कि केवल कहीं रेडियो बजता है, ग्रामोफोन बजता है या लाउड स्पीकर पर बोल रहा है, लेकिन जब तक नोइज़ प्रोड्यूस नहीं करे तब तक उन पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिये।

सभापति महोदय, किसी स्कूल के पास किसी का मकान है और उसमें रेडियो जोर से बजता रहता है, तो भी उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन उससे कम आवाज़ में स्कूल के आगे मैदान में रेडियो बज रहा है या पोर्टेबल रेडियो लेकर कोई जा रहा है और उससे घर पर बजने वाले रेडियो से कम आवाज़ है, कोई नोइज़ नहीं हो रही है तो भी उस पर सेक्शन ४ के अन्तर्गत रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। स्कूल के आगे रेडियो नहीं बज सकता, ग्रामोफ़ोन नहीं बज सकता; लेकिन उससे भी अधिक ज़ोर से स्कूल से अटेच्ड मकान में बज सकता है। इसलिये मैं मानता हूं कि पब्लिक प्लेस पर कोई रेडियो बजाये और कोलाहल उत्पन्न न करें तो यह आवश्यक नहीं है कि किसी प्रकार की रोक लगाई जाय। इसलिये मैंने संशोधन रखा है :

After the words "or gramophone" insert the words "in such manner as may produce nocturnal noise as is likely to cause annoyance".

इस प्रकार का संशोधन इसमें कर दिया जाय क्योंकि, 'नोक्टरनल' शब्द रात्रि में कोलाहल के लिये आता है। इसलिये जब तक नोइज़ नहीं करे तब तक उस पर रोक नहीं लगनी चाहिये ऐसा डिज़ाइन होना चाहिये।

साथ ही साथ मेरा दूसरा संशोधन है in sub-part (*ii*), after the words "local authority" insert the word "or by a private institution."

Third है : in sub-part (*iii*) after the words "local authority" insert the words "or by a private institution".

(श्री विजयसिंह झाला)

प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन जो रन करते हैं, सम्भव है, वे रिकॉग्नाइज्ड बाई दी गवर्नमेन्ट नहीं हों। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड बाई दी गवर्नमेन्ट न होते हुए भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन अच्छे स्तर पर रन कर रही हैं, तो उन स्कूलों और होस्टलों को, जो गवर्नमेन्ट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं, लेकिन अच्छे स्तर पर चल रही हैं, इस विधेयक के अनुसार किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिये आपके उद्देश्य को आगे तक पहुंचाने के लिये, दरअसल जो विद्यार्थियों को सुविधा दिलाने के लिए जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स रन हो रही हैं और होस्टल रन हो रहे हैं, और जिनको गवर्नमेन्ट ने रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है, उनको सुविधा देनी चाहिये।

इन तीनों संशोधनों को मैं प्रस्तुत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये सारे के सारे संशोधन गृह मन्त्रीजी के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हैं, इसलिये इनको वे स्वीकार करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, इस सैक्शन चार में माननीय सदस्य ने जो तरमीमें रखी हैं, मेरे ख्याल से कलाज़ ४ को वे ठीक तरह से समझ लेते तो इनकी आवश्यकता नहीं रहती। हमने कलाज ४ में कहा है :—

"No person will use and play loudspeaker or sound amplifier for broadcasting any speech, serm on music or radio programme."

उनकी कठिनाई है कि कोई ट्रान्जिस्टर सेट लेकर एक पब्लिक इन्स्टीट्यूशन के बाहर से बजाता हुआ निकल जाय तो वह इसमें कवर हो जाता है। नहीं होता है, हमने इसमें कहा है :—

"use or play loudspeaker or sound amplifier."

ये दो लब्ज़ काम में लिये हैं तो ट्रान्जिस्टर न तो लाउड स्पीकर होता है और न एम्प्लीफ़ायर होता है। इसलिये जो चीज़ इसमें की गई है उससे हमारा मक़सद है कि कोई व्यक्ति ब्रॉडकास्ट करे किसी लाउड स्पीकर या एम्प्लीफ़ॉयर से और जिससे न्यूसेन्स हो तो उसको रोका जाय····

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) निजी तौर से कोई साउन्ड एम्प्लीफ़ायर बजाये··

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपका मतलब समझ गया। आपका पोइन्ट कवर नहीं होता है। जो कठिनाई आप सोचते हैं वह नहीं रहेगी।

"No person shall use a loudspeaker or sound amplifier for broadcasting."

रेडियो बजाये कोई घर में तो मैंने उसके लिए एक्सेप्शन दे दिया है। प्राइवेट हाउसेज़, पब्लिक प्लेसेज़ के ऊपर कोई एम्प्लीफ़ायर बजाता है तो वह नहीं आता है। इसलिये जो सेक्शन है, इसके अन्दर जो बात कही है, वह बात इन इन्डीविज्युअल के बाहर है।

एक पौइन्ट रखा है कि कोई प्राइवेट इन्स्टीट्यशन हो। हमने इसको कवर करने की कोशिश की है; रिकॉग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन, एडेड इन्स्टीट्यूशन, सरकार, द्वारा मैनेज्ड

Page No.75

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्स्टीट्यूशन उन सब को हमने ले लिया है। आप इसको ग़ौर से सोच लीजिये, आपकी बात मानने में फन्डामेन्टल आपत्ति मुझे नहीं है, लेकिन कोई भी दस-पन्द्रह आदमी एक होस्टल चलाने लग जांय, या दस-पन्द्रह आदमी एक जगह रहने लग जांय, तो रिकॉग्नाइज्ड का यह हो जायगा कि यह एक कान्ट्रेडिक्टरी दलील हो जायगी। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स को, पब्लिक वैलफेयर की इन्स्टीट्यूशन्स को, उसमें इन्क्लूड करने में मुझे आपत्ति नहीं है। इसलिये इतना कर दिया है कि जो इन्स्टीट्यूशन्स सरकार से मैनेज्ड हैं, मैन्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं या एडेड हैं। यह एक बड़ा दायरा है, तो इसलिये छोटा व्यू नहीं है। इसलिये जैसा क्लॉज़ जिस हालत में रखा है, मैं इसके ऊपर और कुछ सोचता, लेकिन इसे फिर देख लेंगे। मेरे ख्याल में दफा चार एज़ इट इज़ ह, वह पास करना ठीक रहेगा।

श्री सभापति : Would you like to withdraw your amendments ?

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) Not first, Sir: Second I may.

श्री सभापति : तीन हैं। तीन में से कौनसा करते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : फर्स्ट को विथड्रा नहीं करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन दो और तीन, क्लॉज़ ४ में जो श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की इजाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री मथुरादास माथुर : आप ले लीजिये वापिस।

श्री विजयसिंह झाला : I withdraw the second and third. but not first.

श्री सभापति : उन्हीं के लिए इजाजत दी गई थी।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ में जो प्रथम संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

प्रश्न यह है...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

No, Sir, I propose to delete clause 5. I propose to delete it, so there is no need of amendment.

श्री मथुरादास माथुर : अमेन्डमेन्ट तो है नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं,

(श्री विजयसिंह झाला)

सभापति महोदय, · · · · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, राजस्व) : You want to delete it ?

श्री विजयसिंह झाला : I propose to delete it as a whole.

श्री मथुरादास माथुर : But the amendment is not there.

श्री विजयसिंह झाला : I have given amendment for its deletion, but it has not been printed.

श्री मथुरादास माथुर : Any, way you can oppose it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऑपोज करना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, जिस उद्देश्य के लिये विधेयक का निर्माण किया गया है वह सारा का सारा उद्देश्य क्लॉज़ ४ में आ जाता है। उसके बाद में कोई ऐसी बात नहीं बचती है जो कि क्लाज़ ५ के लिये रखी जाय। क्लाज़ ५ इसलिये रखा गया है कि जब कभी कोई विरोधी पार्टियां किसी जगह मीटिंग करेंगी, जहां पर सबसे ज्यादा आदमी इकट्ठे होसकते हों और बात सुनने के लिये सबसे ज्यादा आ सकते हों वहां पर, ऐसी जगह पर क्लाज़ ५ के तहत रेस्ट्रिक्शन्स लगाये जायेंगे। क्लॉज़ ४ में दरअसल में आपने विद्यार्थियों के लिये किया है तो उसको मानने के लिये हम तैयार हैं। कोलाहल के लिए किया, उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। रात्रि-कोलाहल के लिये क्लॉज ४ के अन्तर्गत प्रावधान रखा, उसको मानने के लिये तैयार हैं; हम किसी रूप में विरोध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सारी बातें होने के बाद क्लाज़ ५ की क्या आवश्यकता है ? क्लाज़ ५ के अन्दर, हम सोच रहे हैं, जब कि कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या नेताओं का इशारा होगा कि अमुक गांव में, अमुक जगह पर सबसे ज्यादा आदमी विरोधी पार्टियों की मीटिंग सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वहां पर विरोधी पार्टियों की मीटिंग नहीं करने के लिए कहा जायगा। जिस प्रकार नाथद्वारा की चौपाटी पर किसी प्रकार की पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती · · ·

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : होनी भी नहीं चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : किसी प्रकार चौपाटी पर रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। यह इसलिये लगाया गया है कि जन संघ की मीटिंग होती तो उस चौपाटी पर होती, समाजवादी दल की मीटिंग होती तो उस चौपाटी पर होती और वहां सबसे ज्यादा आदमी इकट्ठे हो सकते थे। इसलिये चुनाव के पहले · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : कांग्रेस की नहीं होती थी ?

श्री विजयसिंह झाला : कांग्रेस में साहस नहीं था कि चौपाटी पर आकर मीटिंग कर सके, साहस नहीं था कि चौपाटी पर मीटिंग कर सके और पब्लिक के सामने अपनी बात कह सके। इसलिये उन्होंने पुलिस के द्वारा हुक्म निकलवा दिया कि चौपाटी पर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस

(श्री. विजयसिंह झाला)
प्रकार का प्रावधान रखा और ट्रैफिक एक्ट के अनुसार रोका। तो मुझे डर है कि इस प्रकार का जब प्रावधान हो जायगा तो कल पुलिस के आदमी जब कभी चाहेंगे कि अमुक जगह पर मीटिंग नहीं हो, वहां नहीं होने देंगे और उनकी इच्छानुसार मीटिंग रखी जायंगी। इसके सिवाय क्लॉज़ ५ का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। सभापति महोदय, मैं क्लाज ५ को सदन के सामने पढ कर सुनाता हूं.......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पब्लिक इन्ट्रेस्ट में जरूरी हो तो।

श्री विजयसिंह झाला :

"Power to prevent (music or noise) at any time and at any place. The District Magistrate or any other person authorised by the State Government in this behalf, may, on being satisfied that in his opinion, it is necessary in the public interest so to do, by an order in writing recording reasons therefor, prohibit (music or noise) of any kind whatsoever, including the amplification thereof, in any place at any time."

तो इसमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। "एनी प्लेस इसमें यह नहीं कहा गया है कि कोई स्थान स्कूल के पास होगा या कोर्ट के पास होगा या होस्पिटल के पास होगा। "एनी टाइम--किसी भी समय; यह भी इसमें रखा गया है। किसी भी समय कोई भी पार्टी वाले मीटिंग करेंगे और सरकार चाहेगी कि वह रोकी जावे तो रोक सकती है। आपने 'एनी टाइम' कहा है। कभी भी रात को ११ बजे करेंगे तो आप कहेंगे नहीं कर सकते शाम को ७ बजे या ५ बजे करेंगे तो आप नहीं करने देंगे। मैं यह कहूंगा कि जब आप चाहेंगे कि हम मीटिंग नहीं कर सकें, नहीं कर पावेंगे।

इसके अलावा आपने नोइज की कोई डेफिनिशन नहीं बताई है। अगर कोई आदमी बिना लाउड स्पीकरों के बोलेगा तो पुलिस जिसको चाहेगी उनको पकड कर ले जावेगी। अगर कोई नौइज की परिभाषा होती तो वह अपना डिफेन्स पेश कर सकता था कि मैंने नोइज नहीं किया है। अगर कोई बिना लाउड स्पीकर्स के बोलेगा तो उसको पब्लिक रोक सकती है। आपने बताया कि प्रेस्क्राइब्ड रूल्स बनाये जावेंगे...

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्लाज ११ के अनुसार बनाये जावेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : यह बाद की बात है। जब क्लॉज़ ४ में सब पूर्ति हो जाती है तो क्लाज ५ फिर क्यों रखा गया है ? हमें डर है कि आप विरोधी पार्टी के लोगों को भाषण देने से रोकना चाहते हैं और मीटिंग करने नहीं देना चाहते हैं। इसके सिवाय कोई बात हमारे सामने नहीं आती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ ५ को हटा दिया जावे।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, अलग अलग थिंकिंग हैं। हमने कुछ संस्थाओं के लिये रात को ११ बजे से सुबह ५ बजे तक लाउड स्पीकर्स आदि नहीं बजाने के लिये रोक लगाई है। दूसरी जगह भी मजिस्ट्रेट पब्लिक के हितों को सोचे कि यह

(श्री मथुरादास माथुर)

नौज़ है तो वह उसको पब्लिक हितों के लिये रोक सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति; जैसे मस्जिद मंदिर आदि स्थानों पर खडे होकर नोइज, करें तो उसको रोक सकते हैं। मगर जैसा यह कहा जाता है कि पोलिटिकल पार्टीज पर प्रतिबन्ध लगाये जावेंगे, ऐसी बात नहीं है। जहां कहीं समाज में न्यूसेन्स हो तो उसको रोका जा सकता है। हम सब लोग पोलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। आपके अधिकार खत्म हो जावेंगे तो हमारे भी अधिकार खत्म हो जावेंगे। मीटिंग के लिये रिलेक्सेशन है। यह हमारी कतई मंशा नहीं है कि किसी पोलिटिकल पार्टी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जावे; क्योंकि जितनी मीटिंगों का आपको अधिकार है हमको भी है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आखिर हम लोग आपसे एक-दो मीटिंग ज्यादा ही करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (खयसिंहनगर): आपसे हम ज्यादा करते हैं, इलेक्शन के समय में आप देखें।

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) इलेक्शन के समय रात रात भर तक मीटिंगें होती रहतीहैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप पैदा ही नहीं हुए थे तब से हम मीटिंगें करते आ रहे हैं। आपको तो अभी चार दिन ही हुए हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह बिल किन्हीं पोलिटिकल पार्टीज को सप्रेस करने के लिये नहीं है। मुसीबत का सामना करने के लिये यह रखा है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह सोचे कि यहां पर कोई खतरा है तो वह रोक लगा सकता है। सभी देशों में रेगुलेशन आफ सोसाइटीज के लिये यह जरूरी है। दूसरे देशों में यह कानून है। रगुलेशन ऑफ सोसाइटीज के लिये हमने भी यह कानून बनाया है। इसलिये माननीय सदस्य जो नाथद्वारा से आये हुए हैं उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं होगी। अगर कोई ऐसी बात होगी तो उस हुक्म के खिलाफ आप एजीटेट कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: Point of infomation, Sir,
आपने रिलीजियस प्लेसेज़ की बात कही। क्लाज ४ में लिया गया है। आपने 'एनी प्लेस' और 'ऐनी टाइम' रख कर कोई लगाम नहीं रखी है।

श्री मथुरादास माथुर: मैं यह कहूंगा कि हमने लगाम ही नहीं लगाई; बल्कि हमने जंजीर लगा दी है। लेकिन यह सब पब्लिक इन्ट्रेस्ट में करते हैं और अगर ऑथोरिटी ठीक समझती है तो वह यों भी रोक लगा सकती है। अगर रिलीजियस प्लेसेज के पास कोई चैक की जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चैक लगा सकता है। इसलिये हमने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर छोडा है। डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट जिले के लॉ एन्ड ऑर्डर का जिम्मेदार होता है। यह सीधी सी बात है। उन्होंने जो तरमीम रखी और विरोध किया उससे मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप इसे पास कर दें।

श्री विजयसिंह झाला: आपकी कोई 'नौइज' की परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा होती तो ठीक था। अगर कोई बिना लाउड स्पीकर के बोलेगा तो क्या उसको नौइज मान लेंगे?

श्री मथुरादास माथुर: इसमें दोनों बातें लिखी हैं।

Page No.79

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने जो बात कही है....

श्री सभापति : Order please :

(मत-दान के पश्चात्)

क्लाज ५ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ६, श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : [संशोधन इस प्रकार है :—

4. The following words shall be substituted for the words "on first conviction........two hundred and fifty rupees or with both" :—

"On first conviction be punished with fine which may extend to one hundred rupees and on second or subsequent conviction be punished with fine which may extend to two hundred and fifty rupees."]

सभापति महोदय, मैं यह आशा तो नहीं करता कि जो कुछ मैं यहां कहूं उनको हमारे गृह मंत्री सारी बातों को मानें। मुझे ऐसा मालूम होता है कि माना तो गृह मंत्रीजी ने सीखा ही नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : गैर वाजिब बातें कैसे मानी जावेंगी ?

श्री विजयसिंह झाला : कोई वाजिब बात भी विरोधी दल की इन्होंने मानी है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह विरोधी दल के नेता और जनसंघ के नेताओं की सलाह से बनाया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, जब सिलक्ट कमेटी में एक बात स्वीकार हो गई है इसलिये दुबारा इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो तो मैं यह कहूंगा कि सदन में भी यह बिल फिर नहीं आना चाहिये। अगर आता है तो इस पर कोई तथ्य नहीं रह जाता है कि बोलते हुए सदस्य को यह कहा जावे कि चूंकि आपके नेता ने कोई बात मान ली है...

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल जयपुर) किसी नेता ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। He was all the while absent. कभी हाजिर नहीं हुए हैं।

श्री विजय सिंह झाला : यह तो स्पष्ट हो गया कि कम से कम जनसंघ का कोई भी सदस्य सिलेक्ट कमेटी में नहीं था। जब कोई सदस्य नहीं था तो हर सदस्य को बोलने का अधिकार है।

श्री सभापति : हर माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। आपको पूरा अधिकार है बोलने का।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) पार्टी की तरफ से, हल्लागुल्ला बिल के लिये तो कहीं आपको नियुक्त नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने माथुर साहब को किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो संबंधित मंत्री हूं।

श्री विजयसिंह झाला : जनसंघ पार्टी की तरफ से खडा किया हो या नहीं, लेकिन मैं यह कहूंगा की हमारे माननीय मख्य मंत्रीजी ने हमारे गृह मंत्रीजी को 'ना' करना सिखा

(श्री विजयसिंह झाला)

दिया है। कम से कम अच्छी बात को तो माननी चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंह नगर) फीडिंग बोतल है ।

श्री विजयसिंह झाला : मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ उनका दबाव उन पर है। इसलिये जब कोई संशोधन रखा जावे तो गृह मंत्री के पास हमारे मुख्य मंत्री नहीं बैठे ताकि सही बात को स्वीकार वे कर सकें । मैं आशा करता हूं कि क्लॉज़ ६ में जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करेंगे ।

सभापति महोदय, विधेयक से स्पष्ट है कि टैक्नीकल आफन्स है । इसलिये जब कभी विधेयक पास होता है तो पहले पहल टैक्निकल आफेन्स में ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती । इसलिये सजा का प्रोविजन नहीं होना चाहिये । किसी भी समय किसी को कभी भी रोक सकते हैं, चाहे जनता को मालूम हो या नहीं ।

ऐसी स्थिति में क्लॉज़ ६ के अनुसार बडी सजा देने का प्रावधान रखा है । इतनी बडी सजा नहीं होनी चाहिये, छोटी सजा होनी चाहिये; इसलिये मैं यह संशोधन रखूंगा कि

"On first conviction be punished with fine which may extend to one hundred rupees and on second or subsequent conviction be punished with fine which may extend to two hundred and fifty rupees."

सभापति महोदय, १००) रु० का फाइन कोई कम नहीं होता । कम हो सकता है गृह मंत्रीजी के लिये । पर किसी कार्यकर्त्ता पर या किसी व्यक्ति पर फाइन किया जाता है · ·

श्री मथुरादास माथुर : कार्यकर्त्ता कानून ही क्यों तोड़ें ?

श्री विजयसिंह झाला: यह तो साफ हो गया है कि क्लॉज ५ के डिलीशन का संशोधन किया था उसको स्वीकार नहीं किया तो यह तो हम मान कर चलने वाले हैं कि कल हम पर फाइन होने वाला है। फाइन देंगे, पर आप असेम्बली में इस तरह का ढर्रा चलाते हैं यह उचित नहीं है । भगवान कभी न कभी हमारी भी बात सुनेगा · ·

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसा नहीं होगा ।

श्री विजयसिंह झाला: आज आपकी एक-दो की मेजोरिटी है, बजट के बाद दो-चार आपके उधर से इधर आ जायं तो यह हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा भरोसा मत रखना, दो-चार उधर से ही आयेंगे ।

श्री विजयसिंह झाला: जहां तक उधर के लोगों की शक्लों का हमने अध्ययन किया है उससे हमें अन्दाजा है कि ७-८ दिन में ऐसी नौबत आ जायगी । तो मैंने संशोधन रखा है कि पहली टाइम अपराध आरोपित किया जाये तो १००) रु० से ज्यादा फाइन नहीं होना चाहिये । वापिस अपराधी हो तो २५०) से ज्यादा नहीं होना चाहिये और सजा का प्रावधान इससे निकाल दिया जाना चाहिये । कोई आदमी मूर्ख नहीं है कि इस कानून के तहत बार बार गिरफ्तार होकर सजा भोगे ।

मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जायगा और सजा के प्रावधान

(श्री विजयसिंह झाला)

को निकाल दिया जायगा; फाइन तक ही सीमित रहेंगे क्योंकि कुछ दिनों बाद हम पर यह नौबत आने वाली है। इसलिये इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि गृह मंत्रीजी दबाव में न आ कर इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : (गृह मंत्री) I regret, I cannot accept it.

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ पर जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

('ना' की ध्वनि पर)

श्री विजयसिंह झाला: (नाथद्वारा) दबी आवाज में है साहब।

श्री सभापति: I can put the question once more.

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, यह अच्छी बात नहीं है। जब विरोधी पक्ष की आवाज दबी आवे तब तो दुबारा नहीं पूछते .....

श्री सभापति: I shall put the question once more.

श्री विजयसिंह झाला No, Sir, I oppose it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ पर जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री विजयसिंह झाला : No, Sir, I press it Sir,

श्री सभापति: You want Division ?

श्री विजयसिंह झाला: I want Division.

श्री सभापति: Let the bell be rung then.

(विभाजन घंटी)

श्री सभापति: I shall put the qeuestion now.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ पर जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ७ श्री विजयसिंह झाला।

[श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): संशोधन इस प्रकार है 5. For the words "Magistrate of the second class" substitute the words "munsif magistrate."] सभापति महोदय,

(श्री विजयसिंह झाला)
मुझे खुशी है कि मैंने संशोधन रखा उससे शान्ति में बैठे माननीय सदस्यों की नींद भाग गई और सदन में आकर बैठे····

एक माननीय सदस्य: आपके कोलाहल से

श्री विजयसिंह झाला : कोलाहल से घबरा गये। यहां आ कर कोलाहल किया और उसके अनुसार मेरा संशोधन गिरा। कोलाहल करने में वे ज्यादा प्रवीण हैं, यह भी इससे स्पष्ट है।

समापति महोदय, क्लॉज ७ पर मेरा संशोधन है और मैं आशा करता हूं, आशा तो क्या करूं कि गृह मंत्रीजी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपना परिचय दिखाया है; पर जिस तरह जुडिशियल सेपरेशन को चाहते हैं और कहते हैं कि जब तक जुडिशियरी सैपरेट नहीं होती तब तक जनता को न्याय नहीं मिल सकता इसके आधार पर जुडिशियरी के सेपरेशन को स्वीकार किया है, मेरा संशोधन भी उसी जुडिशियरी के सेपरेशन को स्वीकार किया है, उसी जुडिशियरी के सेपरेशन के आधार को लिये हुए है।

हम आशा नहीं कर सकते कि एग्जीक्यटिव मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा जाता है तो वहां बे-आधार पर लोगों को सजा दी जाती है, इसका कटु अनुभव नाथद्वारा के रहने वाले लोगों को है। अभी अभी ८ आदमियों पर चालीस-चालीस रुपया जुर्माना हुआ जब कि कोई सुबूत नहीं। उनको सजा दिलाई गई तो·······

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): I would submit, Sir, that a case decided by a court is not challengeable here.

श्री विजयसिंह झाला: It is decided by the court and it is a question ......

और मैं माननीय उप-मंत्री, शिक्षा से निवेदन करूं·····

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): It is an asperion on the court—

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Judgments are never commented upon. After all they are judgments of a court.

श्री विजयसिंह झाला: जैसा जजमेंट दिया उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। पर एग्जीक्यूटिव में किस प्रकार का न्याय मिलता है यह बता रहा हूं। उप-शिक्षा मंत्री जी यदि जनसंघ में कुछ दिन रहते और आप पर मुकदमा चलता तब आपको पता चलता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I take an exception to it, Sir. Mr Chairman, Sir, it is not fair, Sir, कि आप पर मुकदमा चलता और आपकी हालत खराब होती तो क्या होता? After all he is an Hon. Member of the House and he should maintain the dignity of the House plus his dignity.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप ऐसी मूर्खता क्यों करते कि मुकदमा चलता?

श्री सभापति : Let us not do any hing to detract from the dignity of the House.

एक माननीय सदस्य: उप-शिक्षा मंत्री जी पर कोई मुकदमा नहीं चला।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मुकदमों से बचाने के बहुत आदी हैं।

श्री विजयसिंह झाला: इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इधर आइये · · · ·

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य: कइयों को बचाया है, जनसंघ को भी बचाया है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): मुखियाजी तो आदी हैं।

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह झाला: अपनी वजह से सामने बैठे हैं, वे फायदा न ले जावें। जब तक सामने बैठे लोगों पर मुकदमा लगे नहीं तब तक कैसे उनको मालूम हो कि किस प्रकार डिसाइड करते हैं? इसलिये निवेदन करूंगा कि एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, सामने बैठे हुए सदस्यों पर मुकदमें चलेंगे · · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ! To your amendment please. The Hon'ble Member should speak on the points.

श्री मथुरादास माथुर : You have finished ?

श्री विजयसिंह झाला : No, Sir.

श्री भैरोंसिंह: मंजूर कर रहे हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मंजूर हो नहीं सकता। प्रेक्टिकल नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : चेयरमैन महोदय, क्लॉज ७ के अनुसार मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया हुआ है कि पुलिस जो चालान बनाये वह सैकन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जा सकता है और किया जावेगा। नाथद्वारा में कोई केस हुआ तो उसके लिये उदयपुर जाना पड़ेगा। तीस मील जाने-आने का मोटर का किराया ही इतना हो जायगा कि कोई जुर्माना न भी हो तो वह एक फाइन के बराबर हो जावेगा। जहां न्याय मिलने की बात है जनता को, तो फिर आप ऐडीशनल मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं अधिकार देते हैं? ऐसे मामले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास पेश होंगे। मान लीजिये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नहीं है तो जहां पर हैं, वहां तो करें। आगे भी जाकर आप इसको प्रयोग में लाने वाले हैं। जब नया विधेयक बनता है तो उस आधार को क्यों नहीं काम में लेते हैं? जनता की मांग है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही उनको न्याय मिल सकता है। इस उद्देश्य के विपरीत भी यह संशोधन नहीं है। प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज भी नहीं आ सकती हैं। जहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं वहां उनके पास पेश होने चाहिये। इसी आधार पर मैं मेरा संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सारे विधेयक को यदि देखा जाय तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट

Page No.84

(श्री भैरोंसिंह)

पार्ट जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से पूरा करना है वह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमने इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गाइड करने के लिए कोई रूल्स नहीं बनाये हैं। आगे जो रूल्स बनाने का प्रावधान है वह प्रावधान उन बातों का नहीं है जिन बातों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना डिस्क्रीशन एप्लाई करना है। आप क्लाज ३ को देखें तो उसके अन्दर भी जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्क्रीशन है और उसकी डैफिनिशन है किस प्रकार नोक्ट्रोल नोइज होगी और किस प्रकार नोटिस दिया जाये, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस चीज को प्रेस्क्राइब करे। उनकी तरफ नोटिस निकला हुआ होगा और नोक्ट्रोल नोइज के लिए उन पर पाबन्दी नहीं है। रूल्स बनाये बिना उनका डिस्क्रीशन उन पर लागू होगा।

क्लॉज ५ को देखें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे पॉवर्स दिये हैं कि किसी भी समय किसी नोइज के सम्बन्ध में एक नोटिस निकाल कर नोइज को बंद करा सकता है। नोइज की भी डैफिनिशन नहीं दी है, उनके लिए भी उन पर डिस्क्रीशन लागू होगा। नोटिस और डिस्क्रीशन जब विदाउट रूल्स बनते हैं तो एक आदमी की ओपिनियन हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें एक पार्टी बनता है। एक में नोटिस निकालता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाते और कोई लेजिस्लेचर और गवर्नमेन्ट के बनाये हुए रूल्स नहीं हैं तो मेरी पर्सनल व्यू है कि इस प्रकार की नोइज को प्रोहिबिट किया जा सकता है और अमुक तरह से प्रोहिबिशन लागू किया जा सकता है। उनका डिस्क्रीशन विदाउट रूल्स, चूंकि वह इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क्रीशन है, किसी भी कोर्ट में क्वश्चन किया जा सकता है। फिर इन सब बातों की जांच यदि सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट से करवायेंगे तो नतीजा यह होगा कि डाइरेक्ट सबोर्डिनेट क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अगेन्स्ट में जाकर फैसला दे सकेगा ? वह इन्डिपेन्डेन्ट फैसला नहीं दे सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्क्रीशन जाहिर करना पडता है और इन्डिपेन्डेन्ट ओपिनियन के आधार पर नोटिसेज इश्यू करने होते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पार्टी बनता है और वह पार्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एविडन्स में बुला सकती है जिसका चालान पुलिस करती है।

कोई आदमी इस क्वेश्चन को भी चैलेन्ज कर सकता है कि कलेक्टर का नोक्ट्रोल नोइज का डिस्क्रीशन गलत है और वाजिब नहीं है और उस हालत में डिस्क्रीशन को चैलेन्ज किया जाता है तो सिवाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एविडेन्स में लाया जाय और कुछ नहीं हो सकता है। नहीं लाते हैं तो पार्टी को मौका मिलेगा और वह ला सकती है।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां इन मामलों में पार्टी बनता है वहां अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये कि उसके सबोर्डिनेट औफिसर के पास केस भेज दिया जाय और फिर वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्क्रीशन के खिलाफ कोई इन्डिपेन्डेन्ट फैसला दे सकता है। वैसे आपने जुडिशियरी के सेपेरेशन का सिद्धान्त माना है। उसको अलग रख कर चलना नहीं चाहिये। जहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने केस जावेगा, और जहां नहीं हैं, आज जो ज्युडिशियरी की व्यवस्था है उसके अनुसार लागू होगा और न्याय मिलेगा। जो ज्युडिशियरी

(श्री भैरोंसिंह)
का सेपरेशन जितना भी आपने किया है वहां उसका पूरा उपयोग करना चाहिये । नहीं करते हैं तो उसके एट्रेक्शन का लाभ नहीं मिलता है ।

उपाध्यक्ष महोदय,·······
(३.२० म. प.)
(उपाध्यक्ष, पदासीन)

राव श्री नारायण सिंह, : आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार कर लें, साथ ही साथ इस पर भी विचार करें । राजनैतिक खतरा उनको तो है, मैं जिक्र नहीं करता हूं। लेकिन इस सारी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पार्टी बनता है तो सबोर्डिनेट के पास वह केस नहीं जाना चाहिये, क्योंकि वह इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज देने में संकोच करेगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाथद्वारा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का समर्थन करते हुए आपके समक्ष यह कहना है कि कई वर्षों की मांग के बाद यह अनुभव किया गया है कि एक्जीक्युटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन हो । यह इसलिये अनुभव किया गया कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के अन्दर एक मजिस्ट्रेट के पास जो कार्य होता है उसमें न्याय मिलने का काम होता है और जुडिशियरी के तहत जो न्याय होता है उसमें इन्डिपेन्डेन्ट न्याय होता है, क्योंकि वह हाई कोर्ट के अन्डर में होता है। आप इस कन्ट्रोवर्सी में यह चाहते हैं कि यह अधिकार एक्जीक्यूटिव के पास में ही रहे तो इस तरह से न्याय मिलने के अन्दर आशंका उत्पन्न होती है । यह जो अमेन्डमेन्ट चाहा गया है कि सेकन्ड क्लास मजिस्ट्रेट की जगह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर दिया जाय, यह उचित है । तहसीलदार सेकंड ग्रेडका आदमी होता है उसके हाथ में इस प्रकार के पावर्स देने से इसके तहत में किसी आदमी को तंग कर सकता है । इसलिये जिस प्रकार के एक्जीक्यूटिव कन्सीडरेशन्स हैं उनके अनुसार इस प्रकार की आशंका बनी रहती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो अमेन्डमेन्ट चाहा गया है वह न्याय का अमेन्डमेन्ट है, उसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे, जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि न्याय को न्याय की दृष्टि से देखा जाता है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : चेयरमैन महोदय, मैं अपनी बात दो ही मिनट में खतम कर दूंगा ।

श्री सभापति : आप दो मिनट से अधिक नहीं बोलें ।

श्री मानसिंह महार : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक छोटा सा संशोधन रखा है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : नाथद्वारा तो सुखाडियाजी की बपौती है ।

श्री मानसिंह महार : अब तो हमारी बपौती होती जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उन्होंने बहुत छोटा सा और बहुत उचित ही संशोधन रखा है । गृह मंत्री महोदय उसको स्वीकार करने में किसी प्रकार एतराज नहीं करेंगे । सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी अपन चाहते हैं··

Page No.86

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह कानूनी मामला है ।

श्री मानसिंह महार : गृह मंत्री-महोदय जितना कानून जानते हैं उतना तो मैं भी जानता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आप तो कानून के मुखिया हैं ।

श्री मानसिंह महार : कानून जो है वह कॉमन सेन्स से ताल्लुक रखता है और मेरे में आपसे कॉमन सेन्स अधिक है । मैं यह कहता हूं common sense is the mother of law और वह मेरे अन्दर बहुत होने के नाते· · · · · ·

श्री मथुरादास माथुर: All right, you do become the mother of law

श्री मानसिंह महार: I can become the mother of the Hon'ble Home Minister and other........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: But where is the father of law

श्री मानसिंह महार: मैं तो बहुत छोटी बात कह रहा था । आज भारतवर्ष में जो सबसे कमी है वह यह है कि न्याय सुलभ और सस्ता मिले । हमारे यहां न्याय सरल और सस्ता नहीं है । मैं यह देखता हूं किसी आदमी को सजा मिल जाय तो ठीक रहे, लेकिन न्याय के लिये वह बरसों तक भटकता रहे, यह ठीक नहीं; क्योंकि उसमें उसका खर्चा भी चौगुना हो जाता है और समय भी व्यर्थ जाता है । उसके बाद यदि वह बरी होता है तो उससे क्या फायदा ?

श्री सभापति : आप पर्टिक्यूलर संशोधन पर ही बोलें ।

श्री मानसिंह महार : मैं बिल के सम्बन्ध में ही अर्ज कर रहा हूं । आज के युग में इस प्रकार की छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, यह बहुत अन्याय है । मेरी कॉन्स्टटीयून्सी आमेर है। आमेर के मुसलमानों का ताजियों का रास्ता रोक दिया । उन्होंने एतराज किया और इस तरह से वहां के लोगों का धारा १०७ के अन्दर चालान किया गया । उन बेचारे आदमियों को हर पन्द्रहवें रोज यहां आना पडता है और फिर यहां से तारीख बदल दी जाती है । इस तरह से न्याय प्राप्ति के लिये इस अन्यायी राज्य के अन्दर उन बेचारों को हर पन्द्रहवें दिन यहां आना पडता है; एस० डी० एम० कोर्ट में आना पडता है ।

श्री मथुरादास माथुर : We dont interfere in the Judiciary

श्री मानसिंह महार : मैं आपके एस० डी० एम० कोर्ट का नमूना पेश कर रहा हूं । आज १२ महीने होने को आये, वापिस ताजिये आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं । उनकी वहां सुनवाई नहीं होती और उनको वापिस भेज दिया जाता है । यह आपका लॉ है । जुडिशियरी में आपका इस प्रकार का न्याय मिलता है; छोटी से छोटी मांग को मंजूर नहीं किया जाता । एक दिन वह आवेगा · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तोपें चलानी पड़ेगी ।

श्री मानसिंह महार: आपने तो तोपें चला दीं । आपने नेफा और लद्दाख में तोपें चला कर अपना प्रदर्शन कर दिया । हम तो जनतंत्र बनाना चाहते हैं, जनतंत्र के जरिये सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि साम्यवादियों ने जो देश के साथ गद्दारी की है, उनका कभी

Page No.87

(श्री मानसिंह महार)
भी विश्वास न किया जाय । इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस छोटे से संशोधन को मान लें ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं वे मैंने सुनी हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इसे स्वीकार करने में कतई कठिनाई नहीं होती, मगर वे मेरी बात को भी समझ लें । मेरा ख्याल है माननीय सदस्य को कम मौका मिलता है सदन में कानून पढ़ने का . .

एक माननीय सदस्य: कानून का ज्ञान ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: मैं तो यह नहीं कहता । मेरा उनसे निवेदन है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जैसी कोई लीगल टर्म नहीं है । सी० पी० सी० में आप पढ़ लीजिये; डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद में फर्स्ट, सेकन्ड और थर्ड, ये लफ्ज काम में आते हैं । हमने एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को सेपरेट करने का कानून नहीं बनाया है । हमने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को सेपरेट किया है । अगर हम कानून बना देते तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट भी उसमें आ जाता ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इस पर भी लागू किये जा सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर: यह कानूनी बात है । आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे खुशी है । जो तरमीम रखी गई है वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट पर लागू नहीं होती । सिलेक्ट कमेटी में भी इसका जिक्र आया था । हम चाहते थे कि यह अधिकार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दें । लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सब जगह नहीं हैं । तहसील हैडक्वार्टर पर ही हैं । अगर मेम्बर्स की इच्छा है कि फर्स्ट क्लास किया जाय तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । कहीं कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कायम किये हैं, कहीं कहीं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के अधिकार एक्सटेण्ड किये हैं । फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर दें, यह बात तो प्रेक्टिकल हो सकती है । 'सैकन्ड' की जगह 'फर्स्ट' रीड करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Thanks God that good sense has prevailed.

श्री उपाध्यक्ष : So, will the Hon'ble Member like to withdraw now ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw. क्योंकि दरअसल में आपने यह विश्वास दिलाया है कि एक्जीक्यूटिव आर्डर द्वारा इस तरह के मजिस्ट्रेट हैं वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यह मामला जायेगा, इसलिए मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मंशा है कि श्री झाला अपना अमेन्डमेन्ट विथड्रा करें ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Yes, Sir, I withdraw it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज ८ व ९
(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ और ९ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ८ एवं ९ विधेयक में अंग रूप से जोडे गये ।

(विराम)

खण्ड १०

श्री उपाध्यक्ष श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० तो है नहीं । क्लॉज ९ पर ही यह समाप्त हो गया । लेकिन मेरा जो यह अमेन्डमेन्ट है यह ९ क्लॉज के बाद में एक १० वां क्लॉज जोड़ने का प्रावधान इसमें रखता है और वह इस रूप में है ।

"10 Savings:—The provisions of this Act shall not apply to any meeting or exhibition organised by a political party or a Social Organisation."

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि गृह मंत्री ने बार बार इस बात को प्रकट किया है कि उनकी यह मन्शा कतई नहीं है कि इस एक्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की मीटिंग को रोकें । लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी सदन के सामने अर्ज किया कि सिलेक्ट कमेटी की मन्जिल में से गुजरता हुआ यह एक्ट काफी साजो श्रृंगार कर और प्रसाधन करके सदन में आया है इसकी कुरूपता को कम करने का काफी प्रयास किया गया है । मैं भी एक क्लॉज को और जोड कर एक पाउडर का डिब्बा इस एक्ट के लिए मुहैया करता हूं · · · · ·

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : लिपस्टिक है ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: और गृह मंत्री जी के लिए भी इस बात के लिए उचित स्थान पैदा करना है कि वे इसको साबित कर दें कि इस एक्ट की कतई मन्शा नहीं है कि किसी पोलिटिकल मीटिंग पर या किसी सोशियल आर्गेनाइजेशन की कार्यवाही पर रोक लगाई जाय । अगर यह ऐसा नहीं करते तो स्पष्ट है कि यह हल्ला-गुल्ला एक्ट उस समय में हुआ, जितना भी हल्ला-गुल्ला है वह सिर्फ राजनैतिक सभाओं को रोकने के लिए, उनके कार्यों को कम करने के लिए, डेमोक्रेसी के ऊपर एक आघात करने के लिए यह एक्ट है । सरकार नहीं चाहती कि राजनैतिक पार्टी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखे, सरकार नहीं चाहती कि वे लोग सही तरीके से अपने विचार लोगों तक पहुंचायें । यह चीज बिल्कुल साफ हो जायेगी; अगर गृह मंत्रीजी इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो । यह ठीक है, जहां इसकी मन्शा है कि बेहूदा शोर जो कि इन्सान की जिन्दगी को दुःखपूर्ण बना देते हैं इस प्रकार के हल्ले-गुल्ले से सिनेमा के एडवर्टाइजमेन्ट्स या

(श्री मानसिंह महार)

दूकानों पर लगे माइक्रोफोन या रेस्टोरैन्ट्स पर रात के दो-दो बजे तक बजते हुए रेकार्ड-यह मंशा जहां तक है कि हर एक इन्सान को इन शोरों से आजादी दिलाई जाये वहां तक तो यह ठीक है और जहां एक्ट में किसी रूप में इसकी गुंजाइश रही कि हम यह एक्ट किसी प्रकार प्रजातांत्रिक बुनियादों के ऊपर कुठाराघात करें तो वह एक्ट ठीक नहीं रहता। इसलिये मैं गृहमंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा बार बार उन्होंने अपने जवाब में यही कहा है कि हमारी कतई मन्शा नहीं है कि किसी तरह से राजनैतिक पार्टियों के प्रोग्राम में रोक आये, तो मैंने उन्हें यह मौका दिया है कि वे सिद्ध कर दें कि वे नहीं चाहते कि राजनैतिक पार्टियों की मीटिंगों के ऊपर किसी तरह का बैन लगे। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी पहले इसका जवाब देना पसन्द करेंगे। इसका निर्णय होने के बाद में आप अपने अमेण्डमेन्ट को रख दें तो ठीक रहेगा। पहले आप इसका उत्तर दे दें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : जवाब तो, पहले सब बोल लें, तब ही तो देंगे। अमेण्डमेंट को सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। अगर इसी क्लॉज के ऊपर आपका कोई अमेण्डमेंट है तो मूव कर दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) :

[संशोधन इस प्रकार है :

7. After clause I (as so re-numbered by the Select committee), the following new clause shall be inserted, namely—

"10. Repeal—The Ajmer (Sound Amplifiers and Control) Act, 1952 (Ajmer Act 3 of 1952) and other corresponding laws inforce in any part of the State are hereby repealed.")

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेण्डमेंट यह है कि अजमेर में एक कानून था जिसका नाम अजमेर साउण्ड एम्प्लीफायर एण्ड कण्ट्रोल एक्ट, १९५२ (अजमेर एक्ट ३ ऑफ १९५२) था। उसके जो कॉरेस्पोन्डिंग लॉज़ उस समय थे वह रिपील किये जायें। यह रह गया था। जब यह कानून बन जायेगा तो उसको रिपील करना जरूरी है। इसलिये मैंने यह तरमीम, एक नया १०वां क्लॉज़ और ऐड करने के लिये रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसको मंजूर कर लेगा।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के क्लॉज़ेज पर हुई बहस पर सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार की ओर से इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, उस आश्वासन पर अविश्वास करने का तो कोई कारण नजर नहीं आता, लेकिन प्रश्न ऐसा आता है कि जब सरकार इस प्रकार का आश्वासन देकर चल रही है कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे उस हालत में यदि सरकार अपने इस आश्वासन को कानूनी रूप दे दे, तो सरकार

(श्री भैरोंसिह)

के सामने क्या दिक्कत पेश आती है ? आखिर सरकार ने भी किसी भावना से कानून बनाया है और उस भावना को व्यक्त करते हुए बताया है कि अन्नेसेसरी रूप से जो कोलाहल होता है हम केवल उसको नियंत्रित करना चाहते हैं । जिस समय उनकी भावना के अनुसार पोलिटिकल पार्टीज् के सोशियल फंक्शन्स या रिलीजियस फंक्शन्स; इस प्रकार के जो भी समारोह हैं उनमें होने वाले इस प्रकार के कोई कार्यक्रम हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लाना चाहते हैं । अब जब कानून बन रहा है, तो उस भावना को कानूनी रूप दे दें, तो उसके दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहती और जिस स्पिरिट से इस कानून को सदन ने स्वीकार किया है उसी प्रकार की स्पिरिट, मैं समझता हूं कि हमारी पारित करने में भी रहेगी । अब यदि नहीं करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो अभी २ तारीख को बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उनके उन सब परिणामों में तो नहीं जाना चाहता कि क्या होंगे, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि राजस्थान में उन सबका विरोध होगा । सभाएं की जायेंगी । लाउड स्पीकर्स लेकर डिमॉन्सट्रेशन्स किये जायेंगे । और वे डिमॉन्सट्रेशन्स विधान सभा के सामने भी आकर खड़े हो सकते हैं । अब आप यह बताइये कि जिस प्रकार की स्थिति में यह कानून बन रहा है उस स्थिति के अन्दर सारी पब्लिक का डिमॉन्सट्रेशन केवल कलेक्टर के ऊपर डिपेण्ड करेगा । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह कह सकता है कि विधान सभा के सामने यदि डिमॉन्सट्रेशन चला गया तो शान्ति भंग होगी । हालांकि शांति भंग होने की स्थिति में, वैसे भी १४४ धारा लगा कर उस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उनको एक अधिकार और दे दिया कि विधान सभा के माननीय सदस्य किसी मसले पर जब गंभीरता से विचार कर रहे हों और इधर-उधर से नारे लगें तो विधान सभा के सदस्यों का ध्यान बंट सकता है और ध्यान बंटने पर वे इस प्रकार की गलती कर सकते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा । उस हालत में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार पहले हुआ जब भी यह डिमॉन्सट्रेशन आते थे उनको रोकने की चेष्टा की जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद जब डिमॉन्सिट्रेशन्स का नम्बर बढ़ा और उसके कारण सरकार को चिन्ता हुई कि जितना हम रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा डिमॉन्सट्रेशन्स आयेंगे, तो उन्होंने थोड़ी सी छूट दी और उसका परिणाम यह है कि जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिये राजस्थान के चुने हुए १७६ विधान सभाइयों के सामने जितनी दिक्कतें हैं उनको पेश करते हैं । पहले इसको रोकने के लिये १४४ धारा थी और अब सरकार इस कानून के अन्तर्गत अधिकार ले लेती है कि सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स के पास किसी प्रकार का कोई डिमॉन्सट्रेशन नहीं हो सकता; यह आपने इसमें व्यवस्था कर दी ।

अब मान लीजिये व्यवस्था है और उस स्थिति में हम यह मान कर चलें कि कलेक्टर इस प्रकार का डिस्क्रीशन नहीं अप्लाई करेगा; पर धारा १४४ लगाने में तो उसको संकोच होगा । परन्तु कोलाहल के मामले में संकोच नहीं होगा और इसलिये नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

होगा कि आपने इसमें इन्स्टीट्यूशन्स के मसले पर व्यवस्था की है कि जहां सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके पास ऐसी स्थिति नहीं आ सकती तो दूसरा इसका अर्थ यह निकलता है कि राजस्थान के सचिवालय के सामने यदि लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहें, तो नहीं कर सकेंगे। किसी सरकारी दफ्तर के सामने, मान लो पी. डब्लू. डी. के मजदूर हैं, बिजलीघर के कर्मचारी हैं, वे अपने वेतन के संबंध में या अपनी और किसी ग्रिवान्सेज के संबंध में, दफ्तर के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अबतक जो अधिकार लोगों को, मजदूरों को, राजनैतिक पार्टियों को, जनता को, मिला हुआ था दुनिया भर के कानूनों के द्वारा, अपने अधिकारों को, अपनी मांगों को, सरकार और जनता के सामने रखने का वह इस एक मामूली से छोटे से दिखनेवाले कानून के द्वारा आप समाप्त करना चाहते हैं और जब यह स्थिति है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो स्वयं यह कह कर चल रही है कि उसकी मंशा यह नहीं है वही सरकार आगे चल कर इस तरह का इल्जाम लगाने वाली है और इल्जाम लगा कर रोकनेवाली है। अगर यह बात नहीं है तो स्पष्ट रूप से अपने इस कथन को इस बिल में कानून के रूप में ला दें कि पोलिटिकल पार्टियों के जो फंक्शन्स होंगे उन पर रोक लगाने कि हमारी मंशा नहीं है।

आज भी मैं बताऊं, आप नगरपालिका अधिनियम को उठा कर देखें और उसके रूल्स देखें, तो पोलिटिकल पार्टियों को डिमॉन्स्ट्रेशन निकालने के लिये, मीटिंगें करने के लिये, एक तरफ नगरपालिका से इजाजत लेनी पड़ती है और दूसरी तरफ पुलिस से भी लेनी पड़ती है; कई बार दिक्कतें आती हैं। पर इजाजत लेने की बात में तो आज भी कमी नहीं होती। इसमें आज भी कोलाहल का दृष्टिकोण नहीं होता, दुनिया के लिये न्यूसेन्स क्रियेट करने का दृष्टिकोण नहीं होता। तो हमारे पर जो विपत्ति इस रूप में जो नई आ रही है उसको हमें जनता के सामने रखना है। इन सारी हालतों को मानकर आपको चलना चाहिये। आज शायद नहीं है यह मंशा आपकी। पर आगे चलकर कल परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जनता कोई बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहे, उसे आप रोकना चाहें और--सरकारी अधिकारी को कह दिया जावे कि धारा १४४ को लागू करेंगे तो जनता उसको तोड़ेगी। तोड़ सकती है, जेलखाने में इसके परिणाम-स्वरूप जावेगी और इससे आतंक जनता में पैदा होगा। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें सरकार के लिये एक प्रकार का संकट पैदा होगा; तो ऐसी स्थिति में सरकार यह कर सकती है अपने अधिकारियों से कि चूंकि धारा १४४ लगाने से तो आतंक फैलेगा, सरकार बदनाम होगी, परेशानी में पड़ जावेगी तो वह तो करो मत, पर डिमॉन्स्ट्रेशन चूंकि जरूर बन्द करना है, इसलिये इस कोलाहल कानून के द्वारा इसकी आड़ लेकर, इसका नाम देकर, इसे रोकने की चेष्टा करो। मैं कहता हूं, इसमें कौनसी जगह यह उल्लेख है कि डी. एम. इस तरह से नहीं कर सकता, अपना डिस्क्रीशन इस तरह से यूज नहीं कर सकता, इसका इसमें कहां जिक्र है? कोई जिक्र नहीं, कोई बंधन नहीं उस पर। ये डिमॉन्स्ट्रेशन

Page No.92

(श्री भैरोंसिंह)

के कारण कोलाहल मचाते हैं, सेक्रेटेरियेट के सामने या असेम्बली के सामने, इसलिये इनको रोक दो । ये डिमॉन्स्ट्रेशन जनता असेम्बली के सामने अगर नहीं करे तो फिर किसके सामने जाकर करेगी ? अगर यहां से भी रोक लग गई तो फिर तो जनता की बात कोई सुननेवाला नहीं । डैपूटेशन आया हुआ है, आपसे भी मिलना चाहें, तो मन्त्री महोदय को सुना सकते हैं, पर संयोग से अगर आप भी दौरे पर चले गये तो फिर वे किसको सुनाएंगे ? दस-बीस आदमी डिमॉन्स्ट्रेशन की तैयारी करें अपनी दिक्कतें रखने के लिये, सेक्रेटेरियेट के सामने या विधान सभा के सामने, गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारी हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारी हैं, नगरपालिका या वाटर वर्क्स और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनकी अपनी ग्रीवान्सेज़ हैं, अपने वेतन के मसले को रखना है और इसलिये वे अपने अधिकारियों के दफ्तरों के सामने जाकर अपनी बात कहना चाहें, डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहें, तो इस कोलाहल के नाम पर आप उनकी सारी आवाज को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आवेगी आपको, आप केवल जो कह रहे हैं उसे इस कानून में ले आवें । आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, आज भी म्युनिसिपल अधिनियम बना हुआ है । यह कोलाहल नागरिकों की चीज है । इसको रोकने की व्यवस्था सामान्य तौर पर होनी चाहिये । आप कर सकते थे । हमने सामाजिक व्यवस्था को भी रेगुलेट करने के लिये नगरपालिका का कानून बनाया है । हम चाहते इस कोलाहल को बन्द करना तो नगरपालिका अधिनियम में इसका अधिकार दे सकते थे कि आप कोलाहल के नाम पर नियम बना कर रख सकते हो । उसमें कोई अमेण्डमेंट लाकर इसकी व्यवस्था कर सकते थे; पर नगरपालिका को आपने अधिकार नहीं दिया । यह अधिकार स्वयं सरकार ने अपने हाथ में लिया ।

इस हालत में यह हमारे लिये विशेष परिस्थिति पैदा होती है । जब ऐसा कानून बनाया तो परिणाम को सामने रख कर फिर आप किसी प्रकार का निर्णय करें । गृह मंत्रीजी ने आश्वासन तो दिया है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने आश्वासन को कानून सम्मत बनाने के लिये जो संशोधन रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसे स्वीकार कर लें । इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी । वह भी नहीं चाहते कि आप पोलिटिकल पार्टीज़ को और सोशल फंक्शन्स को कर्ब करें । नहीं चाहते तो आप उनका संशोधन मान लीजिये । डी. एम. इसका फिर कभी दुरुपयोग नहीं कर सकेगा । मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करने से सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी और जो शंकाएं इस प्रकार की प्रकट की गई हैं, उनका मूलतः ही निराकरण हो जावेगा ।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी जो सम्माननीय सदस्य ने तरमीम रखी है उसका विरोध करना चाहता हूं ।

श्री **भैरोंसिंह** : यह तो हम पहले ही जानते थे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां, सवाल यह है कि कोई मौका छोड़ा नहीं जाता जब कि सदन के अन्दर और बाहर तोड़-मरोड़ कर ऐसी चीजें रख दी जाती हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे कोई नागरिक अधिकारों को, डिमॉन्स्ट्रेशन के अधिकार को सरकार समाप्त कर देना चाहती है, जो कि सरकार की मंशा कतई ऐसी नहीं है ।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इसमें कोई क्लॉज़ ऐसा नहीं है जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन का नाम लेकर पर्टिक्यूलर तबका या कोई तबका अपनी बात पब्लिक के या सरकार के सामने इस माध्यम से रखना चाहता हो और उसको रोका जाता हो । पर कुछ सदस्यों का यह ध्यान है कि वे मजदूर तबके का नाम लेकर, किसान का नाम लेकर, जनता का नाम लेकर, उनकी सहानुभूति अपने पक्ष में करन चाहते हैं और ऐसे किसी मौके को वे नहीं छोड़ते । मैं कहता हूं ऐसा कोई डर नहीं है इस सारे एक्ट में । मैंने सारी धाराएं देखी हैं । किसी में भी कोई ऐसी ब त नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : आपने धाराएं अभी देखी नहीं हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने बत्तीसों धाराएं देखली हैं । आप भी देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री भैरोंसिह : आपने अच्छी तरह नहीं देखी हैं । आगे की नहीं देखी हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने ३३० धाराएं तक देख ली हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : आपने तो ४२० तक देख रखी हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तुम्हारी कुंडी बना दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तुम्हारी हांडी बना दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष :Order ! Order, please !! The Hon'ble Member should not indulge in personal matters. Please !!!

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह हांडी बनाने का क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो संशोधन सम्माननीय सदस्य ने रखा, कॉम्युनिस्ट होते हुए भी जो बातें वे नहीं कह सके, वे बातें हमारे जनसंघ के सदस्य ने रखीं । उन्होंने इस मौके को भी नहीं छोड़ा और संशोधन रखने वाले सदस्य से भी आगे बढ़ कर हिम्मत दिखाने की कोशिश की है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उन्होंने सदन को गलत जगह पर बैठाने की कोशिश की है । सरकार वास्तव में सब लोगों की भावनाओं को ध्यान म रखते हुए, आम जनता की सुविधा के लिये इसको लाई है और लाने के बाद उसके अन्दर इतनी तरमीमें हुई हैं, सब पार्टी के सदस्यों ने इतने विचार उसमें रखे हैं कि उसका रूप ही बदल गया है । जहां पर यह आवाज सुनी गई थी इसमें जो 'म्युजिक' शब्द रखा गया है तो उसके लिये औरंगजेब तक कहा गया था उस वक्त । इन सब चीजों को मीट-आउट करते हुए सरकार ने सिर्फ एक ध्यान रखा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हैं कि जो कोलाहल से जनता परेशान है वह बन्द हो, जनता को राहत मिले, उसको सुविधा हो और यही सरकार की सही मंशा थी और हमारे सम्माननीय गृह मंत्रीजी ने तो सदन को आश्वासन दिया है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार को किसी ने भी "औरंगजेब" नहीं कहा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने नहीं कहा था ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने सुनी थी क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ठीक है । मान लिया ।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मैं उनको एक्सपोज करना चाहता हूं । उन्होंने इसलिये यह किया है कि मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर, कुछ सरकार पर छींटे कसे जायं ताकि वे लोग सुनें तो उन पर उनका असर पड़े कि उनके अधिकारों के रक्षक सिर्फ ये ही जनसंघ के नेता हैं ।

डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में कहा गया कि जो आश्वासन दिया गया उसका सुबूत दो । अब वे और इससे अधिक क्या कराना चाहते हैं ? मैं तो कहता हूं जनता के हित में इसको जल्दी से पास किया जाय ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर जिन्होंने संशोधन पेश किया है, उनसे मैं साफ कहना चाहता हूं कि ११ बजे से ५ बजे तक डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं । हम क्या कहते हैं ? हम यहां १७६ हैं । उन १७६ की सब बातें हो सकती हैं । लेकिन लाउडस्पीकर लगाये बगैर । मगर हालत यह हो गई है कि इनका तो भगवान भी बगैर लाउडस्पीकर के नहीं जागता है । ऐसी हालत में, इस एक्ट के अन्दर जो राजनैतिक मीटिंगों पर रोक लगाने की मन्शा है वह नहीं है । राजनैतिक मीटिंग बुलाने का और करने का जनतन्त्र में सबको अधिकार है । उसको आप पूरा करें; लेकिन लाउडस्पीकर लगाये बगैर । आपको जनता को समझाना है तो समझाइये, लेकिन यह समझाने के लिये इजाजत नहीं दे सकते और इस घिस्से में आने वाले नहीं हैं कि इस संशोधन को एक्सेप्ट करके इसकी मन्शा को ही बदल दें । हम इसका विरोध करते हैं । यह ९ का तो था तो यह दसवां टपक पड़ा । ९ के बाद १० आया तो क्या कह कर आया कि हम जनता के डिमॉन्स्ट्रेशन करने के उसके अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं । लेकिन उसके साथ यह कहने की हिम्मत नहीं हुई प्रस्तावक और समर्थक महोदय की । उन्होंने नहीं कहा कि डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन लाउडस्पीकर नहीं लगा सकते । इस बात को सप्रैस क्यों किया है ? लाउडस्पीकर लगाने की आपको क्यों आवश्यकता हुई ? आप बहरे हैं या आपके कानों की हजामत नहीं हुई है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): हम बहरे नहीं हैं । सरकार के कान बहरे हैं । उसको सुनाने के लिये लाउडस्पीकर की जरूरत है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: (रायसिंहनगर): इनके कानों की नहीं, आपकी खोपड़ी की हजामत की जरूरत है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: लाउडस्पीकर नहीं होगा तो क्या डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आप क्लॉज़ ५ में देखिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपको कोई नहीं रोक सकता है । आप डरिये मत । ऐसी बात नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला: आप क्लॉज़ ५ देखिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं स्पष्ट कर कहना चाहता हूं कि ५ में कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां पर लगता है वहां पर सही बात है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपने पढ़ने की कोशिश की या नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपको पढ़ा सकता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप पढ़ा नहीं सकते, आपने पढ़ा होगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपने पढ़ाया होगा दूसरों को और मैं आपको पढ़ा सकता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैंने आप जैसों को ही पढ़ाया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपने मेरे बच्चों को पढ़ाया होगा ।

अर्ज मैं यह कर रहा था इस सिलसिले में कि आप गलत नहीं हैं । इसको सरकार मन्ज़ूर नहीं करेगी । मैं इसका विरोध करता हूं ।..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिये मैं अपने लड़कों को स्कूल में भर्ती नहीं कराता हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपको ठहर ठहर कर भभकी आती है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मुझे आपकी शक्ल देख देख कर लहरें आती हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपने जो कुछ फ़र्माया है, मैं उसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं करता हूं ।

मैं अर्ज़ कर रहा हूं इस सिलसिले में कि यह गलत बात है । राजनैतिक मीटिंग के नाम पर धूम करेंगे । राजनैतिक मीटिंग तो वह होती है जो जनसंघ की मीटिंग करें या और कोई लोग करें तो वह राजनैतिक मीटिंग समझ में आ सकती है । लेकिन राजनैतिक मीटिंग के नाम पर आप जिस तरह के जरिये देना चाहते हैं वह मन्शा नहीं है । हम समझते हैं; राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की समझ में आ सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसका ध्यान रखेगा । डिस्क्रीशन उसका रखा है । वह पूरी तरह से इस बात को समझ कर कह सकता है कि यह जनसंघ की मीटिंग है । तो मैं इतना कह सकता हूं और जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं आश्वासन इनको देना चाहता हूं कि किसी लगाम के अन्दर किसी राजनैतिक पार्टी की मीटिंग करना चाहेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जन संघ के फ़ार्म पर या हांसिये-हथोड़े के नाम पर आप इजाज़त चाहेंगे, तो दे दी जायगी । यह हम ऐलान कर देते हैं । आपको घबराने की जरूरत नहीं है । लेकिन आप कहें कि उसके गार्ब के अन्दर इसका

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जो पर्पज़ है, जिसके लिए यह असेम्बली जो काम कर रही है, उस पर्पज़ को आखिरी दिन के करीब 'आंख मिची और माल दोस्तों का' वाला बात करना चाहेंगे तो वह नहीं करने देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी होती यदि मैं सदन के प्रमुख माननीय सदस्य द्वारा बताये हुए सुझावों को अंगीकार कर सकता। एक दृष्टिकोण से जो तरमीम रखी गई है कि राजनैतिक पार्टियों और सामाजिक पार्टियों को इस कानून के बन्धन से मुक्त रखो; तो यदि हम सदन के बाहर आम-अवाम को हरि-कीर्तन भी इससे मुक्त नहीं रखना चाहते और समाज के दूसरे अंगों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कानून बनायें और हम लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, और मुख़्तलिफ़ पोलिटिकल और राजनैतिक पार्टियों के मातहत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम क़ानून बनाने वाले हैं, इसलिये हमने क़ानून से अपने आपको मुक्त रखा है, इसका आम-अवाम पर अच्छा असर नहीं होता। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह है कि इसकी हम पर भी पाबन्दी है, और इस कानून की पाबन्दी उस हर नागरिक पर है जो कि राजस्थान में रहता है। मैंने आश्वासन दिया है और फिर दोहरा देता हूं कि कलेक्टर के जरिये से, यह कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिये से, यह कहा गया है हम जो मीटिंग ओर्गेनाइज़ करने वाले हैं और इसको बुलाने का जो हमारा अधिकार है, उसको छीन रहे हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस क़ानून को पूरी तरह से सदन ने पास किया है, उसकी मुख्य क्लॉजेज को, उसमें हमने यह कहा है उसमें दो-तीन बातें हैं। सदन के सामने मानलो डिमॉन्स्ट्रेशन हों तो उसमें रूल्स बनेंगे कि कितने यार्ड्स के बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, हौस्पिटल के बाहर कितने डिस्टेंन्स के बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, वह कीजियेगा। कल से हौस्पिटल में कम्पाउन्डर्स और नर्सेज़ की स्ट्राइक हो और हौस्पिटल में पी. एम. ओ. का दफ्तर भी वहीं लगा रहता है, और अगर वे नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स मरीज़ों के बैड्स के पास में जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो यह चीज़ मुनासिब नहीं है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पहले कभी हुआ होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले स्ट्राइक हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेशन्स हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे सन् ४७ से पहले हुए होंगे।

श्री माथुरादास माथुर : उसके बाद में हुए हैं। आप जयपुर शहर में ही रहते हैं और उसके ही बारे में कह सकते हैं। राजस्थान में हुए हैं। नर्सेज़ ऑर कम्पाउन्डर्स का स्ट्राइक हुआ है और अस्पताल के बाहर विदिन २५ यार्ड्स हुआ है और आन्दोलन करवाने वाले हमारे सदन में बैठने वाली पार्टियों के हैं।

श्री भैरोंसिंह : जेल में भी स्ट्राइक हुआ है और वहां लाठी चार्ज हुआ है। लेकिन वहां नहीं पहुंचा था कोई।

श्री मथुरादास माथुर : इसके अन्दर दो-तीन बातें रखी हैं। बजट के अन्दर जो टैक्सेशन के प्रोपोज़ल्स हैं, माननीय सदस्य चाहें तो वे विरोध कर सकते हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

आपको कौन रोकता है? आप ११ बजे रात तक शहर की हर चौपड़ पर सभाएं कीजियेगा, जुलूस निकालिये, ११ बजे तक आपको कौन रोक सकता है?

क्लाज ५....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): टैक्सेज़ के सम्बन्ध में आन्दोलन करने के लिए आपकी सहमति मिल गई।

श्री मथुरादास माथुर: मेरी सहमति का आप इन्तज़ार नहीं करते, वह मैं जानता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब करने के लिये अधिकार है। कभी किसी दिन आपको अन्देशा हो कि ११ बजे से ज्यादा समय लगने की गुन्जाइश है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जयपुर को इत्तिला कर सकते हैं कि ११ से १२ या एक बजे तक आपको जरूरत पड़े तो आपको इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन वह एक्सैप्शनल केस है।

उसके अलावा डिमौन्स्ट्रेशन, लाउड-स्पीकर, एम्प्लीफ़ायर से वह करना चाहे तो उसमें लिखा है कि जो एरिया प्रेस्क्राइब करेंगे रूल्स के अन्दर कि कितने यार्ड्स के अन्दर वह हो उसके बाहर कर सकते हैं। यहां पर यह भाग्य की बात है कि सदन ऊंचाई पर उपस्थित है इसलिये १० गज की दूरी पर भी डिमौन्स्ट्रेशन हो तो उतना असर नहीं पहुंचता है; अगर वह लैवल पर हो तो और १०-१५ गज की दूरी पर डिमौन्स्ट्रेशन हो तो सदन खुद इस बात को महसूस करेगा कि वह काम नहीं कर सकता है। डिमौन्स्ट्रेशन करने से उसको काम में रुकावट पड़ती है। हम भी चाहते हैं कि राजनैतिक पार्टियां जनता में वातावरण पैदा करें। आप, सेक्रेटेरियेट के बाहर ४०-५० गज की दूरी पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुकर्रर करेगा, उसके बाहर खड़े होकर डिमौन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। यह सिम्पली, समाज व्यवस्थित ढंग से चले, उसको रेग्युलराइज़ करने की भावना से रखा है। जितने भी पोलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, सोशल आर्गेनाइज़ेशन हैं, या जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन्स हैं, वे किसमें जायेंगे? तो इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई संस्था रजिस्टर्ड हो जाय या रजिस्टर्ड न हो जाय; लेकिन उसको अधिकार दिया जाय तो उसके मायने यह हुए कि यह कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जो किसी ट्रेड यूनियन का, या पोलीटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन का, या वीमेन्स आर्गेनाइज़ेशन का मैम्बर है उन सब को विधान के अन्दर नोटिफाइड करें तो उनकी क्लासिज़ तो करनी पड़ेंगी, और उनको उनकी क्लॉस के हिसाब से अधिकार देने पड़ेंगे। तो इस कानून को बनाने की पूरा मन्शा बेकार गई।

(४ म. प.)

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज़, एग्ज़िबिशन करें, रात को ११-१२ बजे तक करें; लेकिन लाउडस्पीकर बन्द कर दें, फिर कौन रोकता है उनको जब मरज़ी आवे तब करें। यदि डिले होती देखें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहें कि हमारे लीडर आये हुए हैं, रात को ११-१२ बजे तक मीटिंग चलेगी, इसलिये इजाज़त दी जाय तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। इस तरह के कानून हिन्दुस्तान के

(श्री मथुरादास माथुर)
दूसरे हिस्सों में भी हैं। इसके द्वारा कोई फ़ंडामेन्टल चेन्ज करने की कोशिश नहीं की गई है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह तरमीम मन्जूर नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप यह बता दें कि असेम्बली के सामने डिमौन्स्ट्रेशन करने के लिये आप किस सीमा को उचित समझते हैं, किस सीमा के आगे डिमौन्स्ट्रेशन करने वाले नहीं आ सकते; इससे स्पष्ट हो जायगा। आपने सीमा दी है, कितनी सीमा तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा? आप यही बता दें कि असेम्बली के आगे कहां तक आप सीमा तय करना चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर: "Within such distance as may be prescribed".

यह क़ानून में है। रूल्स बनेंगे तब उनको सदन की मेज पर रखेंगे। उस समय अगर आप चाहें तो बहस कर सकते हैं। मैं ऑफ़ हैंड कुछ नहीं कह सकता। रूल्स बनते हैं तब उनमें ५० गज रखते हैं या १०० गज रखते हैं। इस बारे में मैंने अभी अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया है। रूल्स सदन की मेज पर रखे जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह: आपने माइन्ड एप्लाई नहीं किया है तो रूल्स नहीं ला सकते।

आपको रूल्स बनाने हैं तो आज सदन को बताना पड़ेगा कि जो पॉवर्स ले रहे हैं उनको कहां तक शामिल करेंगे?

श्री मथुरादास माथुर: रूल्स बनेंगे वे कैबिनेट की रजामंदी से बनेंगे इसलिये अभी मैं कैसे कह दूं कि क्या रूल्स बनेंगे? लेकिन मन्शा यह है कि रीज़नेबल हो उतना होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह: इस असेम्बली के बारे में ही बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर: यह असेम्बली जो नोर्मल वर्क करे उसमें दखल नहीं कर सके। उसके लिये जितना रोकने की आवश्यकता है उतना रोकें; यही भावना है। अब यह १०० यार्ड्स हो सकता है, ७५ यार्ड्स हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह कि श्री हाण्डा ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है क्लॉज़ १० बढ़ाने के विषय में would you like to press it?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: Yes, sir.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री हाण्डा ने क्लॉज़ १० जोड़ने के विषय में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)
"ना" पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: "हां" पक्ष जीता।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): It is too late, sir.

श्री उपाध्यक्ष: It is too late.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १० बढ़ाने के लिये मन्त्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

Page No.99

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकृत हुआ। क्लॉज़ १० विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ १, श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला: सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि इसको गृह मन्त्रीजी स्वीकार नहीं करेंगे इसलिये आपकी भावना को देखते हुए, आपकी आदत को देखते हुए, I would like to withdraw it.

श्री मथुरादास माथुर: The member has obliged me and I am grateful to him. But it is already in the Select Committee's report. He has not understood it.

श्री उपाध्यक्ष: It is withdrawn.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, इनैक्टिग फ़ॉर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, इनैक्टिग फ़ॉर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंगरूप से जोड़े गये।

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नोइज़ेज कन्ट्रोल बिल,१९६२, जैसा कि सदन के द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के तृतीय वाचन के समय में मैं एक बार फिर इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस बिल के अन्त में जो एक छोटा सा क्लॉज़ मेरे माननीय मित्र ने बढ़ाना चाहा था उसको अस्वीकार करके इस बिल की जो घातक भावना है उसको सदन के समक्ष हमारे गृह मन्त्रीजी ने रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि यह बिल केवल पोलिटिकल विन्डिक्टिवनेस को राजस्थान में प्रेरित करने के लिये लाया गया है। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने में अस्पताल के मरीज़ों के लिये सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है। यदि उनके साथ सहानुभूति होती तो उनको अस्पताल में सरकार दवा देती तो हम महसूस करते कि सरकार उनकी नींद और आराम की चिन्ता करती है। लेकिन अस्पताल में उनको पूरी दवाई नहीं मिलती। मरने वाले बाहर जाकर सरकार को रोते हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती और सरकार कहती है कि हम मरीज़ों के लिये करना चाहते हैं। हम कोई इतने मूर्ख तो नहीं हैं कि अस्पताल में जाकर रात को १२ बजे मरीज़ों को जगायेंगे और भाषण देंगे। ऐसी मूर्खता यदि कोई कर सकते हैं तो आपके उधर बैठने वाले ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं विरोधी पक्ष; जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी की ओर से....

श्री मथुरादास माथुर: ये दोनों एक तब से हो गये ?

श्री मानसिंह महार: हम कभी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे कि अस्पताल में जाकर खिलवाड़ करें उनकी जिन्दगी के साथ; यह खिलवाड़ तो आप ही कर सकते हैं। आप उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज वे दवाइयों के लिये रोकर मर जाते हैं, उस समय आपका दिल तड़पता नही है। यह नहीं देखते कि किसी प्रकार

(श्री मानसिंह महार)

सहानुभूति दिखाई जाय। वहां डाक्टरों के मुंह से दो शब्द भी सान्त्वना के नहीं निकलते, उनका दिल नहीं तड़पता; लेकिन जिस समय विरोधियों को दबाना चाहते हैं तो मरीजों के बारे में सोचते हैं।

दूसरी बात आई बच्चों के इम्तिहान की। मन्त्रीजी बड़े प्रेम से कहते हैं कि इम्तिहान के समय कोलाहल नहीं होना चाहिये। मैं कहता हूं ओल्ड कानून मौजूद है जिसके अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और म्यूनिसिपैलिटी रोक लगाते हैं। इम्तिहानों के लिये रोक इस समय भी लगी हुई है। मैं समझता हूं, क्या हो गया? आज देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे सिर पर एक खूंखवार दुश्मन बैठा हुआ है जो हमारे देश को हड़पना चाहता है। आज आप उस दुश्मन के एजेन्ट बैठे हैं उनकी तरफ़ ध्यान नहीं देते, उनके बारे में क़ानून बनाने की बात नहीं सोचते, उस दुश्मन को खत्म करने की बात नहीं सोचते। लेकिन कहते हैं कि कोलाहल नहीं होना चाहिये। पर ऐसा कोलाहल करता कौन है? नेशनल इमर्जेन्सी में जितना कोलाहल करते हैं वह सरकार करती है। हमने कोई कोलाहल नहीं किया। जनता से हम हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सरकार की मदद करो, पर यह सरकार कोलाहल करने को बाध्य करती है, जबर्दस्ती चन्दा वसूल करती है। परसों सुन कर खुशी हुई, जब हमारे देश के प्रधान मन्त्रीजी ने कहा था कि जो चन्दा जबर्दस्ती वसूल किया गया है उसको समुद्र में फेंक दिया जाय। प्रधान मन्त्रीजी को यह कहना चाहिये था कि जिस प्रान्त की सरकार न ऐसा जबर्दस्ती करके चन्दा वसूल किया है उस सरकार को समुद्र में फेंकना चाहिये। पैसा देश की गाढ़ी कमाई का सुबूत है, काम में लेना चाहिये। लेकिन इस प्रकार से देश के वातावरण को क्षुब्ध बनाने वालों को समुद्र में फेंकना चाहिये मैं इसको वाजिब मानता हूं। यदि छोटे-मोटे कानून आज पास किये जाते हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। आज भावना इस तरह की बन गई है कि यदि कोई क़ानून बम्बई में बनता है तो होड़ हो जाती है। बम्बई में बनाया है इसलिये उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाय और उत्तर प्रदेश में बना है तो राजस्थान में भी बनाया जाय। इस प्रकार के कानून की पाश्चात्य देशों में ज़रूरत है। मैं यह नहीं कहता कि यह पाश्चात्य देशों से लाया गया है। मैं जानता हूं कि इस प्रकार के कानून वहां नहीं हैं, फिर यह कहां से लिया गया है? आज देखना यह है कि यह कानून यहां क्या करेगा? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की ज्यादा आबादी छोटे-छोटे गांवों में रहती है। मैं कहता हूं कि अगर इस कानून को म्यूनीसिपैलिटी तक सरकार महदूद रख देती तो मुझे आज इसके तृतीय वाचन पर इसका विरोध करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन म्यनीसिपैलिटी ही नहीं अगर किसी ढाणी में एक भी आदमी है, और उसके यहां लाउडस्पीकर के साथ रात के एक बजे तक फेरे होते हैं, अगर उसके यहां माइक बजता है तो उसका भी चालान।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): किस शास्त्र में लिखा है कि फेरे की आवाज लाउडस्पीकर से सुनाई दे तब ही शादी होगी? यह क्या जरूरी है कि लाउडस्पीकर बजे? आपकी शादी में भी क्या लाउडस्पीकर बजा था?

श्री मानसिंह महार: लाउडस्पीकर से तो आप पैदा हुए थे, यह आपको मालूम नहीं हैं। माननीय सदस्य पैदा ही लाउडस्पीकर से हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): पैदा होते ही लाउड स्पीकर हुए थे।

श्री मानसिंह महार: ऐसी बात नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून को शहर तक, म्युनीसिपैलिटी, टाउन्स तक महदूद रख देते....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आप थे नहीं। मैंने कहा था कि यह कानून अभी तक राजस्थान में कहां लागू रहेगा इसकी वक्तन फवक्तन घोषणा की जायेगी।

जहां विलेज लाइफ है वहां नहीं करेंगे।

श्री मानसिंह महार: बड़े प्रेम से गृह मंत्रीजी नें आश्वासन दिया, लेकिन कहीं किसी गांव में पोलिटिकल वातावरण बनेगा तो फौरन लागू कर देंगे....

श्री मथुरादास माथुर: वह मत करना।

श्री मानसिंह महार: आप शुभेच्छुक हैं जनता के और यह म्युनिसिपैलिटी के बाहर लागू नहीं रहेगा तो यह आधा रह जायगा। वर्ना गांव वालों को फालतू लिटिगेशन के लिये मजबूर करें या थानेदार लोगों को हैरैस करने के लिये....

श्री मथुरादास माथुर: है नहीं गुंजाइश।

श्री मानसिंह महार: बहुत गुंजाइश है। गुंजाइश इतनी है क्योंकि आपका राज्य अन्धे और बहरों का राज्य है। आपके यहां किसी को कहा जाय, किसी को शिकायत की जाय तो जिस प्रकार बहरा नहीं सुनता है, यह सरकार भी नहीं सुनती है, मैं सही आपको बता दूं....

श्री मथुरादास माथुर: आप गवर्नर्स एड्रैस पर बोल चुके हैं यह तो।

श्री मानसिंह महार: मैं निवेदन कर रहा था, इस कानून की जरूरत नहीं है। आज देश के अन्दर सीरियसनेस की जरूरत है। आप इस प्रकार की हल्की बातें मत कीजिये। मैं आज गृह मंत्रीजी से अपेक्षा करता था, जिस प्रकार लैंड रिफार्म्स के ऊपर एक महत्वपूर्ण कमेटी बनाई, उसको नेशनल एमर्जेन्सी का नाम लेकर अबेयैन्स में रख दिया है....

श्री मथुरादास माथुर: किसको?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): रेवेन्यू लॉज कमीशन।

श्री मानसिंह महार: रेवेन्यू लॉज कमीशन को आपने अबेयैन्स में रख दिया है, क्योंकि देश के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं,- इसलिये ऐसा काम नहीं होना चाहिये। लेकिन आज ऐसे छोटे-मोटे कानूनों की आपको जरूरत नहीं है। आज गृह मंत्रीजी छाती पर हाथ रख, ईमानदारी से कह दें कि इस कानून के बने बिना राजस्थान का बडा भारी अनर्थ होने जा रहा है, तो हम मान लेंगे। मैं कहता हूं कि अब भी वे अगर यह कह दें तो मैं अपना भाषण बन्द कर दूंगा....

श्री मथुरादास माथुर: आप बोलते जाइये।

श्री मानसिंह महार: तो इस कानून के बने बिना, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान का बहुत बडा अनर्थ होने जा रहा हो, तो ऐसा

Page No.102

(श्री मानसिंह महार)

कोई अनर्थ नहीं होने जा रहा है, कोई दिक्कत पैदा नहीं हो रही है। यह केवल एक जिद्द है। मैं कहता हूं कि डैमोक्रेसी के अन्दर इस प्रकार की जिद्द काम नहीं देती। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक ऐसी चीज है कि जिसके अन्दर हमको बहुत सोच करके, बहुत समझ करके काम करना चाहिए। हमारे कानून ऐसे होने चाहियें कि उन कानूनों का उल्लंघन नहीं हो। मैं तो इसका पूरा पक्षपाती हूं कि सरकार कोई कानून बना दे तो उस कानून का अक्षरशः पालन कराना चाहिये। जो सरकार अपने कानूनों का पालन कराने में असमर्थ होती है, मैं उसको एक नाकाबिल सरकार समझता हूं। मैं कहता हूं कि उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये और अगर इस प्रकार के छोटे-मोटे कानून स्टैच्यूटरी बुक पर लाकर सरकार कोई काम जनता से कराती है तो यह अराजकता का द्योतक है। सरकार इस प्रकार का कानून बना रही है इसलिये मुझे इस कानून का विरोध करना पड़ रहा है, यह आपको बता दूं। मुझे दुःख होता है कि यह छोटा कानून बना देंगे तो जनता के अन्दर यह आम भावना होगी कि ग्यारह बजे के बजाय हम गांव में बैठ कर लाउडस्पीकर पर राम-धुन दो बजे तक करते हैं, तो वे कहते हैं कि यह कोई अन्याय नहीं है। लेकिन सरकार के कानून का उल्लंघन हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर: कोई बात नहीं है।

श्री मानसिंह महार: गृह मंत्रीजी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। मैं बता दूं कि यह सवाल जबान का है, जो सरकार अपनी जबान की पाबन्दी नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि वह समुद्र में फेंकने लायक है, जैसा पंडित जी ने कहा है। मैं कहूंगा, इस सदन में बैठने वाले मेरे मित्र अंत में इसका विरोध करेंगे तो विरोध करने से, मैं यह जानता हूं, कि सरकार को सद्बुद्धि आयेगी और उधर बैठने वालों, ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वालों के सामने बात होंगी तो वे लोग भी ध्यान देंगे। वे भी हमारे भाई हैं। सरकार द्वारा उन लोगों के लिए कोई कानून बनाया हुआ नहीं है, जिन्होंने जालोर में मोटर टकरा दी और शराब पी-पीकर नुकसान कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा): On a point of order, Sir, आपके भाषण से कोई आपत्ति नहीं है, भावना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन दिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): रिफ्लेक्शन किस पर?

श्री निरंजननाथ आचार्य: 'शराब पीकर' this is not within the dignity, Sir, परम्पराओं के प्रतिकूल, आपकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है, यह भाषा आपको शोभा नहीं देती है। मेरा निवेदन है।

श्री मानसिंह महार: आप पर रिफ्लेक्शन नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: प्रतिष्ठा कायम रखी जा रही है, उसको कायम रखा जाय। आपकी भाषा पर आपका नियंत्रण हो तो मेरा खयाल है कि आपकी सद्भावना ज्यादा प्रभाव होगा।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भाषा का ख्याल रखेंगे।

श्री मानसिंह महार: मैंने इनके लिए नहीं कहा। इन्होंने मोटर टकराई नहीं है। जो मोटर टकराने वाले हैं वे आपत्ति करते तो

(श्री मानसिंह महार)
तो मैं क्षमा याचना कर लेता । माननीय उप मंत्री जी छोटी सी बात का झगडा लेकर खडे हो गये । अगर उनकी यह नीयत हो कि मैं उनका नाम लूं, जिन्होंने यह किया है, तो मैं नाम नहीं लूंगा····

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपकी जुबान पर सौन्दर्य सरस्वती है वह कुरूप न बन जाय; इसलिये कहा है ।

श्री मानसिंह महार: धन्यवाद । आप सुन्दरता की बात कह रहे हैं । आप घबराइये नहीं । मेरे बाद बोलने वाले सुन्दरता लायेंगे··

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूंगा कि आप सुन्दरता के बारे में भाषण न दें ।

श्री मानसिंह महार: मैं निवेदन कर रहा था, बीच में इन्टरप्शन करके मेरे भाषण को कुरूप कर देते हैं, मैं क्या करूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल के तृतीय वाचन के समय मैं आखिरी अपील गृह मंत्री, जो अपने आपको बहुत बडा डैमोक्रेट बताने की कोशिश करते हैं, से अपील करूं, हमारी छोटी-मोटी बातों को ध्यान में रखते हुए नेशनल एमर्जेन्सी के समय, जब हम सबको देश की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, छोटी-मोटी जिद्द की बात हो, तो उसको छोड कर भावनात्मक एकता को कायम रखने के लिए गृह मंत्रीजी चाहें तो अब भी इस बिल को विथड्रॉ कर लें । और विथड्रॉ न करें तो सदन में इस प्रकार की भावना आये तो उसको मद्दे नजर रखते हुए उनको इस बिल को ड्रॉप करने के लिए कम से कम हमारे साथ वोट जरूर देना चाहिये । ये दो शब्द कह कर मैं सदन के समस्त मित्रों से निवेदन करूंगा कि इस बिल को फैंकने के लिए हमको मदद दें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल का मैं विरोध नहीं करता लेकिन अंत में माननीय गृह मंत्रीजी का जो भाषण हुआ, उस भाषण के द्वारा मुझे इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार जो आश्वासन देना चाहती है दे रही है लेकिन उस आश्वासन में वास्तव में कोई सत्यता नहीं है । सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विरोध करूंगा कि हमारी सरकार को कानून बनाने का तो अधिकार है लेकिन सरकार कानून क्यों बनाना चाहती है, उसकी जानकारी किये बिना कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है ।

गृह मंत्री ने यह स्पष्ट बताया कि हमने अभी रूल्स के लिये अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया । डिमान्स्ट्रेशन के लिये कितनी सीमाएं निर्धारित की जावेंगी ? आप कहते हैं, कि हमने अभी तक अपना कोई माइन्ड इसके लिये एप्लाई नहीं किया है । उन्होंने यह कहा कि रूल्स बनेंगे तब सदन की मेज पर रखे जावेंगे और सदन को उन्हें अमेन्ड करने का अधिकार होगा । मैं इस बात को मंजूर करता हूं कि जब रूल्स सदन की मेज पर रखे जावेंगे तो हमें पूरा अधिकार होग संशोधन करने का । मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार अधिकार इस समय किस बात के लेना चाहती है ? जिस बात के अधिकारों को लेकर वह सदन के द्वारा कानून पारित करवाना चाहती है, जब सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया कि किस प्रकार के रूल्स बनावेंगे । गृह मंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि उन्होंने रूल्स

Page No.104

(श्री भैरोंसिंह)

के मामले में अभी कोई अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया है मैं यह कहूंगा कि जब सरकार रूल्स के लिये अपना माइन्ड एप्लाई नहीं करती, तो सदन को अंधेरे में रख कर हमारी मोहर किस बात पर लगवाना चाहती है। किन बातों के लिये अधिकार प्राप्त करना चाहती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की परम्परा गलत परम्परा बनेगी। जब तक आप रूल्स और कानून के बारे में निर्णय लेकर सदन के सामने नहीं आते हैं, तो यह मानकर चलना होगा कि यह विधेयक अधूरा है और अधूरे विधेयक पर इस सदन की मोहर लगाना जनतन्त्र की मखौल उडाना होगा। आपने लिख दिया कि इम्प्लीमेंट करने के लिये रूल्स बनाने के अधिकार दिये जावें। रूल्स बनाने के अधिकार आप लेना चाहते हैं। आप डिमोंन्स्ट्रेशन के बारे में क्लीयर नहीं है। बाकी के रूल्स में भी आपने अपना माइन्ड अभी तक एप्लाई नहीं किया है और जब आपने अभी तक रूल्स बनाने के लिये अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया है तो इस प्रकार के इनकम्प्लीट कानून को सदन में लाकर पास करना कतई वाजिब नहीं है। आपका कानून ही इनकम्प्लीट है। और इसे केवल अपने बहुमत के आधार पर पास करके हमारी मोहर लगवाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र की हत्या करना होगा।

आज मुझे ११ साल विधान सभा में देखते हो गये हैं, आज तक किसी मंत्री के मुंह से मैंने नहीं सुना कि हमने रूल्स के लिये अपना माइन्ड एप्लाई नहीं किया है। तो इससे यह महसूस होता है कि इस कानून के लिये वे सीरियस नहीं हैं। इसके अलावा इस कानून का क्या रिजल्ट हो सकता है? इस पर विचार नहीं किया और इस पर बिना विचारे ही आपने यह बिल सदन में पेश कर दिया। आपने कानून पास करा लिया, मगर रूल्स के संबंध में आपने कोई निर्णय नहीं लिया, आपने अपने माइन्ड को एप्लाई नहीं किया; केवल इस आश्वासन को लेकर चले कि आप रूल्स बना कर सदन की मेज पर रख देंगे।

और सदन को उसमें अमेन्डमेन्ट करने का अधिकार होगा तो मैं यह कहूंगा कि आप ऊंचे स्तर पर हैं, थोड़े से नीचे स्तर से आवाज़ होगी तो वे नहीं समझ सकेंगे। जब कभी डिमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो आप कह देते हैं कि विधान सभा में आने के लिये दरवाज़े बन्द कर दो और यह भी कह देते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटर्स चौपड़ से आगे नहीं बढ़ सकें, उन्हें चौपड़ पर ही रोक दिया जावे। यह नहीं होता कि गृह मन्त्री डिमोन्स्ट्रेटर्स के बीच जाकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी जानकारी करे कि किस सरकार के निर्णय के खिलाफ़ जनता आई है और उन्हें समझावे। मैं यह कहूंगा कि आज तक किसी भी सरकारी अधिकारी या मन्त्री की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनके बीच में जाकर उनको देखें और उनकी तकलीफ़ों को सुनें। दुर्भाग्य से विधान सभा के सदस्य ही देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनकी भावना क्या है? किस भावना को लेकर ये आये हैं? किस कष्ट के निराकरण के लिये ये लोग यहां आये हैं? कई डिमोन्स्ट्रेशन हुए हैं मगर हम देखते आये हैं कि आपने कभी उनके बीच जाकर उनकी आवाज को सुनने और भावना को समझने की कोशिश नहीं की। आप यही समझते हैं कि इन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन करके अपने समय को खोया है।

(श्री भैरोंसिंह)

आपने यह कहा कि पोलिटिकल पार्टीज़ के लिये यह क़ानून नहीं है और इसका मिसयूज़ नहीं होगा। मुझे विश्वास हो गया। मगर आपने जब कहा कि बाक़ी के लोगों पर लागू होगा जो कोलाहल करें, क़ानून बनाने वालों ने अपनी तो बचत करली। गृह मन्त्रीजी ने अपने शब्दों में कहा उन्होंने कहा है कि राजनैतिक पार्टी पर लागू किया जावेगा। जब आप यह कहते हैं तो हमारा भी अधिकार है कि सदन से और आपसे, इसका विरोध करके मांग करें कि आखिर आपका मक़सद क्या है? क्या आप इसके द्वारा पब्लिक की आवाज को बन्द करना चाहते हैं? जिस तरह से एमर्जेन्सी के बहाने सरकार के अत्याचारों और अन्यायों के विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता उसी तरह इस क़ानून को आप लाना चाहते हैं। अगर आपकी यही भावना है, तो हम भी समझेंगे और विचार करेंगे। आज सरकार इस स्थिति में आगई है कि लोगों का बोलना भी उसको अच्छा नहीं लगता। कोलाहल नियन्त्रित करने का अधिकार डी. एम. को पहले भी है और यह नोटिस इश्यू करके रोकने का प्रबन्ध कर सकता है। फिर इसकी क्या आवश्यकता है? मैं भी इस धोखे में था कि गृह मन्त्रीजी जो आश्वासन दे रहे हैं वह सही है, मगर जब अन्त में यह कह गये कि लोग म्यूनिसिपैलिटी के बारे में चर्चा न करेंगे; उसका मतलब यह कि कोई म्यूनिसिपैलिटी में अन्याय हो, उसकी चर्चा न करें। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि राजनैतिक पार्टी में पार्टी करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से, पुलिस से और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त ले सकती है। मैं यह कहूंगा कि कौनसा अपराध राजनैतिक पार्टी करती है जिससे उसको तीन ऑफ़िसरों की ख़ुशामद करनी पड़े उन्होंने कोई चोरी नहीं की कोई अत्याचार नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला जिससे वे इनकी ख़ुशामद करें।

वे लोग जनता के लिये मांग करते हैं। आज के दिन आपके एमर्जेन्सी में संभव है कि पोलिटिकल पार्टी से किसी तरह की भूल हो जावे, तीन में से किसी एक से इजाज़त लेना भूल जाए तो पुलिस चालान कर देगी अगर म्यूनिसिपैलिटी से इजाज़त नहीं ली तो म्युनिसिपैलिटी चालान ठोक देगी। मैं समझता हूं कि राजनैतिक में काम करने वाली पार्टी कभी यह नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार की भूल के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जावे या उनके काम करने के ढंग इस प्रकार के हों कि उनमें रुकावट के लिये सबको गिरफ्तार कर लिया जावे। इस प्रकार का न तो आपका और न बाक़ी के दलों का कार्यक्रम होगा कि उनकी भूल की वजह से किसी को गिरफ्तार किया जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप आख़िर चाहते क्या हैं? आप स्पष्ट कहिये। आप यह स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि राजनैतिक पार्टी इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकती जो सरकार को बुरा लगे। यदि कोई भी करेगा तो वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है और वह नोटिस इश्यू कर देगा और जब भी आवश्यकता होगी गिरफ्तार कर लेंगे। और मजिस्ट्रेट को पॉवर दिये हैं। वे आपने सदन की भावना देख कर और उसको दे दिये हैं। मैं यह कहूंगा कि वह किस मजिस्ट्रेट के पास जाए? आपने किसी राज्य में नहीं सुना होगा कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल में से फ़र्द फाड़ दिये जावें और कागज़ बदल दिये जावें। मगर यहां की कोर्ट में कागज फाड़ दिये जाते हैं और कागज

(श्री भैरोंसिंह)
बदल दिये जाते हैं। यह मजिस्ट्रेट की कोर्ट की हालत है, तो फिर किसे जाकर कहें, कहां जावें और अपील करें कि डी. एम. का आर्डर ग़लत है या डी. एम. ने पुलिस को ग़लत आर्डर दिया इससे बचाया जावे। यह कोई उनका ख़ुद का मसला नहीं है, यह क़ानून को चलाने का प्रश्न है, यह डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रश्न है। हम भी इतने असभ्य और अशिष्ट नहीं हैं कि हम ऐसे स्थानों पर मीटिंग करेंगे जहां नहीं करनी चाहिये। हमें याद नहीं कि हमने कहीं ऐसे स्थान पर मीटिंग की हो जिससे पब्लिक को तकलीफ़ हुई हो। चेचक के दिनों में होस्पिटल के सामने कभी कोई मीटिंग नहीं होगी। जोधपुर में नर्सेज़ की जो मीटिंग हुई थी उसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आज आप यह नहीं कह सकते कि उकसाने से डिमान्स्ट्रेशन होते हैं। आज जेलों में डिमान्स्ट्रेशन होते हैं। वहां उनको कौन उकसाता है? वे जेल की चार दीवारी में बन्द होते हैं, मगर वे डिमान्स्ट्रेशन करते हैं। आपके शासन में क़ैदी हड़ताल करते हैं जो आपके कब्ज़े में हैं। जिनको किसी प्रकार का बाहरी प्रोत्साहन नहीं मिलता। आपकी पुलिस उनको डन्डे लगाती है और वे लोग नारे लगाते हैं। उनको भी क्या कोलाहल के अन्दर बन्द करेंगे कि तुमने जेल में कोलाहल किया, सरकारी इन्स्टीट्यूशन में कोलाहल किया? और कोई व्यक्ति किसी प्रकार जेल में, होस्पिटल में, स्कूलों के मामले में कहे, वहां न्यूसेंस पैदा करे तो चाहे कोई कानून बनायें या न बनायें धारा १४४ बदस्तूर लागू की जा सकती है। स्टूडेन्ट्स के पढ़ने का टाइम है, कोई इस प्रकार का नोइज न करे कि स्टूडेन्ट्स के पढ़ने में बाधा हो। धारा १४४ के तहत इस प्रकार की आज्ञा जारी की जा सकती है। कोई धारा १४४ निरस्त नहीं हुई है। पहले की ही तरह प्रचलित है। जयपुर में आज के दिन मजिस्ट्रेट १४४ से काम कर रहा है, इसमें इससे क्या वृद्धि होगी? पर मजिस्ट्रेट आज तक की जो परम्परा है इस धारा की, उसके विरुद्ध नहीं कर सकता। फिर आपने यह खतरनाक फिक़रा कह दिया कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा में बैठ कर अपने लिये तो मीटिंग्ज की छूट कराली, यह खतरनाक फिक़रा है, इसके लिये मैं गृह मंत्री जी से और सदन से निवेदन करूंगा कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, पोलिटिकल पार्टीज को कर्ब किया जायगा। जो जनता की बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं उसमें अड़चन लाई जायगी, और यह अड़चन स्वीकार कर ली गई तो जनता से हमारा सम्पर्क मिटेगा, जैसा कि सत्तारुढ दल चाहता है। इसलिये हम इस अनकॉन्स्टीट्यूशनल लॉ का विरोध करें, इस अनडेमोक्रेटिक लॉ का विरोध करके इसे गिरायें और जो अपने राइट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिये, जो फंडामेंट्ल राइट्स हैं कान्स्टीट्यूशन ने हमें दिये हैं, जो डैमोक्रेटिक राइट्स परम्परा से बने हैं, उनकी रक्षा के लिये, किसी प्रकार का संकोच न करें। मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा कि इस पर फिर से विचार करें और इस कानून को वापिस ले।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुकुटबिहारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आज यह कानून अन्तिम वाचन में सदन के समक्ष पेश है। मैं जहां तक अब तक समझ पाया था कानून मंत्री महोदय की मंशा यह है

(श्री मुकुटबिहारीलल गोयल)

कि वास्तव में शहरों में एक प्रकार का हंगामा होता रहता है, लोगों का रहन-सहन बडा बेतुका बन जाता है, इस हल्ले-गुल्ले के वातावरण में लोग सुख-शान्ति के साथ नहीं रह सकते। यदि यही भावना होती तो कोई बात नहीं थी....

श्री उपाध्यक्ष : Looking to the shortage of time, I would request the Hon'ble Members to confine their speeches to five minutes only.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह टाइम वाली पाबन्दी तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर ही लगाई जा रही है...

श्री उपाध्यक्ष: काफी बहस हो चुकी है। जल्दी ही समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी ही समाप्त करूं। यह लाउड स्पीकर का मामला है। लाउड स्पीकर यहां पर भी लगे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष: आप भाषण दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस भावना से प्रेरित होकर गृह मंत्री इस कानून को सदन में लाये, मैं समझता हूं उसकी हमें तारीफ करनी चाहिये। पर या तो हमको यह कहना चाहिये कि हममें इतनी योग्यता नहीं रही कि जिस आशा के आधार पर कानून बनाना चाहते हैं, उसको कोई तरीके से फिट बना कर कोई कानून दे नहीं सकते। यह हमारी लायकी और नालायकी का नमूना है कि कानून बनाने की जो मंशा है इस कानून के पीछे वह जनता को दे नहीं सकते। दूसरे इस सदन को धोखे में डाल कर, जो आम जनता का प्रतिनिधि यह सदन है उसको बदस्तूर धोखे में डाला जाता रहा है। उनके आश्वासन का सवाल था जिसके आधार पर सदन ने इतनी उदारता के साथ इस कानून की विभिन्न धाराओं को स्वीकार किया, पर उनकी मंशा एक तरह से साबित हो गई, जो मंशाओं में छिपा हुआ गलत इरादा था वह प्रकट हो गया। तो अब सदन को सोचना होगा कि जनता के अधिकार पर कुठाराघात करने वाले इस काले कानून को किस प्रकार रद्दी किया जाना चाहिये। यह काला कानून है, आम जनता के अधिकारों का हनन करने वाला कानून है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूं कि अंग्रेजों की उस गुलामी के अन्दर भी जब कि हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत का जूड़ा डाला हुआ था, चाहे उस समय हम पर गोलियां चलाई गईं, हमको जेलखाने में डाला गया, हमारे देश के नौनिहालों को फांसी के तख्तों पर चढाया गया पर उन्होंने भी इस प्रकार की बदतमीजी नहीं की कि हमारी जुबान पर इस तरह से ताला लगा दें।

हां, एक बात कही जा सकती है, कानून मंत्री यह बात फिर दोहरायेंगे और यह आश्वासन फिर देने की हिम्मत करेंगे कि हमको गलत समझा है। पर मैं कहता हूं कि इस प्रकार के आश्वासन का बनेगा क्या ? या तो यह क्लॉज जोड दिया होता, मिनिस्टर इन्चार्ज आफ दी बिल यह आश्वाशन देते हैं...

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष, बार बार आश्वासन का कहा जा रहा है। मैंने कब आश्वासन दिया ? इस बिल की भावना यह है, हमारी कभी मंशा यह नहीं कि पब्लिक मीटिंग्ज के राइट्स को कर्ब करना चाहते हैं, पोलिटिकल पार्टीज को कर्ब करना चाहते हैं। इस बिल से जो सही कर्बस हैं वे ही लगाये गये हैं, यह इस बिल की मंशा है। माननीय गृह मंत्री ने यह कहा, कानून मंत्री ने यह कहा, आश्वासन

(श्री मथुरादास माथुर)
दिया, मैं तो कहता हूं सबसे बडा आश्वासन यह बिल है जो सदन के सामने है। सबसे बडा राइट कर्ब हुआ है वह यह है कि ११ बजे रात से सुबह ५ बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा कि गांवों पर लागू नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह कानून ही कहता है कि बिल के दो क्लॉज अभी से लागू हैं, वाकी जब सरकार चाहेगी, जहां जरूरत समझी जायगी सोशियल लाइफ, सिविल लाइफ को डिस्टर्ब किया जायगा वहां लागू किये जायेंगे। हो सकता है जयपुर शहर में लागू नहीं करें। एक एरिया में लागू करें। यह बात इस कानून में है। इसमें छुपाने की बात क्या है? आश्वासन के ऊपर भाषण हो रहे हैं। यह कहा गया कि अंग्रेजों के समय में ऐसा कानून नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी सरकार से हमने लडाई की। कुछ लोग नहीं होंगे, वाकी इसके लिये सभी लोग मौजूद थे। तो इस तरह की बात कहना उचित नहीं होगा। मैंने इस बात का विरोध किया है कि पोलिटिकल पार्टीज की पब्लिक मीटिंगज का ऐग्जेंम्पशन किया जाय क्योंकि यह उचित नहीं होता।

यह कहा गया कि इसके बनाने में माइन्ड एप्लाई नहीं किया गया। माइन्ड एप्लाई नहीं किया होता तो कानून ही नहीं लाते। अस्पतालों में, स्कूलों में गवर्नमेंट आफिसेज में दखल नहीं हो···

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): इसके लिये तो १४४ लागू है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): गुस्सा क्यों आता है आपको?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझ रहा था कि जो इस बिल के संचालन करने वाले मंत्री हैं जरा संयम से काम लेंगे··

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): हम तो संयम से लेते हैं, आप संयम से लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन की परम्परा यह रही है कि जहां कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में बोलने के लिये सूचना देनी होती है, पर वे इतने विह्वल हो गये और अपने मस्तिष्क के संतुलन को इतना विकृत कर चुके कि मुंह बना कर उछल पडे और इस तरह बोल दिया। आज ही हमारे मिनिस्टर के मस्तिष्क का संतुलन इतना खोया हुआ है तो उस कटु-आलोचना के समय तो न जाने कितना खो जायगा?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा): Point of order, Sir, Hon'ble Member is not relevant to the question. Sir.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि बार बार जो मिनिस्टर महोदय इस बात को कहते हैं कि हमारी बात को ठीक तरह से समझिये हमारे पास ठीक तरह से समझने का एक ही तरीका है कि कानून में जिन शब्दों को बद्ध किया जा रहा है, कानूनीकरण कर रहे हैं उन्हीं शब्दों से इनकी मंशा निकाली जाय। इसके साथ यह क्लॉज नत्थी कर दिया होता कि जो स्पीच दी गई है, आश्वासन दिया गया है उनको कानूनी अधिकार मान लिया जाता तो दूसरी बात होती।

मैं बता रहा था कि उन अंग्रेजों के जमाने में भी कम से कम हमारे मुंह पर इस प्रकार की जबरदस्ती नहीं थोपी गई थी कि विचार प्रकट करने से रोक दिया होता। इस कानून का

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

खुल कर दुरुपयोग होगा। इस कानून के द्वारा राजनैतिक लाभ उठाये जावेंगे।

श्री गणपतिलाल दर्मा (माण्डलगढ): आपने अंग्रेजों का जमाना ही नहीं देखा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने आपसे ज्यादा देखा है, मामाजी।

श्री उपाध्यक्ष: भाषण जारी रखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : गोयल बहुत इर्रिलेवेन्ट हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (गोयल) : आपसे ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: Yes, continue please,

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपका शासक दल क्या हमेशा ही बना रहेगा ? नहीं, आप तो ऐसे कानून लाना चाहते हैं कि शायद इसके मंत्री, इन्चार्ज, मिनिस्टर महोदय यह समझते हों कि वे हमेशा मिनिस्टर बने रहेंगे, शासक हमेशा बना रहेगा। कम से कम दिल्ली ····

श्री चन्दनमल वैद्य (उप-मंत्री, वित्त) : हमेशा रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर भारतीय संसद् है, ऐसा कोई कानून नहीं है, जो राजनैतिक पार्टियों पर लाद दिया गया हो। संसद् भवन पर रात-दिन प्रदर्शन होते हैं। अमेरिका के दोनों सीनेटों पर प्रदर्शन होते हैं। जापान की डायट पर प्रदर्शन होते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग धीरे २ जनतन्त्र से दूर हटते चले जा रहे हैं, उनके दिमाग की सूझ धीरे २ जनतन्त्र से हट कर डिक्टेटोरियल होती चली जा रही है। मैंने देखा है, अनेकानेक कमेटियां या बोर्ड का निर्माण करने पर, एक नहीं अनेक उदाहरण देने के लिए तैयार हूं, जिससे राजस्थान सरकार के जो व्यक्ति या उधर बैठे हुए भाई हैं उनकी मंशा धीरे २ ऐसी होती चली जा रही है कि वे आज जनतन्त्र में फिट नहीं हो पाते। वे आज इस काबिल नहीं हैं कि जनतन्त्र के तहत कोई अधिकार उनको दिया जाय।

(घंटी)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून के अन्तर्गत जनता के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात होगा, राजनैतिक पार्टियों पर पाबन्दी लागाई जायगी, अपनी मशीनरी के जरिये से पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा कि अमुक मीटिंग न होने दी जाय, अमुक प्रदर्शन न होने दिया जाय, अमुक कार्यवाही न होने दी जाय। और साथ ही मैं एक बात अन्त में कहता हूं कि सरकार होती है वह प्रतिक्रियावादी होती है, यह एक उसूल है जो संसार भर में एप्लाई किया जाता है। सरकार में आने पर सरकार में बैठे व्यक्ति दकियानूसी हो जाते हैं। प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, रैड टेपिज्म के चक्कर में पड जाते हैं। यह तो हो ही जाता है। कम से कम कानून मंत्री मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करेंगे जनता के, वे इतने ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो जावेंगे कि लोगों की जुबान पर ताला डालने की कोशिश करेंगे, मैं इस प्रकार का विश्वास नहीं कर पाता था और एक दूसरा तरीका ····

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं।

जो सदन में पैदा हुआ है और वह यह है कि मिनिस्टर को कोई न कोई कानून पैदा करना चाहिये, बनाना चाहिये, गलत तरीके से लच्छेदार भाषा में, तोड मरोड कर आश्वासन देकर सदन को धोखे में डाल कर बना लिया ····

Page No.110

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्षजी .....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस कानून को पूरी सख्ती से कुचल दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): I want to exercise my right of reply ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Which right of reply ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: The amendment that I have placed.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): The amendment is gone. This is third reading.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो तकरीर की, मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों ने जो बिल को पारित करते वक्त अपने जो विचार रखे हैं उनमें मुझे कुछ ऐसा मालूम पडता है और ऐसा अनुमान करता हूं कि उनकी भावनाओं को कुछ ठेस पहुंची है । मैं आपके जरिये से माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के सब ही माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की कतई मंशा यह नहीं है कि हमारे सियासी जीवन में किसी तरह की बाधा डाली जाय । जितनी आपकी पब्लिक में जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन और मीटिंग के जरिये से उनके पास पहुंचने की दिलचस्पी है इधर बैठने वाले जितने भी माननीय सदस्य हैं जो सियासत में विश्वास करते हैं उनकी भी मंशा यही है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून जो हमने यहाँ पर बनाया है वह इस तरह का कानून है कि वह हिन्दुस्तान की १३ रियासतों में है । जब कि यह सामने रख दिया तो पोलिटिकल पार्टीज और सोशियल रिओर्गेनाइजेशन एक वेग तरमीम रख दी गई । हमने जानने की कोशिश की कि जिन रियासतों में कानून बन चुके हैं, या बन रहे हैं वहां किसी पोलिटिकल पार्टी को या किसी को ऐक्सेप्शन दिया गया हो । माननीय उपाध्यक्षजी, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ऐक्सैप्शन नहीं दिया गया है । माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार ने माइन्ड एप्लाई नहीं किया । मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कानून की मंशा है, कानून बनाने का जो तरीका है, मुद्दा है, उस पर कानून बना है । यह सिलेक्ट कमेटी में गया । दो-तीन मीटिंग्ज में चर्चा हुई और जो स्वरूप बना वह सदन के सामने रखा गया । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस काले कानून के जरिये ज़ुबान पर ताला लगाया जा रहा है । मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में तीन-चार कैटेगोरीज हैं। संस्थायें, अस्पताल हैं वहां बगैर इजाजत कलैक्टर की ११ बजे बाद मीटिंग नहीं कर सकेंगे। कहां पर करें ? उन संस्थाओं को छोड कर कहीं पर करें । सरकार की कतई मंशा नहीं है कि इस कानून को गांवों में लगाया जाय । गांवों के सामाजिक जीवन में वह चीज नहीं है । कहीं गांव में जागरण होता है तो लोग २ बजे तक जगते हैं, शादी-विवाह में लोगों को रात को जगने में खुशी होती है जहां सिविलाइजेशन आता है वहां दिक्कत आती है । नोटिफिकेशन के जरिये वक्तन-फवक्तन लागू कर रहे हैं, वर्ना पूरे का पूरा लागू कर देते । न यह इसकी मंशा है । कानून

(श्री मथुरादास माथुर)
वहां एप्लाई होता है जहां लोगों की मांग होती हैं। बडे बडे शहरों में मांग हुई है। शुरू में प्रस्ताव पेश हुआ तो मैंने रखा कि बीकानेर में मांग हुई। शहरों में भी पूरे एरिया में लागू कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं है।

शहरी एरिया के बाहर का जहां तक सवाल है, वहां कानून लागू करने की जरूरत नहीं। शहर में सब जगह मीटिंग ११ बजे तक हो सकती है। यह केवल उन जगहों के लिये है जहां इन्स्टीट्यूशन्स हों, अस्पताल हों। अगर ऐसे स्थान पर भी पोलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज करना हो तो इसमें गुंजाइश है। कलेक्टर से इजाजत लेकर वे कर सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप क्लाज ३ को तो पढ़िये।

श्री मथरादास माथुर: आप संयम रखिये। क्लाज ३ को पढता हूं।

माननीय सदस्य, जिस समय इस क्लोजेज ३ और ४ पर बहस हुई उस समय सदन में नहीं थे। इसके अन्दर ३ क्लाज हैं। कानून को पारित करने से किसी प्रकार राजनीतिक अधिकारों में कमी आती हो या डिमोन्स्ट्रेशन में किसी प्रकार की रुकावट आती हो। आप यह मानेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में जो काम करते हैं, चाहे उसको कोई भी पार्टी चलाती हो, आफिसेज के बाहर दरवाजे के पास आकर कोई प्रदर्शन करे, तो काम में रुकावट आती है। तो इस तरह से पब्लिक सर्वेन्ट्स जहां काम करते हों उनके काम में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न हो। आपके लिये डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिये सारा शहर पडा हुआ है, कौन रोकता है? आपके फन्डामेंटल राइट्स पर कहां कुठाराघात होता है? कहां हम इस कानून के जरिये किसके अधिकार छीनना चाहते हैं?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: ११ बजे बाद का तो प्रोवीजन नहीं है?

श्री मथुरादास माथुर: यह जो कानून हमने बनाया है उसी प्रकार का कानून १३ राज्यों में भी है। राजस्थान के बडे बडे नागरिकों ने यह मांग की है. मेरे पास उनके पत्र हैं कि अपने यहां भी इस प्रकार का कानून क्यों नहीं लागू किया जाता? उनका कहना है कि रात्रि में लाउड स्पीकर उनकी नींद हराम करते हैं इसको रोका जाय। बीकानेर के सदस्य जरूर मानते होंगे। इसमें किसी प्रकार की भ्रम रखने की बात नहीं है। यह किसी के भी राजनैतिक अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)
'हां' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): 'Noes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: You want to press for Division?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: We claim division.

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: I again put the question.

प्रश्न यह है कि राजस्थान-कोलाहल नियन्त्रण विधेयक, १९६२, यथासंशोधित, पारित किया जाय।

(पुन: मत-दान के पश्चात्)
'हां' पक्ष जीता।

विपक्ष के माननीय सदस्य: 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष: 'हां पक्ष' जीता। विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही ४.५३ बजे दिनांक ६ मार्च, १९६३ के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.५३ बजे दिनांक ६ मार्च, १९६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.112

संक्षिप्त विवरण
(मंगलवार, ५ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

	स्कम्म		स्कम्म
राज्य द्वारा संचालित रसायन शालाओं में निर्मित औषधियां ।	९८३	पंचायत समिति क्षेत्र, रायपुर में नालसा का नाला ।	
बांसवाड़ा-रतलाम सड़क में आई भूमि का मुआवजा ।		सड़क व पुल निर्माण ।	
पी० एस० आई० के स्थान पर ए० पी० पी० ।		सेण्ट्रल जेल अलवर के कैदी ।	
लाखेरी सीमेण्ट वर्क्स के मजदूरों का प्रोविडेण्ट फण्ड ।		भरतपुर फीडर ।	
राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसों में खलासी की व्यवस्था ।		ब्यावर में चम्बल की बिजली ।	
छोटे तालाबों का आबियाना पंचायत समितियों को देने का निर्णय ।		निम्बाहेड़ा का सिनेमाघर ।	
जालोर में जिला केन्द्र पर सरकारी क्वार्टर्स का निर्माण ।		सरकारी औषधालय, नाथद्वारा के लिये नियत धनराशि ।	
हिण्डोन शहर में बढ़ते हुए किराये ।		राजगढ़ तहसील में सड़कें ।	
दूकानों और व्यवसायों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधायें ।		रायसिंहनगर थाने में डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट को जीप की आवश्यकता ।	
कुशलगढ़-बामनिया तथा कुशलगढ़-दहोद की सड़कें ।		आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों के अधिकारों संबंधी सुझाव ।	
बाड़मेर जिले के अपराधी ।		राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा की गई खरीद ।	
बाली-देसूरी क्षेत्र में आंवल छाल के ठेकों से आय ।		भाखरा क्षेत्र में जंगल ।	
मांडलगढ़-लाडपुरा रोड की पुलियायें ।		राज्य के पब्लिक प्रोसीक्यूटर ।	
नियमों, विज्ञप्तियों आदि का पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन ।		सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्किल ।	
		अलवर तहसील में भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि ।	

बगड़ी में औषधालय। स्कम्भ

पिलानी-सादुलपुर सड़क ।

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्त गये निर्माण कार्य। १०४८

२. विधायी कार्य—विचारार्थ लिए गए विधेयक

(१) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री बरकतुल्ला खां, स्वायत्त शासन मंत्री, द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि उपरोक्त विधेयक को पारित किया जाये सदन द्वारा स्वीकार किया जाकर विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया गया।

(विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक ४ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत किया गया था)

(२) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ १०४८

श्री हरिशचन्द्र, प्रभारी मंत्री, द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(३) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ १०५१

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-मंत्री, द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, सदन द्वारा स्वीकार किया गया । स्कम्भ

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(४) राजस्थान कोलाहल तथा संगित, नियंन्त्रण विधेयक, १९६२ १०५६

श्री मथुरादास माथुर, प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

खण्डशः विचार के पश्चात्, विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

सदन की बैठक ४ बज कर ५३ मिनिट पर बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची

१. अधिक अनुदानों की मांगों पर मत-दान

२. राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १४७ का उत्तर देखिये)

An etxraot oopy of Rajasthan Jail Manual Part X Rule 20 on page 186.

20. Work for under-trial prisoners.—Undertrial prisoners shall be subjected to as little interference as possible, but cleanliness of person and clothing shall be rigidly insisted on, and proper provision shall be made for abolution. They shall not be compelled to work except that they shall keep their wards, yards and bedding clean, if accustomed to do so in their own houses, but shall not be required to perform duties of a degrading oharaoter. Should any under-trial prisoner desire to work, the Superintendent should give him such light labour as he has available but there should be no task and no obligation for the prisoner to do any portion of it nor should the prisoner expect payment for such work. He shall however, not be employed on making articles for Jail consumption. In no case should under-trials be employed outside their yard.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

The Government are pleased to appoint a Committee consisting of the following for preparing a manual for the Ayurved Department:—

1.	Secretary, Advisory Board	Convenor.
2.	Shri Sri Jai Ram Dass, Jaipur	Member.
3.	Shri Mangal Dass, Jaipur	-do-
4.	Shri Sita Ram, Jaipur	-do-
5.	Shri Nitya Nand, Bundi	-do-
6.	Shri Bahadur Singh, Dholpur	-do-
7.	Mahant Murli Manohar, Udaipur	-do-
8.	Shri Gurishanker Upadhyay, Dungarpur ..	-do-

The quorum will be of four members. This Committee will submit the draft Manual to the Government within two months.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १५८ का उत्तर देखिये)

Public Prosecutors in Rajasthan.

S. No. 1	Name. 2	Designation 3	Place 4	Date of Appointment 5
1.	Shri Laxmi Narain Mutha	Public Prosecutor (whole time)	Jodhpur	Permanent 28-5-53
2.	Shri Amar Chand Singal	Public Prosecutor (whole time)	Jodhpur	Permanent. 24-2-46
3.	Shri Jaswant Mal Bhandari	Addl. Public Prosecutor	Jodhpur	8-2-62
4.	Shri Shyam Dass Bohra	Public Prosecutor (whole time)	Merta	Permanent 6-10-47
5.	Shri Sampat Raj Singhvi	Addl. Public Prosecutor	Balotra (Barmer Distt.)	1-9-60
6.	Shri Hukam Nath Modi	Public Prosecutor	Jalore	1-9-60
7.	Shri Maigh Raj Modi	Public Prosecutor	Sirohi	1-9-60
8.	Prosecuting Inspector Pali is Officiating as Public Prosecutor.	(whole time)	Pali	Permanent
9.	Shri Madan Mohan Sharma	Public Prosecutor	Jaipur	1-9-60
10.	Shri Ramesh Chandra Jain	Addl. Public Prosecutor.	Jaipur	1-9-60
11.	Shri Har Gopal Mathur	Public Prosecutor	Jaipur	1-9-50
12.	Shri Ganesh Narain Sharma	Public Prosecutor	Jhunjhunu	1-9-60
13.	Shri Sunder Lal Bhargava	Public Prosecutor	Sikar	1-9-60
14.	Shri Durga Prasad Sharma	Public Prosecutor	Gangapur (Distt. Sawai Madhopur)	1-9-60
15.	Shri Madan Mohan Bhagat	Public Prosecutor	Alwar	1958
16.	Shri Kalyan Dutta Sharma	Asstt. Public Prosecutor.	Alwar	1961
17.	Shri Rajjan Lal	Public Prosecutor	Bharatpur	1-9-60

1	2	3	4	5
18.	Shri Ram Shanker Saxena	Addl. Public Prosecutor	Dholpur (Distt. Bharatpur)	1-12-61
19.	Shri Premi Khem Raj Sharma	Public Prosecutor	Tonk	6-5-61
20.	Shri Devi Narain Simlote	Public Prosecutor	Ajmer	21-9-62
21.	Shri Jwala Prasad Mathur	Addl. Public Prosecutor	Ajmer	10-6-62
22.	Shri Bal Krishan Pareek	Govt. Pleader	Board of Revenue Ajmer	1-4-54
23.	Shri Tej Singh Mehta	Public Prosecutor	Udaipur	16-5-59
24.	Shri Noor Mohammed	Addl. Public Prosecutor	Udaipur	3-6-57
25.	Shri Bansi Lal Sharma	Asstt. Public Prosecutor	Udaipur	17-10-60
26.	Shri Devi Shanker Nagar	Public Prosecutor	Banswara	1-9-60
27.	Shri Delpat Singh Chowdhri	Public Prosecutor	Bhilwara	1-9-60
28.	Shri Laxmi Narain Mathur	Public Prosecutor (whole time)	Pratapgrah	Permanen 4-2-48
29.	Shri Lalita Prasad	Public Prosecutor	Bikaner	1-9-60
30.	Shri K.C. Jain	Public Prosecutor	Ganganagar	1958
31.	Shri Baij Nath Agarwal	Addl. Public Prosecutor	Ganga-nagar	1-9-60
32.	Shri Bhamira Lal Mittal	Asstt. Public Prosecutor	Ganga-nagar.	17-6-1958
33.	Shri Bhashmabar Dayal	Public Prosecutor (whole time)	Churu	Parmanent 1-2-44
34.	Shri Nathu Lal Jain	Public Prosecutor	Kotah	7-3-61
35.	Shri Mahesh Chandra Bharadwaj	Addl. Public Prosecutor	Baran(Kotah)	1-9-60
36.	Shri Raghuwar Dayal Gupta.	Public Prosecutor	Bundi	1-9-60
37.	Shri Thawar Dass	Public Prosecutor	Jhalawar	1-9-60

परिशिष्ट ४

(प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

अलवर तहसील में भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि

१६०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर तहसील में रुंधमदारपुर की जमीन ग्राम चान्दोली शाहपुरा और बालाडहरा के ७० हरिजन भूमिहीन परिवारों को सहकारी समिति बना कर दिये जाने के लिये वन विभाग में पेंडिंग हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रुंध की जमीन उक्त हरिजनों को देने के लिये तहसीलदार अलवर एवं कलेक्टर, अलवर द्वारा तथा डी. एफ. ओ., भरतपुर द्वारा समर्थन किया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व वन मंत्री ने भी उक्त जमीन उक्त हरिजनों को देने की सिफारिश की थी ?

(४) अब उक्त रुंध की जमीन उक्त हरिजनों को देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं, ऐसी कोई आज्ञा उपलब्ध नहीं है।

(४) शिड्यूलड् कास्ट के कुछ लोगों ने बिना आज्ञा इस रुंध में हल चला कर जमीन तोड़ने चाहा। उनके विरुद्ध एस० डी० एम० की कोर्ट में मुकदमा चलाया गया जिसका फैसला २६-११-१९६२ को हो गया है। अपराधियों को तो छोड़ दिया गया है और जो वृक्ष उन्होंने काटे थे वे जब्त कर लिये गये हैं। ऐसी हालत में इस जमीन को उक्त हरिजनों को देने का कोई विचार नहीं है। उक्त रुंध की घास व चराई के लिये बहुत आवश्यकता है।

बगडी में औषधालय

१६१. श्री जयनारायण सालोदिया, (निवाई): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार टोंक तहसील के बगड़ी ग्राम में जो तहसील में सबसे बड़ा कस्बा है, औषधालय खोलन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सही है कि आस-पास औषधालय नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में जनता परेशान है ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कई विभागों की ओर से उक्त ग्राम में कार्य चल रहे हैं ?

उत्तर

(१) नये वर्ष के प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय निश्चित ढंग से प्रस्ताव

प्राप्त हुआ तो इस पर भी साधनानुसार विचार किया जायेगा ।

(२) सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(३) चल रहे होंगे परन्तु इस विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

पिलानी-सादुलपुर सड़क

१६२. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(१) पिलानी से सादुलपुर सड़क का निर्माण कब पूरा हुआ ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त सड़क बड़ी शोचनीय अवस्था में है और सादुलपुर से रड़वा तक कई जगह बिल्कुल टूट गई है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत कराने की कब तक व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) दिनांक ८-१०-६१ ई० को ।

(२) मालूम है । सड़क की हालत सन्तोषप्रद नहीं है ।

(३) मरम्मत का कार्य जारी है ।

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण-कार्य

१६३. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(१) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र में जो निर्माण कार्य २५,०००) रु० से कम लागत का हो उसे किस आधार पर किया जाता है और उसमें कितना जन सहयोग अनिवार्य होता है ?

(२) यदि जन सहयोग की जगह पंचायत समिति या ग्राम पंचायत नकद रुपया सरकार के पास जमा कराने को तैयार हो तो क्या निर्माण-कार्य सरकार अपने हाथ में लेना पसंद करेगी ?

(३) उपरोक्त विषय में अभी तक किन किन पंचायत समितियों या ग्राम पंचायतों ने नकद रुपया जन-सहयोग की जगह देने एवं निर्माण कार्य सरकार द्वारा करवाने हेतु लिखा-पढ़ी की है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(१) लघु सिंचाई योजना के २५०००) रू० से कम लागत का काम यदि मिट्टी का बनाया जाय तो ५० प्रतिशत जनसहयोग और यदि चूने, पत्थर का बनाया जाये तो २५ प्रतिशत जन सहयोग के आधार पर किया जाता है ।

(२) जनसहयोग पंचायत अथवा पंचायत समिति नकद में दे सकती है पर २५०००) रू० से कम लागत के काम सरकार द्वारा नहीं कराये जाने की नीति है ।

(३) ऐसी कोई लिखा पढी ग्राम पंचायत समिति द्वारा इस विभाग को नहीं की गई ।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, ५ मार्च, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
९८८	२१	नहीं ह	नहीं है
९८९	१७	छोड़न के	छोड़ने के
९९२	अन्तिम से ५ वीं	श्रीमती लक्षमी कुमारी	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
९९४	अन्तिम से २	रही ह	रही है
९९९	२६	This a	This is a
१००४	२४	अध्यक्ष महो	अध्यक्ष महोदय,
,,	२५	लेकिन · · बारे	लेकिन उसके बारे
१००८	५	श्री निरंजन नाथ आचा	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२२	चूडावत (भीम :	चूडावत (भीम):
१०१४	२६	श्री मथरेशबिहारी	श्री मथुरेशबिहारी
१०१५	६	of Law is	of law is
,,	,,	चल नही	चल पाते नहीं
१०१८	६	पंचयतं	पंचायत
,,	१५	क्षे की	क्षेत्र की
१०२५	अन्तिम से ४	सस्टेन्ट इन्जीनियर	असिस्टेन्ट इन्जीनियर
,,	अन्तिम	ो सहायक	तो सहायक
१०२६	४	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
१०४७	प्रथम	बोलेने लगे)	बोलने लगे)
१०५१	शीर्षक	राजस्थान बिक्री कर	मोटर गाड़ी विधेयक
१०५२	,,	(संशोधन) विधेयक १९६२	बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक
१०५५-५६	,,	कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण	राजस्थान बिक्री कर (संशोधन)
१०६५	अन्तिम से ४	साधारण के कम	साधारण से कम
१०६७	१२	हर्डल पैरा	हडल पैदा
,,	१५	डिफन्स के	डिफेन्स के
,,	अन्तिम से ५	श्री जोध सिंह गिरवां	श्री जोधसिंह (गिरवां)
१०६८	१२	देना ाहते	देना चाहते

१	२	३	४
१०७५	२	डिवोटड है	डिवोटेड है
१०७७	४	new ma ters	new matters
१०७९से	शीर्षक	मोटर गाडी-५ मार्च १९६३-	कोलाहल तथा संगीत–५ मार्च,,
१०८६		विधेयक, १९६२	१९६३–नियंत्रण विधेयक,१९६२
१०८९	अन्तिम से४	ाहिये।	चाहिये ।
१०९०	२३	ग्रामीण मेलों	ग्रामीण मेलों
,,	अन्तिम से ३	पहचान का	पहुंचाने का
,,	अन्तिम से २	पर ग्रामीणो	पर ग्रामीणों
१०९२	शीर्षक	तियन्त्रण विधेयक	नियन्त्रण विधेयक
,,	३	श्रा विजयसिंह	श्री विजयसिंह
,,	१४	अपन को	अपने को
१०९५	अन्तिम से १३	नहा	नीं
,,	शीर्षक	विधेयक १९६२	विधेयक, १९६२
१०९६	१८	लिय	लिये
,,	अन्तिम से ९	–	लाने
१०९८	५	सकत	सकते
,,	अन्तिम से ९	छटा	छोटा
,,	,, ,, १०	कॉन्स्टीट्यूएसी	कॉन्स्टीट्यूएन्सी
१०९९	६	अयी	आयी
,,	७	बैठ	बैठे
११००	४	सामन	सामने
११०२	अन्तिम से ३	please ?	please !
१११४	१८	खदा	खुदा
११२३	शीर्षक	विधयक	विधेयक
११२७	,,	–५ माच	–५ मार्च
११२९	,,	मंगीत	संगीत
११३१	अन्तिम से १५	ह,	है,
११३२	४	श्री विजयसिह	श्री विजयसिंह
११३३	२	श्री रामप्रसाद लढढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
११३५	अन्तिम से ३	खा	रखा
११३७	१	नो ज	नोइज
११३९	५	please:	please !
११४१	शीर्षक	–५ सार्च	–५ मार्च,

१	२	३	४
११४१	३	(रार्यासह नमर)	(रार्यासहनगर)
,,	१३	टैक्नीकल ग्राफन्स	टैक्निकल ग्रॉफेन्स
११४३से	शीर्षक	–५ मार्च १६६३-नियत्रण	–५ मार्च, १९६३–नियन्त्रण
११९०		विधेयक	विधेयक, १९६२
११४५	आन्तिम से २	श्री निरंजनाथ ग्राचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
११४६	९	asperion	aspersion
,,	११	comment d up on	commented upon
,,	२१	exce p ion	exception
,,	आन्तिम से ३	श्री योगेन्द्रर ाय	श्री योगेन्द्रनाथ
,,	,, ,, ४ व ५	digni ıy	dignity
११४६	अन्तिम से६	main. ain	maintain
११४८	६	कलॉज	क्लॉज्
,,	अन्तिम	इ. पोटेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
११५०	१०	इश्य	इश्यू
,,	१९	डिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
११५१	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
,,	अन्तिम से १३	समथन	समर्थन
,,	,, ,, १४	श्रो मधुरेशबिहारी	श्री मथुरेशबिहारी
११५२	४	सेकड ग्रेडका	सैकन्ड ग्रेड का
११५३	शीर्षक	–५मार्च १९६३–नित्रंण	–५ मार्च, १९६३–नियन्त्रण
,,	६	श्री मथुरादस माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	१२	of lav	of Law
,,	१४	al. rght	all right
,,	१५	h mo her	the mother
,,	१६	श्री मार्नास मार	श्री मार्नासह महार
,,	१७		
,,	१८	Minısit r ado her	Minister and other
,,	१९	श्री यो न्द्रिनाथहाडा :	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :
,,	२०	fahr	father
११५४	५	कॉन्स्टटीयून्सी	कॉन्स्टीट्यूएन्सी
,,	अन्तिम से १०	किय	किया
११५५	शीर्षक	काल ाहल	कोलाहल
,,	६	सदस ान	सदस्य ने

१	२	३	४
११५५	६	अन	आने
,,	अन्तिम से ८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
११५६	१२	श्री सतीशचन्द्र अ वाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	१४	goo।	good
,,	अन्तिम से १०	श्री उपा यक्ष:	श्री उपाध्यक्ष :
११५७	अन्तिम से ६	ह।	हैं।
११५९	शीर्ष	(श्री मानसिह महार)	(श्री मानसिंह महार)
११५९ से ११९०	शीर्षक	विधेयक	विधेयक, १९६२
११६७	१९	करन	करना
,,	२०	नहीं	नहीं
,,	२३	बत	बात
११६८	अन्तिम से १०	म	में
११७३	१	पपंज	पर्पज्
,,	अन्तिम से ५	ह	हैं
११७५	शीर्षक	–५ माच	–५ मार्च
११७७ व ११८१	,,	विधेंयक,	विधेयक,
११८४	अन्तिम से ५	श्री मथुरादास माथुर:	श्री मथुरादास माथुर :
११८५	अन्तिम	जी न	जीने
११८६	अन्तिम से ३	लि	लिये
११८८	अन्तिम से ९	होग	होगा
११९४	अन्तिम से ५	श्री उपाघाक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१२९७	अन्तिम से ३	सके लियें तो	इसके लियें तो धारा
१२०५	शीर्षक	कोलाहल तथा संगीत–५ मार्च, १९६३ विधेयक १९६२	संक्षिप्त-विवरण-५ मार्च, १९६३-संक्षिप्त-विवरण
१२०७	४	अन्त गये	अन्तर्गत
१२०८	८	संगित,	संगीत
१२१४ का दूसरा कालम	१४	कार्यवाही हुतु है ?	कार्यवाही हुई हैं ?
,,	१६	मिटटी का	मिट्टी का